द्वितीय माला, खण्ड १९—अंक ११

२५ अगस्त, १९५८ (सोमवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

2nd Lok Sabha

(Fifth Session)

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated
On 15/7/83
Parliament Library

Chamber Fumigated....

(खण्ड १९ में अंक ११ से अंक २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

नये पैसे (देश में) ३ शिलिंग (विदेश में)

SD

विषय-सूची

(द्वितीय माला, खण्ड १९--अंक ११ से २०—२५ अगस्त से ५ सितम्बर, १९५८)

पृष्ठ

अंक ११--सोमवार, २५ अगस्त, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ४३९ से ४४५, ४४८ और ४५२ से ४५९ . १२३९—६२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . . १२६२--६४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४३७, ४३८, ४४६, ४४७, ४४९ से ४५१ और ४६० से ४९६ . . . . १२६५--८३

अतारांकित प्रश्न संख्या ७९० से ८६७ . . १२८३—१३१८

स्थगन प्रस्ताव--

दिल्ली में अतिसार रोग का फैलना . . . १३१९--२२

दो सदस्यों को सजा १३२२-२३

जानकारी के लिये प्रश्न १३२३

सभा पटल पर रखे गये पत्र १३२३

राज्य सभा से सन्देश १३२४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

रिविलगंज में रेल का पटरी से उतर जाना . . . १३२४

जीवन बीमा निगम की विनियोजन नीति के बारे में वक्तव्य . . १३२४—२६

समिति के लिये निर्वाचन . . . १३२६

प्राक्कलन समिति १३२६

विधेयक पुरःस्थापित १३२६-२७

१. समुद्र सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक, और १३२६-२७

२. भारतीय चिकित्सा परिषद् (संशोधन) विधेयक . . १३२७

श्रमजीवी पत्रकार (वेतन दरों का निर्धारण) विधेयक—

पर विचार करने का प्रस्ताव १३२७--५७

खण्ड २ से १४ तथा १ . . . १३४३--५७

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . १३५७—६०

दैनिक संक्षेपिका १३६१--६७

अंक १२—मंगलवार, २६ अगस्त, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४९८, ५०० से ५०९, ५१४, ५१५, ५१७ और ५१८ . . . . . १३६९—९२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ . . . . १३९२—९४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित श्न संख्या ४९७, ४९९, ५१० से ५१३, ५१६ और ५१९ से ५६० . . . . . १३९५—१४१७

अतारांकित प्रश्न संख्या ८६८ से ९०३, ९०५ से ९३० और ९३२ से ९५३ १४१७—५१

सभा पटल पर रखे गये पत्र १४५२–५३

राज्य-सभा से संदेश १४५३

सरकारी भू-गृहादि (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया . १४५३

चीनी निर्यात संवर्धन अध्यादेश के बारे में संविहित संकल्प—अस्वीकृत १४५३—८९

चीनी निर्यात संवर्धन विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . १४५३—९३

खण्ड २ से १४ और खण्ड १ . . . . १४८९–९३

पारित करने का प्रस्ताव १४९३–९६

दैनिक संक्षेपिका १४९७–१५०३

अंक १३—बुधवार, २७ अगस्त, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५६३, ५६४, ५६६ से ५७०, ५७३ से ५७६, ५७८ से ५८१, ५८३, ५८६, ५८८, ५८९, ५९४ और ५९६ से ५९८ . १५०५—३२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५६१, ५६२, ५७१, ५७२, ५७७, ५८२, ५८४, ५८५ ५८७, ५९० से ५९३, ५९५ और ५९९ से ६२८ . . १५३२—५०

अतारांकित प्रश्न संख्या ९५४ से १०१२ . . १५५०—७४

सभा पटल पर रखे गये पत्र १५७४–७५

राज्य सभा से संदेश १५७५

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति का प्रतिवेदन . . १५७५

व्यापार तथा पण्य चिन्ह विधेयक— . . . १५७५

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . १५७६—८४

खण्ड २ से १३६ और १ . . . . १५८०—८४

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . . १५८४—८६

पृष्ठ

केन्द्रीय बिक्री कर (दूसरा संशोधन) विधेयक--

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव १५८६—९६

खण्ड १ से १२ १५९५

पारित करने का प्रस्ताव १५९६

पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों की मांगों पर चौधरी समिति के प्रतिवेदन के संबंध में प्रस्ताव . . . . . १५९६—१६१२

दैनिक संक्षेपिका . . . . . १६१३—१९

अंक १४--गुरुवार, २८ अगस्त, १९५८

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ६३०, ६३२, ६३४ से ६३६, ६३८, ६३९, ६९४ ६४१ से ६४५ और ६४७ १६२१—४२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ . . . १६४३

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ६२९, ६३३,६३७, ६४०, ६४६, ६४८ से ६७१, ६७३ और ६७५ से ६९३ १६४४—६५

अतारांकित प्रश्न संख्या १०१३ से ११२४ . १६६५—१७२१

स्थगन प्रस्ताव--

मेसर्स बर्न एण्ड कम्पनी के ११३५ प्रवीण कर्मचारियों का अलग किया जाना १७२१

डा० गैटोन्डे के विरुद्ध अभियोग को वापस लेने सम्बन्धी तारांकित प्रश्न के बारे में वक्तव्य . . . . . १७२२—२४

देश में बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम तथा बाढ़ की स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य . १७२४–२५

सभा पटल पर रखे गये पत्र १७२५–२६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--

पच्चीसवां प्रतिवेदन १७२६

केन्द्रीय बिक्री कर (दूसरा संशोधन) विधेयक--

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव १७२६--३२

औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय) विनिश्चय संशोधन विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव १७३२--४२

खण्ड २ तथा १ . . . . . १७४२

पारित करने का प्रस्ताव १७४२–४३

पृष्ठ

सम्पदा शुल्क (संशोधन) विधेयक--

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव १७४३--५४

कार्यमंत्रणा समिति--

अट्ठाइसवां प्रतिवेदन . . १७५४

दैनिक संक्षेपिका १७५५--६३

अंक १५-- शनिवार, ३० अगस्त, १९५८--

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ६९५, ६९७, ४९८, ७०१ से ७०६, ७०८, ७१० से ७१४, ७१६ से ७१८ और ७२३ . १७६५--८९

प्रश्नों के लिखित उत्तर . . . . .

तारांकित प्रश्न संख्या ६९६, ६९९, ७००, ७०७, ७०९, ७१५, ७१९ से ७२२ और ७२४ से ७४८ . १७९०--१८०५

अतारांकित प्रश्न संख्या ११२५ से ११८८, ११९० से ११९३ और ११९५ से १२०६ १८०५--३२

सभा पटल पर रखे गये पत्र १८३३-३४

सभा का कार्य १८३४-३५

सागर में विद्यार्थियों तथा सनिकोंमें हुई मुठभेड़ के सम्बन्ध में वक्तव्य . १८३५

समितियों के लिये निर्वाचन १८३५

१. प्राणिविज्ञान का केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ।

२. भारतीय विज्ञान संस्था परिषद्, बंगलौर ।

कार्य मंत्रणा समिति--

अट्ठाइसवां प्रतिवेदन १८३६--३७

सम्पदा शुल्क (संशोधन) विधेयक--

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने के लिये प्रस्ताव १८३७--५२

खण्ड २ और ३ . . . . . १८५२

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--

पच्चीसवां प्रतिवेदन . . . १८५२

एकाधिकार रखने वाले साथी के कार्यों के सम्बन्ध में संकल्प . . १८५३--५८

राष्ट्रीय भारतीय युवक परिषद् बनाने के सम्बन्ध में संकल्प . . १८५८--६७

दैनिक संक्षेपिका १८६८--७४

पृष्ठ

अंक १६--सोमवार, १ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर-- .

तारांकित प्रश्न संख्या ७५० से ७५२, ७५४, ७५६, ७५७, ७५९, ७६०, ७६२, ७६४, ७६५, ७६७, ७६८, ७७०, ७७२, ७७६ से ७७९, ७८१ और ७८२ . . . १८७५—१९०१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७४९, ७५३, ७५५, ७५८, ७६१, ७६६, ७६९, ७७१, ७७३ से ७७५, ७८०, ७८३, ७८४ से ७८६ और ७८८ से ७९२ . १९०१—०९

अतारांकित प्रश्न संख्या १२०७ से १२६९ १९०९—३८

स्थगन प्रस्ताव . . . . . १९३९—४२

(१) मेसर्स बर्न एण्ड कम्पनी में कर्मचारियों का काम से अलग किया जाना; और

(२) पांडेचेरी में संवैधानिक व्यवस्था की कथित विफलता ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र १९४३

समितियों के लिये निर्वाचन सम्बन्धी विनियमों के संशोधन-- . .

सभा पटल पर रखे गये पत्र १९४३

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति १९४३

दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक—पुरःस्थापित : . . . १९४३–४४

सम्पदा शुल्क (संशोधन) विधेयक--

खण्ड ३ से ११, १४ से २०, २२ से ३०, १२, २१ और १ १९४४—५५

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . १९५५

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक--

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . १९५६—७०

अखबारी कागज के लिये आयात अनुज्ञप्तियां तथा कागज के मूल्य के बारे में आधे घंटे की चर्चा १९७०--७५

दैनिक संक्षेपिका १९७६--८१

अंक १७—मंगलावार, २ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर-- . . . . .

तारांकित प्रश्न संख्या ७९४ से ८०१ और ८०३ से ८०७ . . १९८३--२००६

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७९३, ८०२ और ८०८ से ८१५ और ८१७ से ८३९ . . . २००६—२०

अतारांकित प्रश्न संख्या १२७० से १३८० और १३८२ से १३८६ २०२०—७४

जानकारी के लिये प्रश्न २०७४

रेलवे के कार्य–संचालन सम्बन्धी चर्चा के बारे में सुझाव . . २०७४

स्थगन प्रस्ताव . . . . . २०७४—७७

१. कडुम बांध का टूट जाना ; और

२. बेरोजगारी के कारण एक परिवार के सदस्यों द्वारा कथित आत्म-हत्या ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र २०७७

स्थगन प्रस्ताव के बारे में २०७७

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—

आठवां प्रतिवेदन . २०७८

तारांकित प्रश्न संख्या १४८ के उत्तर की शुद्धि . . . २०७८

दिल्ली में हैजा और अतिसार के बारे में वक्तव्य . . . २०७८-७९

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . २०७९—२११३

खण्ड २ से ९ और १ . २०९४—२११३

समुद्र सीमा-शुल्क (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव २११३—१७

खण्ड १ और २ . . २११७

पारित करने का प्रस्ताव . . . २११७

मनीपुर और त्रिपुरा (विधियों का निरसन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . २११७—१९

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २१२०—२६

अंक १८—बुधवार, ३ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८४१ से ८४८, ८५०, ८५३, ८५६, ८५८ से ८६१, ८६४ और ८६५ . . . . . २१२७—५२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८४०,८४९, ८५१, ८५२, ८५४, ८५५, ८५७, ८६२, ८६३, ८६६ से ८९३ . . . २१५२—६७

पृष्ठ

अतारांकित प्रश्न संख्या १३८७ से १४५५ और १४५७ से १४६० २१६८--९६

स्थगन प्रस्ताव--

उत्तर प्रदेश में खाद्य स्थिति . २१९६--९९

राज्य सभा से संदेश २१९९

सभा से अनुपस्थिति की अनुमति २१९९

मनीपुर और त्रिपुरा (विधियों का निरसन) विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव २१९९--२२०५

खण्ड २ से ४ और १ २२०५

पारित करने का प्रस्ताव २२०५

राज घाट समाधि (संशोधन) विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव २२०६--१६

रेलवे भाड़ा दर चार्ज समिति के सम्बन्ध में प्रस्ताव . . . २२१६--२७

दैनिक संक्षेपिका २२२८--३४

अंक १९--गुरुवार, ४ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८९५, ८९८ से ९०१, ९०३, ९०५, ९०७, ९०८
९११, ९१४ से ९१८, ९२० से ९२२ और ९२६ २२३५--६०

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८९४, ८९६, ८९७, ९०२, ९०४, ९०६, ९०९,
९१२, ९१३, ९१९, ९२३ से ९२५, ९२७ से ९३९ और ९४१
से ९४६ . . . . . २२६०--७२

अतारांकित प्रश्न संख्या १४६१ से १५१२, १५१४ से १५२६ और १५२८ २२७२--९८

स्थगन प्रस्ताव-- २२९८--२३०३

केरल में स्थिति . २२९८--२३०३

सभा पटल पर रखे गये पत्र २३०३-०४

राजघाट समाधि (संशोधन) विधेयक--

विचार करने के लिये प्रस्ताव २३०४--०९

खण्ड २, ३ और १--पारित करने के लिये प्रस्ताव . . २३०९

सरकारी भग्रहदि (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) विधेयक १९५८-- २३०९

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने के लिये प्रस्ताव . २३१०--२१

भारत-पाकिस्तान नहरी पानी विवाद २३२१--४१

दैनिक संक्षेपिका २३४२--४६

अंक २०--शुक्रवार, ५ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९४७ से ९५७, ९५९ और ९६१ से ९६५ २३४७--७१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७ . . २३७१--७३

प्रश्नों के लिखित उत्तर--	पृष्ठ
तारांकित प्रश्न संख्या ९५८, ९६० और ९६६ से १००८	२३७३--९३
अतारांकित प्रश्न संख्या १५२९ से १६०८ और १६१० से १६३१	२३९३--२४४२
दो सदस्यों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में	२४४२-४३
विशेषाधिकार के प्रस्ताव के बारे में	२४४३
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२४४३-४४
१९५८-५९ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें	२४४४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
मध्य रेलवे के दो पुलों का बह जाना	२४४४--४६
सभा का कार्य	२४४६
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ के उत्तर के शुद्धि	२४४६-४७
सरकारी भूगृहादि (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) विधेयक--	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	२४४७--६३
महेन्द्र प्रताप सिंह सम्पदा (निरसन) विधेयक--पुरस्थापित :	
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक--	२४६३
(धारा ५६ तथा १२३ का संशोधन)--पुरस्थापित :	२४६४
संविधान (संशोधन) विधेयक--	
(अनुच्छेद १३४, १३६ तथा १४५ का संशोधन)--पुरस्थापित	२४६४
वनस्पति में रंग मिलाना विधेयक--	
पुरस्थापित	२४६४
मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक--	
(धारा ३ का संशोधन)--पुरस्थापित	२४६५
भारतीय साक्ष्य (संशोधन) विधेयक--	
(धारा १०३ का संशोधन)-- पुरस्थापित	२४६५
संसदीय विशेषाधिकार विधेयक--	
पुरस्थापित	२४६५
प्रादेशिक परिषद् (संशोधन) विधेयक--	
(धारा ३, २२, ३० तथा ३६ का संशोधन)--पुरस्थापित	२४६६
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव	२४६६--७३
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक--	
(धारा ५५-क, ८२ तथा ११६-क का संशोधन)--वापस लिया गया	२४७३--८०
विचार करने का प्रस्ताव	२४७३--८०
छावनी (संशोधन) विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव	२४८१-८२
दैनिक संक्षेपिका	२४८३--९०

नोट:--मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा

सोमवार, २५ अगस्त, १९५८

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के लिये होस्टल

†*४३९. **श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के लिये राजसहायता प्राप्त होस्टल बनाने के सम्बन्ध में जो वचन दिये गये थे, क्या उस सम्बन्ध में छानबीन पूरी की जा चुकी है;

(ख) यदि हां, इस सम्बन्ध में क्या निश्चय किया गया है; और

(ग) लगभग कितने ऐसे होस्टल बनाये जायेंगे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग). भारतीय रेलों के विभिन्न स्टेशनों पर १२ राजसहायता प्राप्त होस्टल बनाने का निश्चय किया गया है । यह होस्टल उन कर्मचारियों के लाभ के लिय बनाये जायेंगे जिन्हें अपने बच्चों को शिक्षा के हेतु अपने मुख्य स्थानों से बाहर भेजना पड़ता है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** इस योजना पर कितना धन व्यय होगा ?

†**श्री शाहनवाज़ खां :** क्या आप यह जानना चाहते हैं कि इससे रेलवे पर कितना आर्थिक बोझ पड़ेगा ?

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** जी हां ।

†**श्री शाहनवाज खां :** इसके लिय मुझे पूर्व सूचना मिलनी चाहिये । क्योंकि हमें इस सम्बन्ध में रेलवे से पूछना पड़ेगा ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** इन होस्टलों के बनाने में कितना व्यय होगा तथा इनमें कितने छात्र रह सकेंग ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री शाहनवाज खां** : लगभग १५०० या १४५०.

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या पूर्वोत्तर रेलवे में भी ऐसा कोई होस्टल बनाया जायेगा ?

†**श्री शाहनवाज खां** : हमारा यह विचार है कि प्रत्येक रेलवे में एक ऐसा होस्टल बनाया जा सके । अभी तक पूर्वोत्तर रेलवे के सम्बन्ध में कोई निश्चय नहीं हुआ है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या इतना छोटा सा विवरण नहीं है ?

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : मुझे यह आशंका है कि कहीं पूर्वोत्तर रेलवे का कोई ध्यान ही न रखा जाय । इसीलिये मैंने यह प्रश्न पूछा है ।

†**श्री शाहनवाज खां** : मैं आश्वासन दिलाता हूं कि हम इसका ध्यान रखेंगे ।

†**श्री बर्मन** : क्या मैं जान सकता हूं कि इन होस्टलों के लिये कितनी तथा किस प्रकार की राजसहायता दी जायेगी ?

†**श्री शाहनवाज खां** : यह होस्टल हम उन रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के लिये बनाना चाहते हैं जो कि छोटे स्टेशनों पर रहते हैं और जिनके बच्चों को अच्छे स्कूलों में जाने का मौका नहीं मिल सकता है । इसलिये हम यह होस्टल उन स्थानों पर बनाना चाहते हैं जहां पर कि अच्छे स्कूल हैं । ऐसे स्थानों पर हम रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के छात्रावास के व्यय में कुछ राजसहायता देना चाहते हैं । अर्थात् हम उनको ऐसे स्थानों पर रहने के लिये स्थान व भोजन की सुविधा देना चाहते हैं । जो लोग १०० रुपये तक वेतन पा रहे हैं उनको अपने बच्चों के लिये ऐसे छात्रावास के लिये केवल ७$^{1}/_{2}$ रुपये प्रतिमास देने पड़ेंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या निवास तथा भोजन दोनों के लिये ?

†**श्री शाहनवाज खां** : जी हां । दोनों के लिये । यह राशि प्रतिमास उन बच्चों के माता-पिता से वसूल की जायेगी । जो कर्मचारी १०१ रुपये से २०० रुपये तक वेतन पा रहे हैं उन्हें प्रतिमास १२$^{1}/_{2}$ रुपये देने पड़ेंगे और २०१ रुपये से ३०० रुपये तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को २० रुपये प्रति मास ।

†**श्री जयपाल सिंह** : ये छात्रावास कहां कहां बनाये जा रहे हैं ?

†**श्री शाहनवाज खां** : इस समय सिकंदराबाद, ढोंड, पटना, लखनऊ, गोहाटी, त्रिचुरापली, मैसूर, ओलावककोट, खड़गपुर, कटक, आनन्द और अजमेर में ऐसे होस्टल बनाने का विचार किया जा रहा है ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : इनमें से कोई भी स्थान पूर्वोत्तर रेलवे में नहीं है ।

†**श्री शाहनवाज खां** : हम इस सम्बन्ध में अभी विचार करेंगे ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : यदि इन स्कूलों में सभी श्रेणियों के रेलवे कर्मचारियों के बच्चों को प्रवेश दिया गया तब मुझे यह आशंका है कि ऊंची श्रेणियों के कर्मचारियों के बच्चे तो दाखिल हो जायेंगे किन्तु पिछड़ी श्रेणियों के कर्मचारियों के बच्चे इनमें दाखिल नहीं किये जायेंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : आपका यह सुझाव है कि कहीं पिछड़ी श्रेणियों के कर्मचारियों के बच्चों की उपेक्षा न की जाय ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : बजट में सिकन्दराबाद में एक ऐसा होस्टल बनाने का उपबन्ध था । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या वहां पर यह होस्टल बनना शुरू हो गया है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : जी हां । मैं पहले ही बता चुका हूं कि हम सिकंदराबाद में एक होस्टल बनाने जा रहे हैं जिसमें १०० छात्रों के रहने की व्यवस्था होगी ।

राजस्थान नहर

+

†*४४०. { **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री १ अप्रैल, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १३७६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान नहर के निर्माण के लिये प्रशासकीय तथा पर्यवेक्षी मशीनरी नियुक्त की जा चुकी है;

(ख) क्या इस क्षेत्र में बस्तियां बसाने तथा सामाजिक सेवाओं के विकास के लिये कोई कार्यक्रम बनाया गया है; यदि हां, तो क्या; और

(ग) इस कार्य के लिये कौन सा अभिकरण बनाया गया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी नहीं ।

(ख) अभी तक कोई नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : प्रशासन को इन प्रस्तावों को पूरा करने में क्या कठिनाइयां अनुभव हो रही हैं ?

†**श्री हाथी** : हम ने यह प्रस्ताव पंजाब और राजस्थान की सरकारों को भेजे हुए हैं और उनके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मंत्री महोदय ने अप्रैल में यह कहा था कि राजस्थान सरकार ने इस सम्बन्ध में एक निर्देश समिति बनाने व राजस्थान नहर परियोजना की कार्यान्विति के लिये प्रशासकीय मशीनरी स्थापित करना स्वीकार कर लिया है । तब अब क्या बात है कि ५ महीने से इन प्रस्तावों को क्रियान्वित नहीं किया जा सका है ?

†**श्री हाथी** : उन्होंने सिद्धान्त रूप से यह स्वीकार कर लिया है कि ये दो समितियां बनाई जायें । किन्तु इन समितियों के कार्यों आदि के बारे में विस्तृत ब्यौरा अभी सरकार के विचाराधीन है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : केन्द्रीय सरकार ने क्या प्रस्ताव रखे हैं तथा उनमें पंजाब सरकार को कितना भाग अदा करना है ?

†**श्री हाथी** : पंजाब सरकार ने अपनी सीमाओं में लगभग ११० मील नहर खोदनी है । शेष कार्य राजस्थान सरकार की सीमाओं में होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कासलीवाल** : नहर परियोजना के मुख्य प्रशासक अधिकारी की कब तक नियुक्ति हो जायेगी ।

†**श्री हाथी** : जैसे ही इस परियोजना का अनुमोदन हो जायेगा हम उक्त अधिकारी की नियुक्ति कर देंगे ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : एक समाचार में यह कहा गया था कि केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के चैयरमैन श्री कंवर सेन, १ जून से इस परियोजना का कार्यभार सम्भालेंगे । यदि यह बात ठीक है तो इस नियुक्ति में अब तक इतना विलम्ब किस कारण से हो रहा है ?

†**श्री हाथी** : राजस्थान सरकार ने श्री कंवर सेन की सेवायें उपलब्ध कराने के लिये सरकार से प्रार्थना की थी और भारत सरकार इस बात के लिये सहमत हो गई है । उनकी यहां पर कार्यावधि अक्तूबर में समाप्त हो जायेगी और इसके बाद वे वहां का चार्ज सम्भाल लेंगे ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर उठे--

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने माननीय सदस्य को पांच प्रश्न पूछने की अनुमति दे दी है अब मैं उन्हें और प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दे सकता ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : यदि आप अनुमति दें तो मैं केवल एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं । अभी तक भाग (ख) का कोई उत्तर नहीं दिया गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : ये ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तरों से माननीय सदस्य को कभी भी पूरा सन्तोष नहीं हो सकता । इसलिये इनका आगे उत्तर नहीं दिया जायेगा ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मेरे सन्तोष के लिये नहीं किन्तु आपके सन्तोष के लिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे सन्तोष हो चुका है । माननीय मंत्री व सदस्य दोनों लगभग एक ही क्षेत्र से आये हैं । दोनों को इस विषय में रुचि है ।

†**श्री हाथी** : उनको सब बातें पता हैं ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि बस्तियां बसाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**श्री हाथी** : ये कदम तभी उठाये जायेंगे जबकि प्रशासकीय ढांचा तैयार हो जायेगा और यह समितियां बन जायेंगी ।

वायुमार्गों में परिवर्तन

+

†*४४१. **श्री तंगामणि** :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री अमर सिंह डामर :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन अनुसूचित विमान सेवाओं के वायुमार्गों में परिवर्तन करने का विचार कर रही है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो यह परिवर्तन कब तक होने की आशा है; और

(ग) क्या इन परिवर्तनों से सरकार को कोई वित्तीय लाभ होगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) जी हां ।

(ख) अभी विस्तृत विवरणों पर विचार किया जा रहा है ।

(ग) इन परिवर्तनों का एक उद्देश्य यह भी है कि व्यर्थ की उड़ानों को यथासम्भव घटाया जा सके तथा कारपोरेशन के व्यय में मितव्ययता की जा सके ।

†**श्री तंगामणि** : असैनिक उड्डयन उपमंत्री ने १५ जून, १९५८ को मद्रास में यह कहा था कि मद्रास से मदुरा तक एक पृथक् वायुमार्ग खोला जायेगा । यह वायुमार्ग कब तक चालू हो जायेगा ?

†**श्री स० का० पाटिल** : मुझे मद्रास-मदुरा मार्ग के बारे में कोई जानकारी नहीं है । किन्तु हम वर्तमान मार्गों में कुछ परिवर्तन करने का विचार कर रहे हैं । सम्भव है इससे दो और नये मार्ग खुल जायें ।

†**श्री तंगामणि** : क्या हाल में किरायों में जो वृद्धि हुई है उसके कारण क्या यात्रियों की संख्या में कुछ घटा-बढ़ी हुई है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : अभी कुछ ही हफ्तों में यह बताना बड़ा कठिन है; किन्तु जो आंकड़े मुझे बताये गये हैं उनसे कुछ आय बढ़ने की आशा की जा सकती है ।

†**श्री बसुमतारी** : गोहाटी-सिल्चर विमान सेवा किस कारण से बन्द कर दी गई है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : यह इस प्रश्न का भाग नहीं है । यह एक सर्वथा भिन्न प्रश्न है ।

†**श्री मि० सू० मूर्त्ति** : क्या विशाखापटनम् से हैदराबाद तक कोई वायुमार्ग खोलने का कोई विचार है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न एक सामान्य प्रश्न है । इसमें सभी मार्गों की पृथक् जानकारी कैसे दी जा सकती है ? माननीय मंत्री किसी दिन सारी योजना के बारे में बता सकते हैं कि किन मार्गों में परिवर्तन हुए हैं ।

†**श्री जयपाल सिंह** : इस पुनरीक्षण अथवा विस्तार से अनुसूचित सेवाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? क्या इस परिवर्तन से उनकी स्थिति में कुछ सुधार होने की आशा है अथवा वह और भी बिगड़ जायेगी ?

†**श्री स० का० पाटिल** : इसका उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । वे सेवायें जैसी की तैसी बनी रहेंगी ।

†**श्री जोकीम आल्वा** : क्या लाल समिति का जिसने कि किराये-भाड़े दरों के ढांचे के बारे में सिफारिशें दी थीं, किराये बढ़ाने से कोई सम्बन्ध है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : जी नहीं । सामान्य रूप से उड्डयन विभाग का यह उद्देश्य रहता है कि वह अपनी सेवाओं को आर्थिक आधार पर तथा मितव्ययतापूर्वक चलाये । इसके लिये वह दरों आदि का निरन्तर पुनरीक्षण करता रहता है । उस समिति का इस वृद्धि से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बीरेन राय** : जोधपुर पहले दिल्ली-कराची व दिल्ली-जयपुर-जोधपुर-बम्बई दोनों मार्गों पर था । क्या मंत्री महोदय अब इसे नयी पुनरीक्षित सूची में भी दोनों मार्गों पर रखेंगे ?

†**श्री स० का० पाटिल** : अभी यह विषय विचाराधीन है । मैं इस सम्बन्ध में सभा को दो बातें बताना चाहता हूं । एक तो यह कि इस परिवर्तन के पीछे हमारा यह उद्देश्य है कि सेवाओं का मितव्ययता से संचालन किया जाये । और, दूसरे, यह कि जहां पर बहुत आवश्यक हैं वहां पर वायु-मार्ग खोले जायें—फिर वे भले ही मितव्ययता से न संचालित किये जा सकें । हम इनके अनुसार जो भी अन्तिम ढांचा तैयार करेंगे सभा को उससे अवगत करा देंगे ।

†**श्री दासप्पा** : क्या जनता, श्रेष्ठि चत्वरों तथा राज्य सरकारों आदि से इस सम्बन्ध में कोई सुझाव मांगे गये हैं ?

†**श्री स० का० पाटिल** : ऐसा करना बड़ा कठिन है । यदि हम हर व्यक्ति से सुझाव मांगने लगें तो हमें कोई परिवर्तन करने में बरसों लग जायें ।

†**श्री तंगामणि** : मार्गों में परिवर्तन करने पर क्या भाड़ों में भी कोई परिवर्तन किया जायेगा ?

†**श्री स० का० पाटिल** : हमारा भाड़ों में कोई परिवर्तन करने का कोई इरादा नहीं है । हम तब तक भाड़ों में कोई परिवर्तन नहीं करते जब तक कि मजबूर न हों । खास कर मार्ग परिवर्तन के साथ भाड़ों में परिवर्तन करने का हमारा कतई इरादा नहीं है ।

खाद्योत्पादन लक्ष्य

†*४४२. **श्री कोडियान :**
श्री दी० चं० शर्मा :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री राम कृष्ण :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के पहले दो वर्षों के लिये कृषि पद्धति तथा सुविधाओं में सुधार के कारण अतिरिक्त खाद्योत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) क्या यह लक्ष्य पूरा करने में कुछ कमी रह गई है; और

(ग) यदि हां, तो कितनी; और

(घ) यह कमी किन कारणों से हुई ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) से (घ). लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १२७]**

†**श्री कोडियान** : विवरण से यह विदित होता है कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना के पहले दो वर्षों के लिये अतिरिक्त खाद्योत्पादन के लिये जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था वह पूरा नहीं

---

†मूल अंग्रेज़ी में

हो सका है । इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या मैं यह जान सकता हूं कि सरकार योजना की शेष अवधि के लिये निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिये क्या अतिरिक्त उपाय कर रही है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : हम दो दिन तक खाद्य स्थिति पर वाद-विवाद करते रहे हैं । और जब मंत्री महोदय उस समय प्रत्येक बार १।।-१।। घंटा लेने पर भी इस सभा के सदस्यों को संतुष्ट नहीं कर पाये तब अब वह एक मिनट में क्या उत्तर दे सकेंगे । वास्तव में खाद्य स्थिति पर वाद-विवाद के पश्चात् अब मुझे ऐसे प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिये किन्तु फिर भी मुझे कोई आपत्ति नहीं ।

†**श्री अ० म० थामस** : सरकार ने इस कमी के कारणों का विस्तृत अध्ययन किया है । हाल ही में हम ने दक्षिणी व पूर्वी क्षेत्रों के राज्यों की एक बैठक बुलाई है । और अब हम मध्य तथा उत्तरी क्षेत्रों के राज्यों की भी एक बैठक बुलाने जा रहे हैं । लघु सिंचाई योजनाओं के क्षेत्रीय सम्मेलनों में राज्य सरकारों पर यह बल दिया गया है कि वे बढ़ी हुई लघु सिंचाई व्यवस्थाओं का पूरा पूरा लाभ उठाने का प्रयास करें तथा चालू सिंचाई कार्यों को पूरा करने के काम को शीर्ष प्राथमिकता दें । जहां तक बीज फार्मों द्वारा उचित मात्रा में बीज न पैदा कर सकने का प्रश्न है, उसके सम्बन्ध में एक पृथक् प्रश्न संख्या ४७६ पूछा गया है । इसलिये मैं उसका यहां उत्तर नहीं देता हूं । लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये हम प्रत्येक सम्भव प्रयत्न कर रहे हैं ।

†**श्री साधन गुप्त** : विवरण में यह कहा गया है कि राज्यों का पुनर्गठन भी कमी का एक कारण है । क्या मैं जान सकता हूं कि जिन राज्यों पर पुनर्गठन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा या बहुत कम प्रभाव पड़ा है क्या उनमें यह लक्ष्य पूरे हुए हैं और यदि नहीं तो उनमें से कितने राज्यों ने पूरे किये हैं ?

†**श्री अ० म० थामस** : उन राज्यों ने अन्य राज्यों की अपेक्षा जिन पर कि पुनर्गठन का अधिक प्रभाव पड़ा है, अच्छी प्रगति दिखाई है ।

†**श्री साधन गुप्त** : क्या उन्होंने लक्ष्यों को पूरा किया है ?

†**श्री अ० म० थामस** : यद्यपि वे राज्य लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाये हैं ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : सरकार कितने समय में सिंचाई की योजनाओं का पूरा पूरा लाभ उठा पायेगी । इसके लिये उसे कितने महीने लग जायेंगे ?

†**श्री अ० म० थामस** : अभी जल उपकर के सम्बन्ध में राज्य सरकारों से बातचीत चल रही है । बिहार सरकार ने इस उपकर को बहुत घटा दिया है । हमें आशा है कि शेष राज्य भी शीघ्र ही इसको घटा कर जल संसाधनों का पूरा लाभ उठाने की कोशिश करेंगे ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या इन दो सालों के लक्ष्यों में जो कमी हुई है उसे १९५८–५९ में पूरा करने का प्रयास किया जायेगा ?

†**श्री अ० म० थामस** : ऐसा करना सम्भव नहीं हो सकेगा ।

†**श्री त्यागी** : यह लक्ष्य किस आधार पर तैयार किये गये थे । क्या राज्य सरकारों से कुछ पूछा गया था और किस राज्य में इनकी सब से कम प्राप्ति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० म० थामस** : मैं प्रत्येक राज्य की सफलता व असफलता का इस समय संक्षेप में उल्लेख नहीं कर सकता । हां, इतना अवश्य हुआ है कि यह लक्ष्य राज्य सरकारों से परामर्श करके निर्धारित किये गये थे ।

†**श्री रंगा** : क्या यह सच है कि आन्ध्र सरकार ने बारम्बार यह प्रस्ताव भेजा है कि तुंगभद्रा नदी की के० सी० नहर की अयाकुट सिंचाई योजना के अन्तर्गत और अधिक भूमि शामिल की जानी चाहिये ?

†**श्री अ० म० थामस** : आन्ध्र सरकार की अधिकांश मांगों को हमने पूरा कर दिया है । शेष मांगों पर लघु सिंचाई व्यवस्था हो जाने पर हम विचार करेंगे । हम इस सम्बन्ध में योजना आयोग से भी बात चीत कर रहे हैं ।

†**श्रीमती मंजुला देवी** : आसाम में कुल कितनी वृद्धि हुई है ?

†**श्री अ० म० थामस** : अन्तिम प्राक्कलनों के अनुसार ४,२०७ एकड़ अधिक भूमि सिंचाई के अन्तर्गत लाई गई है । १९५७–५८ में १,५८६,००० टन उत्पादन हुआ है जब कि १९५६–५७ में १,७०७,००० टन उत्पादन हुआ था ।

†**श्री साधन गुप्त** : क्या पश्चिमी बंगाल ने अपने लक्ष्य पूरे कर लिये हैं ? यदि नहीं, तो वह अपने लक्ष्य से कितना पीछे रहा है ?

†**श्री अ० म० थामस** : पश्चिमी बंगाल में १९५७–५८ में ४० लाख टन उत्पादन हुआ है । १९५६–५७ में ४० लाख ५७३ हज़ार टन उत्पादन हुआ था ।

अमरीकन 'लिबर्टी' जहाजों का क्रय

†***४४३. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २६ अप्रैल, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १८५८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अमरीकी 'लिबर्टी' जहाज़ों के खरीदने के बारे में जो बातचीत चल रही थी उसमें कहां तक प्रगति हुई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : अभी तक अमरीकी माथबॉल 'लिबर्टी' जहाज़ों के खरीदने के बारे में जो बातचीत चल रही थी उसमें कोई प्रगति नहीं है । एक बात और है आजकल माथबाल लिबर्टी जहाज़ों की खुले बाज़ार में इतनी कीमत घट गई है कि अब हमें उन जहाज़ों के लिये बातचीत चलाने में कोई खास फायदा नहीं है जब तक कि हमें वे और भी सस्ते दामों या उधार अथवा किस्तों पर न मिल सकें ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या इसका यह अर्थ है कि अब उनके खरीदने के लिये और कोई बातचीत नहीं चलाई जायेगी?

†**श्री राज बहादुर** : मैं अभी कह चुका हूं कि अगर हमें इन शर्तों पर जहाज़ मिल सकेंगे तो हम आगे बातचीत चलायेंगे । यदि हमें आर्थिक दृष्टि से सस्ते दामों पर मिल सकेंगे तभी हम उन्हें खरीदेंगे । उनकी यह शर्त भी हमारे अनुकूल नहीं है कि हम उनका केवल तटीय व्यापार के लिये ही प्रयोग कर सकेंगे । इसलिये जब हमें अनुकूल शर्तों पर जहाज़ मिलेंगे हम तभी खरीदेंगे ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : यह बातचीत किस अभिकरण के माध्यम से चल रही है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री राज बहादुर** : इसके लिये हमारा अमरीका राजदूतावास है । इस समय अमरीकी सरकार अगर इस सम्बन्ध में आवश्यक विधान बना ले तभी आगे बातचीत चल सकती है। हम उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। खुले बाज़ार में आज एक जहाज़ की क़ीमत २० लाख रुपये है और फिर खुले बाज़ार में ऐसी भी कोई शर्त नहीं है कि हम जहाज़ों का केवल तटीय व्यापार के लिये ही प्रयोग कर सकेंगे ।

†**श्री बर्मन** : क्या यह सच नहीं है कि उनकी चाल बड़ी धीमी है और इसलिये आजकल के वाणिज्य संसार में उनका अधिक मूल्य नहीं रहा है ?

†**श्री राज बहादुर** : यह तो दो जहाज़ो की तुलनात्मक उपयोगिता का प्रश्न है । यह एक पुराना जहाज़ है जो सर्वख्यात हो चुका है और अधिक समय तक चल सकता है । इसमें कोई शक नहीं कि नौ-निर्माण में अब बड़ी प्राविधिक प्रगति हो चुकी है और अब अधिक रफ़्तार तथा क्षमता के जहाज़ मिलने लगे हैं। उनकी तुलना में यह जहाज़ अवश्य ही अधिक अच्छे नहीं बैठ सकते ।

†**श्री तंगामणि** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये 'लिबर्टी' जहाज़ धीमी गति के जहाज़ हैं और अब पुराने पड़ गये हैं और इस समय कोई भी निजी कम्पनी ऐसे जहाज़ों को खरीदने के लिये तैयार नहीं है, क्या सरकार इन जहाज़ों के खरीदने के इरादे को तर्क नहीं कर सकती है ?

†**श्री राज बहादुर** : मैं समझता हूं कि अभी ये जहाज़ बिल्कुल आउट आफ डेट हुये हैं क्योंकि यह अभी भी समुद्रों में चल रहे हैं हां, इसमें कोई शक नहीं कि अब लोग इनकी अधिक खरीद-दारी नहीं करते ।

†**श्रीमती मंजुला देवी** : क्या सरकार जापान से जहाज़ खरीदने का कोई विचार रखती है जो कि काफी कम कीमत पर जहाज़ बेचने को तैयार है ?

†**श्री राज बहादुर** : इस समय हम लिबर्टी जहाज़ों के खरीदने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं। हां, हमें ५० लाख येन का ऋण मिला है, और हम उससे कुछ जहाज़ खरीदने का विचार कर रहे हैं ।

असैनिक विमान चालकों का प्रशिक्षण

†*४४४. **श्री सूपकार** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ७ मार्च, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ७२७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समिति की विमान चालकों के संवरण, प्रशिक्षण तथा उन्हें लाइसेंस देने के बारे में सिफारिशों में से अब तक कितनी सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा चुका है ; और

(ख) क्या सरकार भारतीय विमान बल के असैनिक विमान चालकों को प्रशिक्षण देने के प्रस्ताव का कोई लाभ उठाना चाहती है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) तथा (ख). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १२८]**

†**श्री बीरेन राय** : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि सारे भारत में फ्लाइंग क्लबों में विमानों की कमी तथा विमानचालक प्रशिक्षकों के स्तर के कारण विमानचालक प्रशिक्षण में बहुत

---

†मूल अंग्रेज़ी में

कमी हो गई है, सरकार इन प्रशिक्षकों के स्तर को ऊंचा उठाने के लिये विशेष रूप से जबकि आज कल उड्डयन उपकरणों में बड़ी जटिलता आ गई है, क्या कदम उठाना चाहती है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : यह एक बिल्कुल पृथक् विषय है । जहां तक समिति का सम्बन्ध है, हमें यह विचार करना है कि हमें विमान बल तथा असैनिक उड्डयन विभाग से किस अनुपात में विमान चालक प्रशिक्षक मिल सकते हैं । हम इस बात का भरसक प्रयत्न करेंगे कि देश में उड्डयन के प्रशिक्षण का स्तर अधिक ऊंचा बढ़ाया जा सके ।

†**श्री बीरेन राय** : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि पहले विमान चालकों का संवरण एक ऐसे ग्रुप में से किया जाता था जो कि एयर इंडिया इंटरनेशनल, एयर लाइन्स कारपोरेशन तथा असैनिक उड्डयन महानिर्देशक के अन्तर्गत काम करने वाले कर्मचारियों में से 'उड्डयन की प्रवृत्ति' रखने वाले लोगों के आधार पर चुना जाता था, क्या भविष्य में भी विमानचालकों का इसी 'उड्डयन प्रवृत्ति' के आधार पर संवरण किया जायेगा ?

†**श्री स० का० पाटिल** : इन सभी बातों पर अभी विचार किया जा रहा है और जब तक उन पर कोई निश्चय नहीं हो जाता मैं उनके बारे में कोई चर्चा नहीं कर सकता ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि समिति ने इलाहाबाद के अतिरिक्त किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर एक उड्डयन प्रशिक्षण स्कूल खोलने की सिफारिश की है और यह कहा है कि इसका व्यय एयर कारपोरेशन तथा सरकार मिल कर वहन करें? यदि हां, तो सरकार ने इसकी कार्यान्विति के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

†**श्री स० का० पाटिल** : मैं इस समय सही सही नहीं बता सकता कि इस सम्बन्ध में समिति की क्या सिफारिश है । किन्तु यदि उड्डयन प्रशिक्षण को अधिक लोकप्रिय बनाने की दृष्टि से यह आवश्यक हुआ तो हम निश्चय ही ऐसा स्कूल खोलने के प्रश्न पर विचार करेंगे ।

†**श्री जोकीम आल्वा** : क्या उड्डयन प्रशिक्षण में 'रात्री के समय विमान चालन' का विषय अनिवार्य होगा ?

†**श्री स० का० पाटिल** : 'रात्री के समय विमान चालन' का विषय पहले से ही विमान चालकों के लिये एक अनिवार्य विषय है । जिसको इस प्रकार का अनुभव नहीं होता उसे कभी भी विमान चलाने को नहीं कहा जाना चाहिये ।

गन्ने का बकाया मूल्य

*४४५. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई राज्यों के चीनी मिल क्षेत्रों में सरकार द्वारा स्थापित गन्ना विपणन संघों को १९५६–५७ और १९५७–५८ में किसानों द्वारा दिये गये गन्ने का मूल्य अभी चुकाना है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बक़ाया राशि के भुगतान के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को कोई हिदायतें दी हैं ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) और (ख). इस विषय में भारत सरकार के पास कोई निश्चित सूचना नहीं है । सहकारी संस्थाओं द्वारा संस्था के सदस्यों को

†मूल अंग्रेज़ी में

गन्ने का मूल्य चुकाने का कार्य, मुख्यतया संस्था के प्रबन्धकों और उनके सदस्यों का अपना आपस का मामला है। यह संस्थाएं राज्य गन्ना आयुक्तों के तत्वाधान में स्टेट सुगर केन (रेगुलेशन एण्ड परचेज़) एक्ट्स तथा उनके आधीन बने हुये नियमों के अनुसार कार्य करती हैं।

श्री विभूति मिश्र : अध्यक्ष जी, मुझे १२ अगस्त को इस मिनिस्ट्री से अतारांकित प्रश्न संख्या १४२ का जवाब मिला है जिसको देखने से पता चलता है कि सारे हिन्दुस्तान के ग्रोअर्स का १,६१,२६,००० रुपया बाकी है। आन्ध्र में ६ मिलों पर ३७,२८,००० बाक़ी है, आन्ध्र में एक मिल है बोबिली उस पर १३ लाख ४३ हज़ार बाकी है। इसी तरह से बिहार में मोतीहारी मिल पर ११,९०,००० बाकी है।

अध्यक्ष महोदय : इतना आप क्यों पढ़ रहे हैं। रिपोर्ट में जो भी है, वह तो सभा पटल पर रख ही दिया गया है। आप प्रश्न पूछिये। आप उसे क्यों पढ़ते जा रहे हैं।

श्री विभूति मिश्र : अभी मंत्री जी ने बतलाया कि मुझे कुछ पता नहीं है मगर १२ अगस्त को मेरे अतारांकित प्रश्न संख्या १४२ के उत्तर में बतलाया गया है कि सारे देश के ग्रोअर्स का १,६१,२६,००० रुपया बाकी है। इस चीनी के एक मन पर केन्द्रीय सरकार ९ रुपया ८ आना लेती है, दो रुपया प्रति मन प्रान्तीय सरकार लेती है। इस तरह से चीनी पर सरकार का हक रहता है। मैं जानना चाहता हूं कि किसान को उसका दाम दिलाने के लिये कौन ज़िम्मेवार है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : हमें केवल गन्ना नियंत्रण आदेश के प्रशासन से मतलब है। कारखानों और उन समितियों तथा व्यक्तिगत उत्पादकों के बीच की गन्ने की बक़ाया कीमतों के आंकड़े ही हम रखते हैं जो कारखानों को गन्ना देते हैं। अन्य मामले जैसा कि मैं पहिले ही बता चुका हूं, सम्बन्धित राज्यों की सहकारी समितियों तथा वहां के विभिन्न आयुक्तों के बीच के हैं। परन्तु मेरे माननीय मित्र ने जो जानकारी दी है वह पूर्णतः ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार संघों के पास १-७-१९५८ को पिछले दो वर्षों की कुल गन्ना कीमत का ४१,३५,५४,००० रुपयों की रक़म में से बकाया रक़म ४,९८,००० रुपये या ०.१२ प्रतिशत होती है। सन् १९५७-५८ के लिये गन्ने की कुल कीमत ३५,८२,००,००० होगी और बक़ाया रक़म २७,००,००० अर्थात् ०.७६ प्रतिशत होगी। कुछ मामलों में संघों ने विभिन्न उत्पादकों को दी जाने वाली रक़म से ज्यादा रकम चुका दी है ; और उत्तर प्रदेश में ही यह रक़म लगभग ३०.८८ लाख होगी। बिहार के सम्बन्ध में अलग से आंकड़े नहीं मिले हैं।

†**श्री च० द० पांडे** : क्या सरकार को यह मालूम हो गया है कि उत्तर प्रदेश के कुछ चीनी कारखानों में विशेषकर बहेरी, बरेली तथा रामपुर के कारखानों को इस दोषारोपण के कारण कि वसूली कम है पहिले की गई २ आने की घटती को बढ़ाकर रक़म चुकाने का निदेश दिया गया था जब कि वसूली पिछली बक़ाया रक़मों की औसत से मिलती जुलती थी। फिर भी, बक़ाया रक़में अभी तक नहीं चुकायी गईं। माननीय मंत्री ने मुझे आश्वासन दिया था कि वे चुका दी जायेंगी। उन्हें न चुकाने के क्या कारण हैं ?

†**श्री अ० म० थामस** : एक कारखाने को छोड़ कर जिसका उल्लेख मेरे माननीय मित्र श्री त्यागी ने किया है, अन्य सभी कारखानों के मामलों में २ आने की कटौती पूरी कर दी गई थी। हम यह देखेंगे कि पूरी रक़म चुकाई जा चुकी है अथवा नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री विभूति मिश्र : मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में कोई क़दम उठाना चाहती है कि जो किसानों का रुपया बक़ाया है उसको जल्दी से जल्दी दिला दे ?

†**श्री अ० म० थामस** : यह एक ऐसा मामला है कि जो राज्य सरकारों, संघों या उनके सम्बन्धित सदस्यों द्वारा काम में लाये गये गन्नों के चुकाने का निरीक्षण करने वाले गन्ना आयुक्तों के साथ ही तय किया जा सकता है ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या इस सम्बन्ध में भी केन्द्रीय सरकार ने कोई कार्यवाही की है ?

†**श्री अ० म० थामस** : हमारा काम सलाह देने का ही है ।

दिल्ली के गांवों में सिंचाई के लिये पानी देना

+

†*४४८. { **श्री राधा रमण :**
श्री नवल प्रभाकर :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के गांव सिंचाई के पानी के लिये प्राथमिक रूप से पंजाब पर निर्भर हैं और पंजाब सरकार द्वारा दिया गया पानी न तो पर्याप्त ही है और न ही वह उस समय मिलता है जब कि ज़रूरत होती है ;

(ख) पानी की कुल कितनी मात्रा दी जाती है ; और सिंचाई वाले क्षेत्र के लिये कितने क्यूजेक पानी की ज़रूरत होती है तथा वह किस मौसम में दिया जाता है ;

(ग) यह पानी किस आधार पर दिया जाता है ; और

(घ) इस स्थिति को सुधारने के लिये सरकार आगे क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी, हां । दिल्ली के कुछ गांव सिंचाई के पानी के दिये जाने के लिये पंजाब पर निर्भर हैं परन्तु पंजाब के अपर्याप्त पानी दने का कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि जल का वितरण राज्यों की सीमा का ध्यान न रख कर नदी से मिलने वाले पानी को ध्यान में रख कर किया जाता है ।

(ख) दिल्ली के गांवों को सिंचाई के लिये कुल २८७ क्यूजेक पानी दिया जाता है, जिसमें से २५५ क्यूजेक पानी निरंतर स्थायी नहरों से दिया जाता है और ३२ क्यूजेक पानी ख़रीफ़ फसल की अवधि में केवल बाढ़ की नहरों के द्वारा ही दिया जाता है ।

(ग) एक आवर्ती कार्यक्रम[1] तथा मिलने वाले नदी में उपलब्ध पानी के अनुसार ही जल का वितरण किया जाता है ।

(घ) यमुना नहर की पश्चिमी नहर को नये सिरे से फिर बनाने की योजना पंजाब सरकार के विचाराधीन है । इस योजना में दिल्ली राज्य का क्षेत्र भी शामिल रहेगा । इस क्षेत्र को अधिक पानी देना विनिश्चित करने के लिये वह यमुना नदी पर बांध बनाने की सुकरता पर भी विचार कर रही है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Rotational Programme.

†**श्री राधा रमण** : क्या सरकार को यह मालूम है कि दिल्ली के गांवों को दिया जाने वाला पानी उस ढंग से दिया जाता है कि जब ज़रूरत अधिक होती है तब पंजाब सरकार कम पानी देती है और जब कम पानी की ज़रूरत होती है तब अधिक पानी देती है ? क्या सरकार ने यह विनिश्चय करने के लिये कोई कार्यवाही की है कि पानी नियमित रूप से और ज़रूरत के अनुसार दिया जाये ?

†**श्री हाथी** : मैं पहिले ही बता चुका हूं कि पानी का दिया जाना नदी में उपलब्ध पानी पर निर्भर है ; उन्हें २५५ क्यूजेक पानी निरन्तर दिया जाता है और खरीफ़ की अवधि में ३२ क्यूजेक दिया जाता है । परन्तु यह सब भी नदी में उपलब्ध पानी पर ही निर्भर है ।

†**श्री राधा रमण** : जिन गांवों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता सरकार उन्हें कुछ छूट देती है । परन्तु क्या यह सच है कि छूट ठीक समय पर नहीं दी जाती जिससे कि ग्रामीण या किसान कठिनाई का सामना कर सकें ?

†**श्री हाथी** : मुझे इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है ।

गोहाटी पत्तन का विकास

†*४५२. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य तथा कृषि संगठन[1] ने गोहाटी पत्तन के विकास के लिये जोरदार सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में खाद्य तथा कृषि संस्था की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इस रिपोर्ट पर विचार कर लिया है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). खाद्य तथा कृषि संगठन के विशेषज्ञ ने सिफारिश की है कि आसाम को शेष भारत से जलमार्ग द्वारा जोड़ने तथा एक वितरण केन्द्र बनाने के लिये गोहाटी पर एक नदी जलपत्तन का विकास किया जाये ।

(ग) जी हां ।

(घ) प्रारम्भ में, पांडु घाट को विकास करने का प्रस्ताव है जो कि गोहाटी से केवल पांच मील दूर है ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या सरकार ने खाद्य तथा कृषि संगठन की सिफारिशों पर विचार कर लिया है ; यदि हां, तो उसके क्या परिणाम हैं ?

†**श्री राज बहादुर** : खाद्य तथा कृषि संगठन के विशेषज्ञ श्री विटर्नबर्ग की नियुक्ति मुख्यत: सन् १९५४ में वन रोपण के विकास सम्बन्धी रिपोर्ट देने के लिये की गई थी । संयोगवश कुछ परिवहन समस्यायें भी सामने आईं और उन्होंने गोहाटी पत्तन के विकास का सुझाव दिया । परन्तु हमारे गंगा-ब्रह्मपुत्र जल मार्ग विकास बोर्ड ने सलाह दी है कि हमें पहिले पांडु पत्तन का विकास करना चाहिये जो कि वहां से केवल पांच ही मील दूर है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]F.A.O.

†**श्री हेम बरुआ** : इस तथ्य की दृष्टि से कि आसाम में संयुक्त स्टीमर समवाय नदी जल मार्ग की सेवाओं को बन्द करने की धमकी दे रहे हैं क्या खाद्य तथा कृषि सगठन की गोहाटी पत्तन का विकास करने की सिफारिश पर ध्यान दिया जा रहा है ?

†**श्री राज बहादुर** : मैं यह स्पष्ट कर दूं कि हम गोहाटी पत्तन का विकास करने के लिये अत्यन्त उत्सुक हैं परन्तु इस सम्बन्ध में हमें अपनी उत्सुकता तथा प्रस्तावों पर प्राप्य वित्तीय संसाधनों की दृष्टि से विचार करना होगा । इसको दृष्टि में रखते हुए हम ने संयुक्त स्टीमर समवायों को पहिले ही ३० लाख रुपये बतौर कर्ज के दे दिये हैं और अगले तीन वर्षों तक नदी की सफाई के लिये विशेष कर उस मार्ग की सफाई के लिये सालाना ५ लाख रुपये की व्यवस्था कर दी है ।

हावड़ा जानेवाली पंजाब मेल के साथ दुर्घटना

+

†*४५३. **श्री स० म० बनर्जी :**
श्री मोहम्मद इलियास :
श्री वाजपेयी :
श्री उ० ल० पाटिल :
श्री कालिका सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ६ डाउन पंजाब मेल जो कलकत्ता जा रही थी १३ जून, १९५८ को उत्तर रेलवे के रहीमाबाद और दिलावरनगर स्टेशनों के बीच पटरी से उतर गई थी ;

(ख) इस दुर्घटना में हताहत लोगों के तथा अन्य ब्यौरे क्या हैं ;

(ग) क्या पटरी से उतर जाने के कारणों की कोई जांच की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उससे क्या पता चला है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). १३ जून, १९५८ को लगभग १२ बजे जब ६ डाउन पंजाब मेल उत्तर रेलवे के शाहजहांपुर––लखनऊ भाग के रहीमाबाद और दिलावरनगर स्टेशनों के बीच में जा रही थी तब २१९/२४–२१ वें मील पर पिछले पांच डिब्बे पटरी से उतर गये जिससे पांच आदमियों को मामूली चोटें लगीं हैं ।

ऐसा अन्दाजा लगाया गया है कि रेलवे सम्पत्ति में ५० ,६९५ रुपयों की हानि हुई है ।

(ग) जी, हां । सरकार के रेलवे दुर्घटना निरीक्षक द्वारा दुर्घटना की जांच की गई थी ।

(घ) उसकी अन्तः कालीन उपपत्ति यह है कि एक डिब्बे के स्प्रिंग आधार के टूट जाने से ही डिब्बे पटरी से उत्तर गये थे । सरकारी निरीक्षक की ब्यौरेवार रिपोर्ट, जिसकी प्रतीक्षा हो रही है, प्राप्त हो जाने पर उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : रेलों की दुर्घटनाओं और उनके पटरी से उतर जाने में कमी करने के बारे में क्या निश्चित कार्यवाही की गई है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : सामान्य रूप से ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० म० बनर्जी** : मैं यह जानना चाहता हूं कि इसमें कमी के बजाय बढ़ती क्यों होती जा रही है । जितनी ही हम सभा में इस पर चर्चा करते हैं उतनी ही उसमें वृद्धि होती जाती है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को चाहिये कि वे श्रमिकों को भी परामर्श दें ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : किन्तु सरकार को उनमें विश्वास नहीं है ।

†**श्री शाहनवाज खां** : इस विषय पर सभा में अनेक बार चर्चा हो चुकी है । अभी उस दिन माननीय रेलवे मंत्री ने कहा था कि वह पिछले बीस वर्षों में हुई रेल दुर्घटनाओं का एक विशद विवेचन सदन के सम्मुख रखेंगे । मैं समझता हूं कि उसी समय इस पर चर्चा करना उपयुक्त होगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री उसका हल भी बतायेंगे । मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय न केवल दुर्घटनाओं का उल्लेख ही करेंगे अपितु उन्हें बचाने के उपाय भी बतायेंगे ।

†**श्री तंगामणि** : भाग (क) के उत्तर में उपमंत्री ने बताया है कि डिब्बे में खराबी के कारण वह पटरी से उतर गया था । हम समझते हैं कि इसी प्रकार की परिस्थितियां होने पर इसी प्रकार की घटनायें होती रहती हैं । क्या आज जो महाप्रबन्ध सम्मेलन होने जा रहा है, उसमें इस पहलू पर विचार-विमर्श किया जायेगा ?

†**श्री शाहनवाज खां** : हम उन सभी पहलुओं पर विचार करेंगे जिन के कारण रेल दुर्घटनायें होती हैं । मशीनरी के पुर्जों में टूट-फूट हो जाना इसका एक प्रमुख कारण होता है और ऐसे हिस्सों की रसायनिक जांच की जा रही है । इस दुर्घटना विशेष में भी इसकी जांच के लिये उसे गवेषणा केन्द्र भेजा गया है जिनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है जिसके प्राप्त हो जाने पर जी० आर० आई० अपनी अन्तिम रिपोर्ट देगी ।

†**श्री जोकीम आल्वा** : पिछले सत्र में मैंने उपमंत्री महोदय श्री रामस्वामी से पूछा था कि क्या रेलवे बोर्ड ने ऐसी दुर्घटानाओं को निबटाने के लिये जो इनका पता लगा सकें, स्थान की जांच कर सकें और पिछली दुर्घटनाओं से मुकाबला कर सुझाव दे सकें, ऐसा कोई विशेष आपातकालिक एकक स्थापित किया है ?

†**श्री शाह नवाज खां** : माननीय सदस्य को यह जानकर हर्ष होगा कि ऐसा एक गवेषणा-कक्ष रेलवे बोर्ड और प्रत्येक रेलवे में है । अब हम ने प्रत्येक रेलवे में एक सुरक्षा संगठन स्थापित कर दिया है जिसका कार्य वही होगा जो माननीय सदस्य चाहेंगे ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : कहा यह जाता है कि पटरी से उतर जाने की दुर्घटना स्प्रिंग टूट जाने से हुई । क्या इस बोगी की अवधि समाप्त हो चुकी थी अथवा यह नई बनी थी ?

†**श्री शाहनवाज खां** : जी० आर० आई० की अन्तिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा है; उन्होंने केवल प्रारम्भिक रिपोर्ट भेजी है । हम विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

गन्ने में गवेषणा

†*४५४. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय गन्ना समिति के निरीक्षण में कितनी गन्ना गवेषणा संस्थायें कार्य कर रही हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उत्पादन करने वालों को गवेषणा के परिणाम किस प्रकार बताये जाते हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १२९]**

†**श्री अनिरुद्ध सिंह** : विवरण में कानपुर की राष्ट्रीय गन्ना गवेषणा संस्था का कोई उल्लेख नहीं किया गया है । केन्द्रीय सरकार ने कृषि और गवेषणा के बीच अधिक अच्छे समायोजन की दृष्टि से इसे अपने नियंत्रण में क्यों नहीं रखा ?

†**श्री अ० म० थामस**: यह केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में है । समायोजन भी है ।

†**श्री अनिरुद्ध सिंह** : विवरण में इसका उल्लेख नहीं है ।

†**श्री अ० म० थामस** : मैं समझता हूँ इसका उल्लेख है ।

†**श्री अनिरुद्ध सिंह** : हमारे गन्ने की कम पैदावार और उसकी किस्म को देखते हुये सरकार उसमें सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार करती है ?

†**श्री अ० म० थामस** : यह सत्य है कि हमारे यहां गन्ने की पैदावार कम है । गन्ना समिति स्वयं सभी आवश्यक कार्यवाही कर रही है और इसमें कुछ सुधार भी हुआ है जैसा कि चीनी और गन्ने दोनों के उत्पादन संबंधी आंकड़ों से पता लगेगा ।

†**श्री दासप्पा** : विभिन्न राज्यों से कितना गन्ना उपकर वसूल किया गया है और उसमें से गवेषणा पर कितना व्यय किया जा चुका है ?

†**श्री अ० म० थामस** : कितनी राशि वसूल की गई है, यह बताने के लिये मैं पूर्व सूचना चाहूंगा । १९५७-५८ में ३८ लाख रुपये व्यय किये गये थे और १९५८-५९ में हम इस पर ६० लाख रुपया व्यय करने जा रहे हैं ।

†**श्री दासप्पा** : क्या यह सच नहीं कि व्यवहारिकतः कुछ राज्यों से जो भी राशि वसूल की गई वह भारत की संचित निधि में जमा कर दी जाती है और गवेषणा पर उसमें से कुछ भी व्यय नहीं की जाती ?

†**श्री अ० म० थामस** : क्या यह सच नहीं जैसा कि आंकड़ों से स्पष्ट पता लगता है कि काफी राशि का उपयोग किया जा रहा है ।

†**श्री त्यागी** : क्या इन संस्थाओं ने इस काल में जो कोई ठोस गवेषणा कार्य किया है उसके बारे में कोई रिपोर्ट दी है ?

†**श्री अ० म० थामस** : जी हां ।

†**श्री त्यागी** : वह क्या है ?

†**श्री अ० म० थामस** : इसका उत्तर एक दो वाक्यों में नहीं दिया जा सकता । विभिन्न संस्थाओं ने बहुत बढ़िया काम कर दिखाया है ।

†**श्री जाधव** : क्या यह सूची विशद सूची है ?

†**श्री अ० म० थामस** : विवरण में २८ गवेषणा केन्द्रों का उल्लेख है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री जाधव** : क्या नासिक ज़िले के लखीमपुर नामक स्थान में भी कोई गवेषणा उप-केन्द्र है ?

†**श्री अ० म० थामस** : उप-केन्द्रों को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। मुझे खेद है कि कुछ उप-केन्द्रों को इसमें सम्मिलित किया गया है। उदाहरण के लिये—इसमें दो उप-केन्द्र लिये गये हैं—एक मेलालठूर और दूसरा मद्रास राज्य के कुलीतलाई तालुक में।

†**अध्यक्ष महोदय** : तो फिर इसका नाम क्यों नहीं शामिल किया गया । (**अन्तर्बाधा**)

†**श्री अ० म० थामस** : क्या इसका संचालन गन्ना गवेषणा संस्था को दी गई राज्य-सहायता द्वारा किया जा रहा है ?

†**श्री जाधव** : जी हां ।

†**श्री अ० म० थामस** : तो हो सकता है कि गलती हो गई हो ; मैं इसकी जांच करूंगा ।

†**श्री तिरुमल राव** : लखनऊ के बद्रू नामक स्थान में एक बहुत बड़ा गवेषणा केन्द्र खोला गया था, इस दृष्टि से क्या उत्तर प्रदेश और बिहार में गन्ने की प्रति एकड़ पैदावार में काफी वृद्धि हुई, और यदि हां, तो कितने प्रतिशत ?

†**श्री अ० म० थामस** : कुछ हद तक काफी वृद्धि हुई है, इसीलिये हम काफी मात्रा में चीनी निर्यात करने की स्थिति में पहुंच सके हैं ।

†**श्री तिरुमल राव** : क्या उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रति एकड़ उत्पादन के तुलनात्मक आंकड़े हमें मिल सकते हैं ?

†**श्री अ० म० थामस** : मैं पूर्व सूचना चाहता हूं ।

†**श्री दासप्पा** : कोयम्बटूर गवेषणा केन्द्र के अतिरिक्त जो कि केन्द्रीय सरकार के अधीन है, क्या किसी अन्य गवेषणा केन्द्र ने कोई नये प्रकार का ऐसा गन्ना खोज निकाला है जो लोकप्रिय हो गया हो ?

†**श्री अ० म० थामस** : मैं पूर्व सूचना चाहता हूं ।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** : क्या संस्था गन्ने की किस्मों की उपादेयता, उर्वरकों आदि के सम्बन्ध में सलाह देती है ?

†**श्री अ० म० थामस** : जी हां, यह विस्तार कार्य का अंश है ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : जितना उपकर वसूल किया जाता है उसका कितना प्रतिशत भारत की संचित निधि में समायोजित किया जाता है और गन्ने के सुधार पर कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है ?

†**श्री अ० म० थामस** : यदि सम्भव हुआ तो सम्पूर्ण राशि ही व्यय की जाती है, किन्तु हो सकता है कि उसी वर्ष में वह राशि समाप्त न हो किन्तु प्रयत्न ऐसा ही किया जाता है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

हुगली में मिट्टी का जमा हो जाना

+

†*४५५. { श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री ही० ना० मुकर्जी :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोअर हुगली, लोअर दामोदर, तथा रूप नारायण नदी की नहरों (चैनल्स) में मिट्टी जमा होने से कलकत्ता पत्तन को खतरा होता जा रहा है ;

(ख) क्या कलकत्ता पत्तन न्यास के आयुक्तों अथवा पश्चिमी बंगाल की सरकार से कोई अभ्यावेदन इस सम्बन्ध में सरकार को प्राप्त हुआ है ; और

(ग) क्या यह सच है कि कलकत्ता में हुगली के तल में अत्यधिक मिट्टी जमा हो जाने के कारण पत्तन अधिकारियों ने हाल में हुगली पर कलकत्ता पत्तन में बाबूघाट से तकताघाट तक जेट्टी पर स्टीमरों को किनारे पर लगाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क), (ख) और (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १३०]

†श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : विवरण में बताया गया है कि नदियों में पानी की कमी से हुगली को कहां तक हानि पहुंचती है यह ठीक-ठीक पता नहीं है। क्या यह सच नहीं कि नदी चैनेल की गहराई का दैनिक रिकार्ड रखा जाता है और उसी के आधार पर जलवर्णन सम्बन्धी सर्वेक्षण किया जाता है। और जलवर्णन सम्बन्धी रिपोर्टें तैयार की जाती हैं ? तब फिर हुगली चैनेल, जो बड़ा महत्वपूर्ण है, उसमें पानी की कमी का पता कैसे नहीं चल पाता ? क्या यह विवरण गम्भीरतापूर्वक तैयार किया गया है ?

†श्री राज बहादुर : इसमें कमी दिखाई गई है। यदि मैं इसका पूर्व इतिहास बताने लगूं तो पहली रिपोर्ट १८९५ में दी गई थी। इस पर विवाद नहीं किया जा सकता। पानी में कमी कभी स्थायीरूप से नहीं रहती। वह कभी ताजे पानी के सम्भरण पर तो कभी किसी वर्ष विशेष में मानसून की सघनता पर तथा कभी कभी ज्वार-भाटा किस प्रकार का आता है और उसका कितना प्रभाव पड़ता है, इस पर निर्भर करता है।

†श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : क्या सरकार का ध्यान पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा नियुक्त की गई लोअर दामोदर जांच समिति की रिपोर्ट की ओर आकर्षित किया गया है, जिसने अपनी यह सम्मति प्रकट की है कि वर्ष में आठ महीने जब कि मानसून नहीं होती तो नदी पर ज्वार-भाटे का प्रभाव नहीं पड़ता और बहुत कुछ उसका अंश हुगली में चला जाता है क्योंकि रूपनारायण नदी में पानी बहुत कम रहता है और नीचे की बहुत कुछ मिट्टी आदि या तो रुक जाती है या हुगली चैनेल में जमा हो जाती है। क्या ये तथ्य और केन्द्रीय जल शक्ति गवेषणा केन्द्र पूना में की गई जांच पड़ताल के परिणाम तथा मुहाने के नमूने की जांच आदि पर भी पत्तन अधिकारियों ने विचार कर लिया है और क्या इस आधार पर हम अधिक विस्तृत विवरण की आशा कर सकते हैं ?

†श्री राज बहादुर : माननीय सदस्य ने जिस रिपोर्ट का उल्लेख किया है उसके बावजूद भी सत्य यह है कि हुगली चैनल को ताजा पानी वर्ष में तीन चार मास के लिये वर्षा ऋतु में ही मिलता है। पूना के गवेषणा केन्द्र में अध्ययन जारी है और हम उसके लिये हल ढूंढ़ रहे हैं। इसका उपाय सभी को विदित है और वह यह कि हम हुगली के लिये ताजा पानी कहीं से भी प्राप्त करना चाहते हैं।

---

†मूल, अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य सुझावों के साथ-साथ भाषण सा दिये जा रहे हैं। प्रश्न छोटा होना चाहिये।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या ज्वार-भाटे के प्रभाव की जांच-पड़ताल की जा चुकी है और क्या सरकार इस विषय पर विस्तृत विवरण दे सकती है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : हम ज्वार-भाटे और नदी में निरन्तर पानी की कमी से भली भांति परिचित हैं। किन्तु उपायों पर विचार किया जा रहा है। ये इतने आसान भी नहीं हैं। हम इस बात को जानते हैं और प्रतिदिन हमें रिपोर्ट मिलती रहती है, यह सच है।

†**श्री साधन गुप्त** : समस्या की गम्भीरता और कहीं और से ताजा पानी प्राप्त करने की आवश्यकता को देखते हुये क्या हम यह जान सकते हैं कि क्या परिवहन तथा संचार मंत्रालय कराका बांध के सम्बन्ध में सिंचाई और विद्युत मंत्रालय से लिखा-पढ़ी करेगा जिससे इस काम में शीघ्रता की जा सके ?

†**श्री स० का० पाटिल** : प्रश्न कहीं से पानी प्राप्त करने का नहीं है, इसका तो एक ही उपाय है जो हमारे माननीय सदस्य बता चुके हैं। हम उसके बारे में बहुत कुछ सोच-विचार भी कर रहे हैं।

पशुओं के प्रति निर्दयता निवारण

+

*४५६. **श्री भक्त दर्शन** :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री दी० चं० शर्मा :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २७ मार्च, १६५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १२४४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पशुओं के प्रति निर्दयता निवारण समिति की सिफारिशें कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १३१]**

†**श्री भक्त दर्शन** : उत्तर के भाग (१) के सम्बन्ध में क्या मैं जान सकता हूं कि क्या उस सिफारिश को कार्यान्वित करने के बारे में सूचित करने के लिये राज्य सरकारों को कुछ समय निर्धारित कर दिया गया है ?

†**श्री अ० म० थामस** : हम ने राज्य-सरकारों द्वारा लागू करने के लिये इस समिति की सिफारिशें भेज दी हैं और जून, १६५८ में उनसे निवेदन किया गया था कि वे उस पर की गई कार्यवाही के बारे में सूचित करें। प्राप्त हुए उत्तरों से पता लगा है कि कुछ राज्य-सरकारों ने कुछ कार्यवाही की है अर्थात् मैसूर, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने कहा है कि संबंधित विभागों के परामर्श से समिति की सिफारिशों की जांच की जा रही है। केरल सरकार ने

†मूल अंग्रेजी में

अधिकांश सिफारिशें सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर ली हैं । मध्य प्रदेश की सरकार ने रिपोर्ट के परिच्छेद ६ की सिफारिशों पर कार्यवाही की है । त्रिपुरा और मनीपुर की सरकार ने भी अपनी सहमति प्रकट की है । अन्य राज्यों से उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है ।

†**श्री भक्त दर्शन** : राज्य सरकार के अलावा क्या केन्द्रीय सरकार ने सिफारिश के सम्बन्ध में कोई निश्चित कार्यवाही की है ?

†**श्री अ० म० थामस** : एक विधेयक तैयार किया गया है जिस पर निकट भविष्य में केबिनेट द्वारा विचार किया जायेगा । तत्पश्चात् उसे सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा ।

†**सेठ गोविन्द दास** : क्या माननीय मंत्री को विदित है कि हाल ही में इस सम्बन्ध में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों द्वारा काम में आने वाले पशुओं और गायों के वध पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये तीन अधिनियम पारित किये थे ? उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दे दिया है । इस निर्णय में यह बताया गया है कि संविधान के अनुसार गायों, बछड़ों और काम में आने वाले बैलों का वध नहीं किया जा सकता । क्या केन्द्रीय सरकार उच्चतम न्यायालय की ये सिफारिशें लागू करने के लिये प्रत्येक राज्य को निदेश भेज रही हैं ?

†**श्री अ० म० थामस** : मुझे उच्चतम न्यायालय के निर्णय का पता है और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने कार्यवाही भी की है । उसने एक संशोधनकारी विधेयक पुरःस्थापित किया है, किन्तु मैं नहीं जानता कि वह पारित हो गया है । अन्य राज्यों के सम्बन्ध में मुझे अलग पूर्व सूचना चाहिये ।

†**सेठ गोविन्द दास** : क्या उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश को छोड़ कर सरकार अन्य राज्य सरकारों को उच्चतम न्यायालय की सिफारिश के अनुसार विधान लागू करने के बारे में निदेश भेज रही है ?

†**श्री अ० म० थामस** : ऐसा करना आवश्यक नहीं है, उच्चतम न्यायालय के निर्णय की दृष्टि से इस पर कार्यवाही करना विभिन्न राज्य सरकारों के ऊपर निर्भर करता है । जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हम ने इस समिति की सिफारिशें कार्यान्वित करने के लिये विभिन्न राज्यों को भेज दी हैं ।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** : क्या भारत सरकार को विदित है कि बैल रबड़ टायर की गाड़ियों में लदा बड़ा बोझ ढोते हैं और दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास और बन्दरगाह के क्षेत्र में दो-तीन माह के अन्दर ही मर जाते हैं ?

†**श्री अ० म० थामस** : ऐसे मामलों में हमारी चाहे कितनी भी सहानुभूति हो किन्तु यह चीज़ लागू कर पाना बड़ा कठिन है ।

†**डा० सुशीला नायर** : क्या माननीय मंत्री को विदित है कि जब पशुओं के प्रति निर्दयता को रोकने वाली सोसाइटी ने अत्यधिक बोझ भरने के लिये बैलगाड़ी के मालिकों का चालान किया तो उन पर मजिस्ट्रेटों ने इतना कम जुर्माना किया कि इसका उनके ऊपर कोई अधिक असर नहीं पड़ा ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री अ० म० थामस** : इन चीज़ों को भी हम ने ध्यान में रखा है और प्रारूप विधेयक में भी डाक्टरी और औषधि सम्बन्धी संस्थाओं में पशुओं पर प्रयोग करने पर नियंत्रण लगाने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा एक समिति की स्थापना करने की व्यवस्था की गई है ।

कोलाघाट के निकट पुल का निर्माण

+

†*४५७. { **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** :
श्री ही० ना० मुकर्जी :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण-पूर्व रेलवे के रूपनारायण पर कोलाघाट के निकट सड़क पर एक पुल बनाया जा रहा है;

(ख) परियोजना की प्राक्कलित लागत क्या है;

(ग) क्या नदी में उद्गम की ओर नौका चलाने को कायम रखने के लिये नदी की विशेषताओं की अच्छी तरह जांच कर ली गई है;

(घ) क्या उनका ध्यान उस स्थान पर पुल बनाने के बजाय दूसरे स्थान पर कम चौड़ा पुल बनाने की ओर आकर्षित किया गया है जिससे मितव्ययता भी होगी और नदी पर नियंत्रण भी रखा जा सकेगा; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ङ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १३२]**

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या इस बारे में अन्तिम निर्णय करने से पहले, पश्चिमी बंगाल के राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की सड़क पुल समिति के विचार ले लिये गये थे, जिसमें केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग और परिवहन मंत्रालय के योजना प्रधिकारी उपस्थित थे, और यदि हां, तो उसकी क्या सिफारिशें थीं ?

†**श्री राज बहादुर** : मैं निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता कि माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित दोनों इंजीनियरों के विचार लिये गये थे अथवा नहीं, किन्तु परिवहन मंत्रालय का सड़क अनुभाग ऐसे मामलों में राज्य सरकार के दृष्टिकोण पर अवश्य विचार कर लेता है और इस बारे में उनमें पूर्ण समायोजन है ।

†**श्री घोषाल** : क्या पुल के समीप नदी में मिट्टी इकट्ठी हो जाने के कारण १०० व्यक्ति आरम्भ में ही मर गये थे और क्या सरकार की यह सम्मति नहीं कि यदि यह पुल और भी कम चौड़ा हुआ तो इस नदी में और अधिक मिट्टी जम जाया करेगी ?

†**श्री राज बहादुर** : इंजीनियरों ने इस बात का काफी ध्यान रखा है कि वे ऐसे स्थान का चुनाव करें जिसमें कम से कम मिट्टी जमा हो, और इसीलिये उन्होंने केन्द्रीय जल तथा विद्युत् गवेषणा केन्द्र, पूना और रेलवे मंत्रालय के परामर्श करने के पश्चात् यह स्थान चुना है ।

†**श्री बीरेन राय** : यह पुल कब तक पूरा हो जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री राज बहादुर** : इसकी व्यवस्था तो द्वितीय योजना में ही की गई थी। जब टेंडर मांगे गये तो वे पहले जोर दिये गये कंकरीट के पुल के बारे में थे और विदेशी मुद्रा की कमी के कारण हमारे राज्य के चीफ इंजीनियर से नये डिजाइन के टेंडर मांगने के लिये कहा है जिससे काम जल्दी ही शुरू किया जा सके।

ग्राम्य ऋण सर्वेक्षण

†*४५८. { **श्री संगण्णा** :
श्री श्रीनारायण दास :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १४ अप्रैल, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १६३२ के उत्तर के सम्बन्ध में ऋण सम्बन्धी दी गई सुविधा के बारे में उठाये गये एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्राम्य ऋण सर्वेक्षण के अधीन सम्पूर्ण मामले की कोई नई जांच की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) ग्राम्य ऋण सर्वेक्षण समिति रिपोर्ट के अधीन सारे मामले की नये सिरे से जांच करना आवश्यक नहीं समझा गया।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री संगण्णा** : ग्राम्य ऋण का कितना प्रतिशत सरकार फिलहाल सहकारी समितियों के द्वारा काम में लाती है ?

†**श्री अ० म० थामस** : द्वितीय पंच वर्षीय योजना में १०,४०० बड़े पैमाने की सोसाइटी बनाने की योजना सम्मिलित है। प्रथम दो वर्षों में ४,४०० सोसाइटियां बनाई गईं और १९५८-५९ में हमारा लक्ष्य १,७८९ सोसाइटियां बनाने का है। १९५६-५७ में ६५ करोड़ रुपया और १९५७-५८ में ग्राम्य ऋण के रूप में लगभग १०० करोड़ रुपया उपलब्ध होगा। जब ग्राम्य ऋण सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी तो ऋणों पर वार्षिक व्यय केवल २२१/२ करोड़ रुपये था।

†**श्री जाधव** : ऋण का कितना प्रतिशत सरकार के द्वारा और कितना प्रतिशत सहकारी सोसाइटियों के द्वारा दिया जाता है ?

†**श्री अ० म० थामस** : मेरे पास अलग-अलग आंकड़े नहीं हैं। सहकारी ऋण की उपलब्धता के मामले में काफी सुधार हुआ है जैसा कि जो आंकड़े मैं ने दिये हैं उनसे पता लगेगा। १९५८-५९ का हमारा लक्ष्य लगभग १४० करोड़ रुपये है।

†**श्री प्रभात कार** : इन ऋणों से कितने लोगों ने लाभ उठाया है ?

†**श्री अ० म० थामस** : इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये मैं पूर्व सूचना चाहूंगा।

†**श्री रंगा** : क्या प्रधान मंत्री द्वारा निकाले गये इस निष्कर्ष के आधार पर कि प्रत्येक गांव के लिये एक सहकारी सोसाइटी होनी चाहिये, बड़ी ग्राम समितियां बनाने के बारे में सरकारी नीति में परिवर्तन करने के लिये कोई प्रयत्न किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री अ० म० थामस : अब जो सोसाइटियां बनाई जा रही हैं वे लगभग मध्यम पैमाने की हैं, जिनमें अनुपाततः पांच या उससे कम गांव आ जाते हैं। इस मामले में कोई कठोर नियम नहीं बनाया जा सकता क्योंकि कुछ गांव बहुत छोटे-छोटे हैं जिनमें ऐसी समितियां बनाने के लिये जितने सदस्य होने चाहिये शायद उतने व्यक्ति न हों।

†श्री रंगा : क्या हमें इस बात का आश्वासन मिल सकता है कि जहां कहीं ग्राम सोसाइटियां ठीक से कार्य कर रही हैं, उनमें उनके स्थान पर बड़ी सोसाइटियां नहीं बनाई जायेंगी ?

†श्री अ० म० थामस : निश्चय ही। उन सोसाइटियों के बदले दूसरी सोसाइटियां नहीं बनाई जायेंगी।

†श्री आचार : विभिन्न क्षेत्रों में अन्य सूत्रों द्वारा दिये गये ऋण की तुलना में सहकारी सोसाइटियों द्वारा कितने प्रतिशत ऋण दिया जायेगा ?

†श्री अ० म० थामस : इस में भी काफी सुधार हुआ है किन्तु प्रतिशत कम है।

†श्री वेंकटा सुब्बैया : इस तथ्य की दृष्टि से कि वर्तमान सोसाइटियां छोटे-छोटे किसानों की आवश्यकतायें पूरी नहीं कर सकतीं, क्या सरकार कोई विशद विधान बनाने पर विचार करेगी जिससे ये सहकारी सोसाइटियां देश के कृषकों और खेतिहरों के लिये अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकें ?

†श्री अ० म० थामस : देश के किसानों के लाभ की दृष्टि से हम ने निदेश जारी किये हैं कि प्रतिभूतियों के मामले में फसलों के बदले राशि दी जायेगी और अब हम सम्पत्ति की प्रतिभूति पर अधिक जोर नहीं दे रहे हैं।

क्षय रोगी

+

†*४५९. { श्री पाणिग्रही :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षय रोगियों के लिये बीमारी के पश्चात् देख-भाल और पुनर्जीविका केन्द्र खोलने के लिये राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे प्रस्तावों पर अपनी मंजूरी दे दी है; और

(ग) क्या उड़ीसा की सरकार ने संघ सरकार के पास ऐसे प्रस्ताव भेजे हैं ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां।

(ख) क्षय रोगियों के लिये बीमारी के पश्चात् देख-भाल और पुनर्जीविका केन्द्र, दिल्ली, लखनऊ, धुबूलिया (पश्चिमी बंगाल), पूना, अमरगढ़ (बम्बई), हैदराबाद और मैसूर में खोलने तथा मद्रास के विद्यमान केन्द्र के विस्तार करने के प्रस्ताव पर सरकार ने अपनी सहमति दे दी है।

(ग) जी नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री पाणिग्रही :** भारत सरकार ने तपेदिक नियंत्रण के लिये एक राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाया है। क्या राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत बनाई गई योजनायें उड़ीसा में भी चालू की गई हैं ?

†**श्री करमरकर :** जी, हां। हमने अनेकों योजनायें चालू की हैं। पहली यह है कि उड़ीसा में बी० सी० जी० आंदोलन संतोषप्रद रूप से चल रहा है। हम गैर सरकारी केन्द्रों की भी सहायता कर रहे हैं। हम ने उड़ीसा की एक तपेदिक संस्था को पिछले वर्ष और उसके पहले के वर्ष में ३ लाख रुपये दिये हैं।

अन्य दूसरी बात के सम्बन्ध में, मैं यह समझता हूं कि मेरे माननीय मित्र शायद राष्ट्रीय तपेदिक सर्वेक्षण का उल्लेख कर रहे हैं जो कि केवल नमूना सर्वेक्षण ही था। मैं निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता कि उड़ीसा के भागों का सर्वेक्षण वास्तव में किया गया था। परन्तु सर्वेक्षण के लिये देश के विभिन्न प्रतिनिधि भागों को ही लिया गया था। हम यथासंभव सीमा तक सब प्रकार से उड़ीसा तथा अन्य राज्यों की सहायता करने में प्रसन्न होंगे।

†**श्री पाणिग्रही** : द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में अब तक उड़ीसा में कितने तपेदिक प्रदर्शन प्रशिक्षण केन्द्र, तपेदिक के पृथक् रखे जाने वाले बिस्तर, बीमारी के बाद की देखभाल वाले केन्द्र तथा पुनर्जीविका केन्द्र खोले गये हैं ?

†**श्री करमरकर** : इन सभी बातों के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये। इस विषय पर उड़ीसा ने अभी तक कुछ नहीं पूछा अतएव हम इसे नहीं बता सकते।

†**डा० सुशीला नायर :** क्या माननीय मंत्री को यह विदित है कि दिल्ली में वर्तमान किंग्जवे कैम्प के स्थल पर एक तपेदिक की बीमारी के बाद की देख-भाल तथा पुनर्जीविका केन्द्र खोलने का एक प्रस्ताव था जो उनके पूर्ववर्त्ती मंत्री जी ने बड़े उत्साह से प्रारम्भ किया था और यदि इस योजना में कोई प्रगति हुई है, वह कितनी है ?

†**श्री करमरकर :** मैं इस योजना के बारे में पूर्व सूचना चाहता हूं परन्तु अब जो अन्तिम रूप से योजना स्वीकृत हो चुकी है उसके अनुसार, जहां तक दिल्ली का सम्बन्ध है, अनुमानित तीन लाख रुपयों की आवर्त्ती लागत तथा १ लाख रुपयों की अनावर्त्ती लागत से एक योजना नई दिल्ली तपेदिक केन्द्र के सहयोग से चालू करने की है। मुझे पता चला है कि केन्द्र के लिये इमारत के मानचित्र की जांच की जा रही है।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

दिल्ली में उचित मूल्य वाली दूकानें

+

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४.** { **श्री स० म० बनर्जी :** / **श्री तंगामणि :** / **श्री वाजपेयी :** }

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की ६०० उचित मूल्य वाली दूकानों में से केवल २७ ही चल रही हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इन दूकानों के न चलने का क्या कारण है ;

(ग) क्या उचित मूल्य वाली दूकानों में बाजार की १७) या १८) प्रतिमन की दर की अपेक्षा १४) प्रति मन की दर है ; और

(घ) यदि हां, तो परिस्थिति को सुधारने के लिये इन दूकानों को फिर से शुरू करने की दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) जी नहीं, आजकल दिल्ली में कोई उचित मूल्य वाली दूकानें नहीं हैं ।

(ख) से (घ) . चूंकि दिल्ली को स्वतन्त्रतापूर्वक पंजाब से अन्य राज्यों की अपेक्षा कम दरों पर गेहूं मिल सकता है अतएव आजकल दिल्ली में उचित मूल्य वाली दूकानों को बनाये रखने की कोई ज़रूरत नहीं है ।

†**श्री स० म० बनर्जी :** क्या उचित मूल्य वाली २७ दूकानें एक सप्ताह पहिले तक चल रही थीं और क्या मैं यह जान सकता हूं कि ये दूकानें किन कारणों से बन्द कर दी गई हैं ?

†**श्री अ० म० थामस :** सारी चीज़ पर सम्पूर्ण खाद्य स्थिति को ध्यान में रख कर विचार किया गया था । प्रश्न यह था कि क्या सरकारी संग्रह से दिल्ली में दिया जाना जारी रखा जाये या नहीं ? इस प्रश्न पर पिछले कुछ महीनों में बनाये गये उत्तरी गेहूं क्षेत्र के बन जाने की दृष्टि से विचार किया गया था । वास्तव में इस समय में कुछ भी नहीं लिया गया । पहिले, दूकानों की संख्या घटा दी गई । दिल्ली अनाज वितरण सहकारी संस्था के द्वारा प्रति सप्ताह लगभग ९,००० मन का वितरण होता था । हमने इसे प्रति सप्ताह १००० मन कर दिया है और इस कमी के कारण बाजार पर कोई अधिक प्रभाव नहीं पड़ा ।

सभा को यह मालूम ही होगा कि दिल्ली में लगभग १६ . २५ रू० मन का भाव चल रहा है जब कि उसके पड़ौसी राज्य उत्तर प्रदेश में २१ रु० या २२ रु० प्रति मन का भाव है । अतएव सन् १९५६ या १९५७ में प्रचलित कीमतों की दिल्ली में प्रचलित वर्त्तमान कीमतों से तुलना के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि कीमतें अधिक हैं इसलिये इन उचित मूल्य वाली दुकानों को चालू रखने के लिये कोई औचित्य नहीं है ।

†**श्री स० म० बनर्जी :** क्या खाद्य मंत्री यह जानते हैं कि देशी गेहूं और आटे की कीमतें बढ़ रही हैं और उत्तर प्रदेश में आटे की जो कीमत पहिले ३६ . ५० रुपये प्रति बोरे थी वह अब ४४ रुपये प्रति बोरे से ५० रुपये प्रति बोरे तक हो गई है और यदि ऐसा है तो इसके लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री अ० म० थामस :** ताजे बुलेटिन के अनुसार दिल्ली में गेहूं की कीमत केवल १६ . २५ रुपये है । अतएव इस क़ीमत को ज्यादा नहीं कहा जा सकता । जहां तक आटे की कीमतों का प्रश्न है, वह गेहूं की कीमतों पर ही निर्भर है । भावों में कुछ थोड़ी सी बढ़ती ज़रूर हुई है परन्तु वह बहुत अधिक मात्रा में नहीं है ।

†**श्री तंगामणि :** प्रश्न निश्चित स्वरूप का है । आटे के २।। मन वाले फी बोरे की कीमत ४४ रुपये है और गेहूं के उसी बोरे की कीमत लगभग ४४ रुपये है । यह प्रचलित बाजार-भाव है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० म० थामस :** वर्त्तमान प्रचलित दर ४३ रुपये है । पड़ौसी राज्य में प्रचलित वर्त्तमान मूल्यों से उसकी तुलना करने पर इसे अधिक नहीं कहा जा सकता ।

†**श्री वाजपेयी :** क्या यह सच है कि बहुत सी गेहूं की दूकानों को जबरन बन्द होना पड़ा था क्योंकि उन्होंने सरकारी गोदाम से अपना कोटा लेने से इन्कार कर दिया था ?

†**श्री अ० म० थामस :** जी, हां । ऐसा भी हुआ है ।

†**श्री वाजपेयी :** क्या मैं यह समझूं कि दूकानें इसलिये बन्द हो गईं कि उन्होंने अपना कोटा लेने से इन्कार कर दिया था अथवा सरकार उनकी आवश्यकता नहीं समझती इसलिये बन्द हो गई हैं ?

†**श्री अ० म० थामस:** जैसा मैं बता चुका हूं, इस सारे प्रश्न पर गेहूं क्षेत्र बनाये जाने के प्रसंग पर विचार हो चुका है । पहिले उत्तरी गेहूं क्षेत्र में पंजाब और हिमाचल प्रदेश को शामिल किया गया था तथा दिल्ली को छोड़ दिया गया था । बाद में दिल्ली को भी शामिल कर लिया गया । पंजाब में प्रचलित गेहूं की कीमत लगभग १४रु०से १६रु० प्रतिमन होगी । इससे दिल्ली को अधिक गेहूं मिलेगा । इस प्रकार हम इन चीज़ों को अखिल भारतीय दृष्टिकोण को सामने रख कर देख रहे हैं । जब हम उत्तर प्रदेश तथा बिहार में प्रचलित कीमतों को सामने रख कर दिल्ली में हमें जो कीमतें देनी पड़ती हैं, उन्हें देखते हैं तो कीमत अधिक नहीं दिखाई पड़ती क्योंकि दिल्ली में निश्चय रूप से क्रय शक्ति अधिक है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** अब मैं अगले मद को लूंगा ।

†**श्री तंगामणि :** इस प्रश्न का एक प्रयोजन है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह प्रयोजन इसलिये है क्योंकि हम मुख्यालय में हैं । सभी जगह कीमतें ज्यादा हैं । अतएव केवल यहां के बारे में प्रश्न करने का कोई अर्थ नहीं है । मैंने इस पर बहुत से प्रश्न पूछे जाने के लिये काफी समय दे दिया है ।

†**श्री प्रभात कार :** कीमतें कम थीं । सरकार की नीति के कारण ही कीमतें बढ़ गई हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** शांति, शांति । प्रश्नों की सीमा है । मैं इस प्रश्न पर काफी प्रश्नों की अनुमति दे चुका हूं ।

†**श्री तंगामणि :** मैं एक बात का स्पष्टीकरण चाहता हूं । ६०० उचित मूल्य वाली दूकानों में से केवल २७ ही.....

†**अध्यक्ष महोदय:** शांति, शांति । मैं इस प्रश्न पर अनेकों प्रश्नों के लिये समय दे चुका हूं । माननीय मंत्री ने यह कहा है कि उत्तरी क्षेत्र के बन जाने पर इस सारे मामले पर विचार हो चुका है तथा उत्तर प्रदेश में प्रचलित कीमतों से उन्हीं से मिलती जुलती यहां की कीमतों की तुलना करने पर वे अधिक नहीं हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्नों के लिखित उत्तर

पूर्वोत्तर रेलवे पर रेलवे लाइन का सर्वेक्षण

*४३७. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या रेलवे मंत्री ८ मई, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३५१५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वोत्तर रेलवे पर स्थित दरभंगा और मुजफ्फरपुर स्टेशनों को मिलाने वाली प्रस्तावित रेलवे लाइन के सर्वेक्षण के बारे में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : इस लाइन के इंजीनियरिंग और यातायात (ट्रेफिक) दोनों सर्वे पूरे हो चुके हैं। उनकी रिपोर्टें अभी मिली हैं और रेलवे बोर्ड उन पर विचार कर रहा है ।

स्कूटरों का चलना

†*४३८. **श्री राम कृष्ण** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में स्कूटरों के चालक कुछ विशेष मार्गों पर सवारी ले जाने से इंकार कर देते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, हां ।

(ख) सवारियों से विशेष शिकायतें मिलने पर राज्य परिवहन प्राधिकार सम्बन्धित स्कूटर चालकों का स्कूटर रिक्शा चलाने का प्राधिकार पत्र निलम्बित करके, उनके विरुद्ध कार्यवाही करता है ।

तूफान से इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के वायुयान को क्षति

†*४४६. **श्री दामानी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारतीय वायु सेवा निगम के सफदरजंग हवाई अड्डे में खड़े किये गये पांच वायुयानों को तूफान से क्षति पहुंची है ;

(ख) यदि हां, तो कितना नुकसान हुआ है ;

(ग) क्या क्षति के कारण जानने के लिये कोई जांच की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो जांच समिति की उपपत्तियां क्या हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) जी, हां। सफदरजंग हवाई अड्डे में वायुयान रखने के स्थान[1] के बाहर रखे हुये ६ वायुयानों को २९ मई ,१९५८ के तूफान में क्षति पहुंची है ।

(ख) वास्तव में क्षति अधिकांशतः बाहरी ही थी और उसकी मरम्मत के लिये ६५,००० रुपयों का अनुमान लगाया गया है ।

(ग) जी, हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Hangar

(घ) क्षति के कारणों के बारे में निम्नलिखित उपपत्तियां हैं :—

(१) नये विमान रखने के स्थान को बनाने के लिये संग्रह की गई इमारत बनाने की चीज़ों के साथ साथ अल्यूमिनियम धातु की चादरें भी थीं जो तूफान के साथ उड़कर विमानों से टकराईं और उनके कारण क्षति हुई ; तथा

(२) एक विमान अपने बन्धनों[1] से छूट गया और अपने बाजू में खड़े हुये दूसरे विमान से टकरा गया ।

राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों में मुर्गीपालन तथा मत्स्यपालन

†*४४७. **श्री वें० पे० नायर :** क्या **सामुदायिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामुदायिक विकास खंडों तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों में मुर्गीपालन तथा मत्स्यपालन में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) ऐसे कितने सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड हैं जहां (१) मुर्गी-पालन और (२) मत्स्यपालन की शुरुआत सफलतापूर्वक हो चुकी है ?

†**सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कु० डे) :** (क) एक ओर जहां मुर्गीपालन ने काफी प्रगति कर ली है और अत्यन्त लोकप्रिय हो रहा है वहां दूसरी ओर विकास खंडों में मत्स्यपालन का कार्यक्रम अभी तक ज़ोर नहीं पकड़ पाया ।

(ख) यह सूचना उपलब्ध नहीं है । फिर भी मार्च, १९५८ तक ।वभिन्न खंडों में ५.२५ लाख अच्छी नस्ल वाले पक्षी वितरित किये गये थे ।

देवली बांध, महरौली, दिल्ली का सवक्षण

*४४९. **श्री नवल प्रभाकर :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देवली बांध महरौली का सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है ;

(ख) यदि हां, तो इस बांध पर कितना व्यय होने का अनुमान है ;

(ग) इसके कब तक पूरा हो जाने की आशा है ; और

(घ) इसके पूरे हो जाने पर कितनी भूमि की सिंचाई की जा सकेगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) सर्वे का काम अभी शुरू नहीं किया गया है । ३ महीने के बाद इसके शुरू करने की उम्मीद है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

(ग) सर्वे का काम इस वित्त वर्ष के अन्त तक पूरा हो जाने की आशा है ।

(घ) वह क्षेत्र, जिसको इससे लाभ होगा, केवल सर्वे का काम पूरा होने के बाद ही जाना जा सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Moorings

नौवहन विकास निधि

†*४५०. **श्री मोहम्मद इलियास** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १६ दिसम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ११४२ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवहन विकास निधि का काम शुरू हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह किस प्रकार चल रहा है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) अभी शुरू नहीं हुआ ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पश्चिमी बंगाल में खाद्य स्थिति

†*४५१. **श्री सुबिमन घोष** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २२ मई, १९५८ के हिन्दुस्तान स्टेंडर्ड (कलकत्ता संस्करण) में प्रकाशित इस समाचार की ओर सरकार का ध्यान गया है कि कूच बिहार के माथभंगा उपविभाग के डोलनकुटी में भुखमरी से दो मृत्युयें हुई हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि २५ मई, १९५८ या उसके आसपास के समय में कूच बिहार में मोटे चावल की कीमत ३० रु० फी मन थी ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी, हां । ऐसा पता चला है कि राज्य सरकार द्वारा जांच की गई थी और मालूम हुआ है कि डोलनकुटी गांव में भुखमरी से कोई मृत्यु नहीं हुई । समाचार में उल्लिखित डोलनकुटी नाम का कोई गांव ही नहीं है ।

(ख) जी, नहीं । इस तारीख को कूच बिहार ज़िले में अधिक से अधिक फुटकर कीमत २८.८० रुपये फी मन थी ।

(ग) राज्य सरकारें सुधारी गई राशन दुकानों के जरिये विहित कीमतों पर बहुत बड़ी मात्रा में खाद्यान्नों का वितरण कर रही हैं । पश्चिमी बंगाल में लगभग ४० से ४५ हजार टन चावल और लगभग ६० हजार टन गेहूं प्रति माह बांटे जा रहे हैं। जहां कहीं भी और जब भी आवश्यकता होती है, निष्कारण सहायता दी जा रही है और सहायता परीक्षण कार्य केन्द्र खोले जा रहे हैं ।

हतिया और मुरी के बीच रेलवे लाइन

†*४६०. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हतिया और मुरी (रांची) के बीच बड़ी रेलवे लाइन बनाने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) इस लाइन को बनाने का काम संभवत: कब शुरू होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, हां। यह प्रस्ताव निर्णय की अन्तिम अवस्था में है।

(ख) जून, १९५८ में (४० मील लम्बी) मुरी-रांची की बड़ी रेलवे लाइन का निर्माण शुरू हो गया है। उस समय के बाद उसे आगे हतिया तक बढ़ाने के लिये प्रारंभिक सर्वेक्षण कर लिया गया है।

खड़गपुर के व्यापारियों की अनुज्ञप्तियों[1] का रद्द किया जाना

†*४६१. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ व्यापारियों की अनुज्ञप्तियों को रद्द करके उन्हें खड्गपुर रेलवे बस्ती से हटाया जा रहा है जिस के कारण वहां के उस वणिक वर्ग में पर्याप्त असंतोष फैल रहा है जो वहां काफी अर्से से रोजगार कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां।

(ख) अनुज्ञप्तियों को रद्द करने के कारण, करार की शर्तों का भंग होना जैसे कब्जा की गई जगह की माहवारी फीस का न चुकाना, रेलवे की भूमि को दबाना तथा स्वीकृत मानचित्रों के अनुसार मकानों का न बनाना आदि हैं।

राष्ट्रीय राजपथों (मैसूर राज्य में) पर पुल

†*४६२. **श्री जोकीम आल्वा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिणी कनारा जिले (मैसूर राज्य) में राष्ट्रीय राजपथों पर पहिले ही कितने पुल बनाये जा चुके हैं ;

(ख) उत्तरी कनारा जिले (मैसूर राज्य) में राष्ट्रीय राजपथों पर कितने पुल बनाये जाने हैं ;

(ग) उत्तरी कनारा जिले में पुल बनाने के लिये कितने टेंडर बुलाये गये हैं ; और

(घ) पुलों को बनाने के सम्बन्ध में देर होने के क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : राष्ट्रीय राजपथों का थोड़ा सा भाग उत्तरी कनारा जिले से जाता है परन्तु उस पर कठिनाई से महत्वपूर्ण पुल बनाने का काम है, माननीय सदस्य शायद पश्चिमी समुद्री किनारे की सड़क का उल्लेख कर रहे हैं जोकि राष्ट्रीय राजपथ नहीं है। अपेक्षित जानकारी इस प्रकार है :—

(क) दो।

(ख) चार, जिन में से दो का काम चल रहा है।

(ग) एक।

(घ) सभी पुलों के बारे में प्रारम्भिक कार्य हो रहा है परन्तु कुछ पुलों का काम शुरू करने में विलम्ब होने के निम्नलिखित कारण हैं :—(१) स्थल के चुनाव की कठिनाई, और (२) विदेशी मुद्रा की कमी।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Licence.

जानकी शुगर मिल्स

†*४६३. **श्री त्यागी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन् १९५७-५८ के गन्ना पेरने की ऋतु में जानकी शुगर मिल्स, दोईवाला (देहरादून) की वसूली की क्या औसत थी ;

(ख) इस के आंकड़े नैनीताल के तराई क्षेत्र की उन मिलों में की गई वसूली की प्रतिशत की तुलना में कैसे ठहरते हैं जिन में गत्ते पर फी मन २ आने के मूल्य की कमी को पूरा कर दिया गया है ;

(ग) १९५५-५६ में कीमत कम करने का आदेश क्या गन्ने की खराब किस्म अथवा खराब मशीनरी के कारण दिया गया था ;

(घ) क्या सरकार ने देहरादून के मिलों को अपने नियंत्रण में ले लेने के बाद (१) संयंत्र में (२) देहरादून जिले की गन्ने की किस्म में कोई सुधार किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो इन मदों पर कितना रुपया खर्च किया गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) १०.१८ प्रतिशत ।

(ख) अन्य उल्लिखित कारखानों की वसूली निम्नलिखित है :—

काशीपुर	९.९१ प्रतिशत
बरेली .	९.६६ प्रतिशत
बहेरी . .	९.९१ प्रतिशत
राजा	१०.३९ प्रतिशत
बुलंद . . .	१०.१९ प्रतिशत

(ग) गन्ने की खराब किस्म के कारण कमी कर दी गई थी ।

(घ) जी हां, कारखाने में प्राप्त हुए संयंत्र तथा गन्ने की किस्म, दोनों में ही सुधार किया गया है ।

(ङ) संयंत्र में मशीनरी बढ़ाने के लिये १,७६,००० रुपयों की रकम तथा गन्ने की किस्म सुधारने के लिये ८४,००० रुपयों की रकम खर्च की गई है ।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में खाद्यान्नों की कमी

†*४६४. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :**
श्री विश्व नाथ राय :
श्री स० म० बनर्जी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन का ध्यान उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में खाद्यान्न के अभाव की उस स्थिति की ओर गया है जिस के बारे में उन तीन संसद सदस्यों ने रिपोर्ट दी है जिन्हों ने हाल ही में उस क्षेत्र का दौरा किया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस क्षेत्र के लोगों की कठिनाईयों को कम करने के लिये भारत सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी, हां । समाचार पत्रों में तीन संसद सदस्यों के उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में जाने तथा उन के द्वारा दिये गये वक्तव्यों की रिपोर्ट आई थी ।

(ख) भारत सरकार उत्तर प्रदेश को पूर्वी जिलों में वितरण के लिये काफी मात्रा में खाद्यान्न देती रही है । हाल ही में इस वितरण को बढ़ा दिया गया है और पूर्वी जिलों में २,०२५ उचित मूल्य वाली दुकानें खोली गई हैं । उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों से धान तथा चावल के निर्यात पर रोक लगा दी गई है और गेहूं का निर्यात तो पहिले से ही निषिद्ध है । अधिक अन्न उपजाओ योजना की सामान्य सहायता के अतिरिक्त सन् १९५७-५८ में उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में छोटे मोटे सिंचाई के कार्य प्रारम्भ करने के लिये ४० लाख रुपये मंजूर किये गये हैं और अधिक अन्न उपजाओ योजना के अन्तर्गत समस्त उत्तर प्रदेश के लिये सन् १९५८-५९ में २८१.३६ लाख की केन्द्रीय सहायता देने के बारे में निर्णय हो गया है ।

विमान दुर्घटनायें

†*४६५. **श्री राघुनाथ सिंह :**
श्री हेम बरुआ :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ९ जुलाई १९५८ की दोपहर को पूर्वी पाकिस्तान के नारायणगंज उपविभाग के बागबारी गांव के पास इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का एक मालवाही डकोटा दुर्घटनाग्रस्त हो गया था ; और

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) जी हां ।

(ख) पाकिस्तान के प्राधिकारी दुर्घटना की छान बीन कर रहे हैं ।

खाद्य मंत्रालय के सरकारी दल का विदेशों का दौरा

†*४६६. **श्रीमती पार्वतीकृष्णन्** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका तथा जापान में प्रचलित संग्रह करने के तरीकों का अध्ययन करने के लिये खाद्य मंत्रालय का एक सरकारी दल उन देशों को गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन के वहां जाने में कितना खर्च लगेगा ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : अमेरिका में गेहूं उत्पादकों की कुछ संथाओं के आमंत्रण पर खाद्य विभाग के तीन अधिकारी और एक गैर सरकारी ९-७-५८ को (जापान के रास्ते से) अमेरिका में गेहूं उगाहने, गेहूं साफ करने और निकालने, आदि के तरीकों का अध्ययन करने के लिये अमेरिका गये थे और २०-८-१९५८ को भारत लौट आये हैं । सरकार ने मनोरंजन तथा आकस्मिकताओं का खर्च पूरा करने के लिये केवल १,०००) मंजूर किये थे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खाद्यान्नों का उतारा जाना

†*४६७. **श्री तंगामणि** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई पत्तन न्यास के बोर्ड ने बम्बई पत्तन पर खाद्यान्नों के उतारे जाने को प्राथमिकता देना स्वीकार नहीं किया है ; और

(ख) यदि हां तो इस के क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, हां ।

(ख) खाद्यान्न के जहाजों को प्राथमिकता देने की प्राथमिकता वास्तविक कठिनाइयों पर आधारित न हो कर केवल आशंकाओं पर ही आधारित थी । यदि कोई ऐसी स्थिति आ जाये कि खाद्यान्नों के जहाजों को प्राथमिकता देना आवश्यक हो जाए, बम्बई पत्तन न्यास अपने निर्णय को बदलने को तैयार रहेगा ।

उत्तर प्रदेश में अभावग्रस्त क्षेत्र

†*४६८. **श्री वाजपेयी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के अभाव ग्रस्त क्षेत्रों के लोगों की सहायता के लिये राज्य सरकार के जरिये केन्द्रीय सरकार ने क्या ठोस कार्यवाही की है ; और

(ख) क्या राज्य सरकार ने राज्य की कठिन खाद्य स्थिति का सामना करने के लिये केन्द्रीय सरकार के सामने कोई प्रस्ताव रखा है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). राज्य सरकार से समय समय पर प्रस्ताव मिलते रहे हैं और राज्य में उचित मूल्य वाली दूकानों से वितरण के लिये केन्द्रीय स्टाक में से काफी परिमाण में खाद्यान्नों का संभरण किया गया है । उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों से चावल और धान की और सम्पूर्ण राज्य से गेहूं की निकासी पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है । अधिक अन्न उपजाओ योजना के अधीन दी जाने वाली सामान्य सहायता के अलावा १९५७-५८ में उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में लघु सिंचाई सम्बन्धी निर्माण कार्यों के लिये ४० लाख रुपये का ऋण मंजूर किया गया है । १९५८-५९ के लिये अधिक अन्न उपजाओ योजनाओं के अधीन कुल २८१.३६ लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता देने के लिये सहमति प्रदान की गई है ।

मनमाड में रेल का ऊपरी पुल

†*४६९. **श्री जाधव** : क्या **रेलवे** मंत्री २८ फरवरी, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ५९९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनमाड (मध्य रेलवे) में रेल के ऊपरी पुल के निर्माण के लिये फिर से बनाई गई योजना को अन्तिम रूप प्रदान कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या बम्बई राज्य-सरकार ने रेल के ऊपरी पुल के निर्माण के लिये कुछ केन्द्रीय सहायता मांगी है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार यह अनुदान कब मंजूर करेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी नहीं । मध्य रेलवे ने २७-८-५७ को जो ब्यौरेवार ड्राइंगें बम्बई सरकार को भेजी थीं वह १९५८ की फरवरी में डिजायन बदलने के लिये रेलवे को लौटा दी गई थीं। रेलवे पुनरीक्षित डिजायन और प्राक्कलन तैयार कर रही हैं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कुल्लू और कांगड़ा घाटियों में पर्यटक यातायात

†*४७०. **श्री हेम राज** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनाली में हाल में अपनी छुट्टी मनाने के बाद प्रधान मंत्री ने कुल्लू और कांगड़ा घाटियों में पर्यटक यातायात और संचार के विकास के सम्बन्ध में क्या महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं ; और

(ख) उन्हें क्रियान्वित करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने वाली है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १३३]**

सांताक्रुज हवाई अड्डा

†*४७१. **श्री आसर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सान्ताक्रुज़ हवाई अड्डे का नवनिर्मित टर्मिनल भवन हाल में चूने लगा था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस भवन के कुछ स्लैब गिर पड़े थे ;

(ग) क्या यह सच है कि घोर वर्षा में इस भवन में प्रतीक्षा करने वाले लोगों को तकलीफ़ हुई थी ;

(घ) क्या इस भवन के निर्माण के दोषपूर्ण होने के सम्बन्ध में कोई जांच की गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम हुआ है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) जी हां । १९५८ के जून के महीने में घोर वर्षा के समय एक्सपैन्शन और कन्ट्रैक्शन के जोड़ों से कुछ पानी टपका था । इन जोड़ों को एक फर्म ने पांच वर्ष की एक गारंटी के अधीन वाटर प्रूफ बना दिया था, और इन में से पानी चूना शुरू होते ही इस फर्म ने फिर से इन जोड़ों को सील कर उन्हें वाटर-टाइट बना दिया ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) पानी का यह चूना बहुत ही मामूली किस्म का होने और कोई क्षति न होने और इस की कोई सभावना भी न होने के कारण कोई जांच नहीं की गई ।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दामोदर घाटी निगम के कर्मचारियों की छंटनी

†*४७२. श्री रामम् :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री स० म० बनर्जी :
श्री सरजू पांडे :
श्री तंगामणि :
श्री पाणिग्रही :
श्री प्रभात कार :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंचेट में जुलाई, १९५८ में दामोदर घाटी निगम के अधिकारियों ने कुछ लोगों की छंटनी की है ;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों की ;

(ग) क्या उन के लिये इस के बदले कोई दूसरा रोजगार ढूंढ दिया गया था ;

(घ) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों के लिये ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इन छंटनी किये गये कर्मचारियों की तकलीफ़ों को कम से कम करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने वाली है ?

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) ३४६ ।

(ग) जी हां, उन में से कुछ के लिये ।

(घ) और (ङ). दो सौ दस अन्य उपक्रमों में नियुक्ति के लिये चुन लिये गये हैं और इस समय नियुक्ति के आदेशों की प्रतीक्षा कर रहे हैं और दो को दूसरी नौकरियों में नियुक्त कर भी दिया गया है। छंटनी किये गये शेष कर्मचारियों के लिये भी यथाशीघ्र बदले में दूसरा रोजगार ढूंढने के लिये पूरा प्रयास किया जा रहा है ।

पूर्वोत्तर-सीमा रेलवे की आसाम लाइन

†*४७३. श्री हेम बरुआ : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर सीमा-रेलवे की आसाम लाइन पर चलने वाले अपनी आयु पूरी कर चुकने वाले माल डिब्बों के स्थान पर नये डिब्बे चलाने के लिये अब तक क्या कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस के क्या परिणाम हुए हैं ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १३४].

---

†मूल अंग्रेजी में

जंगपुरा में ऊपरी पुल

†*४७४. श्री सिद्धनंजप्पा :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-मथुरा रोड पर जंगपुरा का ऊपरी पुल २० और २१ जुलाई, १९५८ की अभूतपूर्व वर्षा में क्षतिग्रस्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी और किस प्रकार की क्षति हुई है ;

(ग) इतनी क्षति होने के क्या कारण हैं ;

(घ) इसे ठीक करने के लिये कितनी राशि की आवश्यकता पड़ेगी ; और

(ङ) क्या सरकार ने इस मामले की जांच का आदेश दिया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). जी नहीं। लेकिन जंगपुरा के पुल तक जाने वाली सड़क की सतह एक कैरेज लेन में करीब १०० फुट की लम्बाई तक लगभग १½ फुट नीचे बैठ गई और एक ओर के किनारे की ढलान भी लगभग ९५ फुट तक कट-फट गई ।

(ग) और (ङ). निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय ने एक विशेष जांच अधिकारी नियुक्त किया है और उस की जांच पूरी होने पर ही और आगे की जानकारी उपलब्ध हो सकेगी ।

(घ) ठेकेदारों ने अपने खर्च से लगभग ५,००० रुपये की लागत की मरम्मत की है ।

सामान की ढुलाई की दरें[1]

†*४७५. **श्री राजेन्द्र सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्टीमर जेटी से रेलगाड़ी या अन्य सवारियां पकड़ने के स्थान की दूरी बढ़ने के साथ सामान की ढुलाई की दरें भी बढ़ा दी जाती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या पहलेजा घाट में भी यही रीति लागू की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) संभवतः तात्पर्य घाट को महन्दूघाट के स्थायी स्थान से हटा कर १९५७ के नवम्बर में गांधीघाट ले जाने से है । इस घाट पर सामान की ढुलाई की दर ४ आने से बढ़ा कर ५ आने प्रति फेरी कर दी गई थी क्योंकि एक तो दूरी बढ़ गई है और साथ ही नदी की सतह से उस के किनारे की ऊंचाई भी बढ़ गई है ।

(ख) पहलेज़ा घाट में इन दरों को बढ़ाना आवश्यक नहीं समझा गया है क्योंकि वहां का किनारा बहुत ऊंचाई पर नहीं है और किनारे की ऊंचाई और दूरी को ध्यान में रखते हुए सामान्य ढुलाई की दरों को ही उचित माना गया है ।

बीज फार्म

†*४७६. **श्री राम कृष्ण**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों में सुधरे हुए बीजों के उत्पादन और वितरण की योजना के अधीन बीज फार्मों की स्थापना के लक्ष्य पूरे नहीं हुए हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Porterage rates.

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों के लक्ष्य पूर्णतः पूरे नहीं हुए थे । १९५६-५७ में ४८५ फार्मों के लक्ष्य में से ३४३ बीज फार्मों की स्थापना की गई और १९५७-५८ में १४१६ फार्मों के लक्ष्य में से १२३२ बीज फार्मों की स्थापना हुई । यह लक्ष्य से क्रमशः ७१ और ८७ प्रतिशत होते हैं ।

(ख) मुख्य कारण थे—उपयुक्त भूमि का न मिलना, जमीन का दाम बहुत अधिक होना और जमीन प्राप्त करने में कठिनाइयों का होना । १९५६ में राज्यों के पुनर्गठन से १९५६-५७ में इस कार्यक्रम की क्रियान्विति और भी पिछड़ गई ।

धनुषकोटि के दक्षिणी तट का कटाव

†४७७. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या रेलवे मंत्री ५ अप्रैल, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १४७० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धनुषकोटि के दक्षिणी तट को और आगे कटाव से बचाने के लिये किस प्रकार की कार्यवाही की गई है ; और

(ख) इन कार्यवाहियों पर अब तक कुल कितनी राशि व्यय की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) बचाव-सम्बन्धी यह कार्यवाही की गई और की जा रही है :

(१) १९५५ में कैसुरीना बोल्स से बने तीन ग्रायन्स का उपबन्ध ।

(२) कोयले की राख और बालू जमा कर और बोल्डरों के सासेज बिछा कर तट के एक भाग को ऊंचा उठाना ।

(३) बस्ती और तट के किनारे-किनारे में शीघ्र उगने वाले पौधों को बड़े पैमाने पर रोपना—अब नारियल के बाग और लगाये जायेंगे ।

(ख) इन कार्यवाहियों पर अब तक लगभग २३,५०० रुपये व्यय हुए हैं ।

दिल्ली में पीने के पानी की कमी

†*४७८. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री नवल प्रभाकर :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री ७ मार्च, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ७०९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी २० वर्षों में दिल्ली में पीने के पानी की मांग कितनी होने का अनुमान है ; है ; और

(ख) क्या किसी दीर्घकालीन योजना पर विचार किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) अनुमान है कि आगामी २० वर्षों में पानी की मांग बढ़ कर १५ करोड़ गैलन प्रति दिन हो जायगी ।

(ख) इस प्रश्न पर विचार करने के लिये प्रविधिक विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की गई है ।

देश में तपेदिक का सर्वेक्षण

†*४७९. **श्रीमती इला पालचौधरी :**
सरदार इकबाल सिंह :
श्री राम कृष्ण :
श्री हेम बरुआ :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय चिकित्सा गवेषणा परिषद् ने जो फुप्फुस तपेदिक का राष्ट्रीय सर्वेक्षण किया है उसके अस्थायी परिणामों से यह प्रगट होता है कि तपेदिक गांवों में भी प्रवेश कर गयी है ।

(ख) क्या यह भी सच है कि सर्वेक्षण के दौरान में इकट्ठा किये गये आंकड़ों से पता चलता है कि देश की आबादी में से दो प्रतिशत लोगों पर इस रोग का असर है ;

(ग) यदि हां, तो सर्वेक्षण का संक्षिप्त ब्यौरा और उसके परिणाम क्या हैं ; और

(घ) सरकार इसका और आगे विस्तार रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने वाली है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) और (ख). १९५६ की जून तक किये गये सर्वेक्षण के प्रारम्भिक प्रतिवेदन से प्रगट होता है कि तपेदिक गांवों, छोटे कस्बों और नगरों में फैली हुई है और जिन क्षेत्रों के सर्वेक्षण का उस प्रतिवेदन में ज़िक्र था, उनमें दो प्रतिशत लोग इस रोग से पीड़ित थे ।

(ग) और (घ). अपेक्षित जानकारी का एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १३५]**

ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस का देर से पहुंचना

†*४८०. **श्री राधा रमण** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस रोज २ से ४ घंटे तक लेट रहती है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस में सुधार के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने वाली है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां)** : (क). जी नहीं । लेकिन कुछ दिनों से इन गाड़ियों का संचालन संतोषप्रद ढंग से नहीं हो रहा है ।

(ख) और (ग) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १३६]**

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली के महरौली क्षेत्र में बांध

४८१. **श्री नवल प्रभाकर : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सेवक समाज ने अपने एक ज्ञापन द्वारा दिल्ली के महरौली क्षेत्र के लिये कई स्थानों पर बांध बनाने की योजना भेजी है ;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस योजना से कितने एकड़ भूमि सींची जायेगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) भारत सेवक समाज से कोई भी ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं होता ।

बम्बई की गोदी में आग

†*४८२. **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री राम कृष्ण :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ११ मई, १९५८ को बम्बई की गोदी में भीषण आग लग गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो कुल कितना नुकसान हुआ ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) विक्टोरिया गोदी में आग लग गई थी ।

(ख) २४ लाख रुपये ।

द्रोणाचलम-सिकन्दराबाद सेक्शन पर रात की ट्रेन-सर्विस का बन्द किया जाना

†*४८३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे के द्रोणाचलम्–सिकन्दराबाद मीटर लाइन सेक्शन पर रात की ट्रेन सर्विस बन्द कर दी गयी है ; और

(ख) इस सर्विस को बन्द करने के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) बरसात के महीनों तक के लिये रात के समय सवारी गाड़ियों का चलना २०-६-५८ से बन्द कर दिया गया है ।

(ख) क्योंकि आन्ध्र राज्य सरकार सिंचाई के तालों से सम्बन्धित अपनी रेलवे की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी लेने में असमर्थ रही है ; इसलिये एहतियाती कार्यवाही के रूप में बरसात के दिनों में सवारी गाड़ियों का चलना दिन की रोशनी रहने तक ही सीमित कर दिया गया है । लेकिन माल-गाड़ियां दिन-रात, दोनों समय चलती रहती हैं ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में ।

जनरल मैनेजरों के लिये "संक्षेपण शक्तियां" [1]

†*४८४. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक जोन की रेलवे के जनरल मैनेजरों को हाल ही में गाड़ियों की सुरक्षा के मामलों में ज़िम्मेदार पाये गये लोगों को नौकरी से हटा देने के लिये संक्षेपण अधिकार प्रदान किये गये हैं ; और

(ख) गाड़ियों की दुर्घटनाओं में कितने मामलों में जनरल मैनेजरों ने इन संक्षेपण अधिकारों का प्रयोग किया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) भारतीय रेलवे संस्थापन संहिता की कण्डिका १७०८ के परन्तुक के अधीन जनरल मैनेजरों को काफ़ी अर्से से यह संक्षेपण शक्तियां प्राप्त हैं कि वह अराजपत्रित कर्मचारियों की नौकरियां उनके नौकरी सम्बन्धी समझौतों के अनुसरण में बिना कोई कारण बताये ही खत्म कर सकते हैं ।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली के स्कूलों की बसें

†*४८५. **श्री वाजपेयी :**
श्री वासुदेवन् नायर :
श्री वारियर :
श्री वोडयार :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ९ मई, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २१११ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छात्रों को अपने स्कूल ले जाने वाली दिल्ली के स्कूलों की बसों का निरीक्षण कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी बसों का निरीक्षण किया गया है ;

(ग) कितनी बसों को दोषयुक्त पाया गया ; और

(घ) इनके बदले में छात्रों के लिये यातायात की दूसरी व्यवस्था करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करने वाली है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) से (ग) अब तक १४१ स्कूली बसों का निरीक्षण किया गया है । इनमें से ५१ बसें दोषपूर्ण पायी गयी हैं ।

(घ) दिल्ली परिवहन उपक्रम डिपो से डिपो तक १.२५ रुपये प्रति मील की दर पर स्कूली बच्चों के लिये बसें देने के लिये राज़ी हो गया है—बशर्तेकि स्कूल ऐसे समय पर खुलें और बन्द हों जिस समय अधिक भीड़भाड़ न होती हो ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1] Summary Powers.

हवाई अड्डों पर पत्रकारों के काम और आराम करने के कमरे

†*४८६. **श्री जोकीम आल्वा :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और अन्य प्रमुख नगरों के हवाई अड्डों पर, जहां पत्रकारों को चौबीसों घंटे तैनात रहना पड़ता है, क्या पत्रकारों के काम और आराम के लिये ऐसे कमरे सुरक्षित हैं जिनमें टेलीफोन और स्नान-घरों आदि की व्यवस्था हो ; और

(ख) बम्बई के नवनिर्मित हवाई अड्डे पर क्या प्रबन्ध है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल) :** (क) जी नहीं ।

(ख) सान्ताक्रुज़ हवाई अड्डे के नये टर्मिनल भवन में पत्रकारों के लिये एक पृथक् कमरे की, जिसमें टेलीफोन लगा हो, व्यवस्था करने का निश्चय किया गया है ।

चावल की वसूली

†*४८७. **श्री राममू :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चावल की वसूली के मामले में किसी भी राज्य में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में, और ये कठिनाइयां किस प्रकार की हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) और (ख). भारत सरकार इस समय केवल आन्ध्र और पंजाब राज्यों में ही चावल वसूली कर रही है । वसूली के मामले में केवल सामान्य प्रकार की कठिनाइयां ही हो रही हैं, जैसे तस्कर व्यापार का प्रयास चावल को छिपा कर जमा करना और कुछ व्यापारियों का अपना स्टाक सरकार को बेचने के लिये इस कारण अनिच्छुक रहना कि उन्हें उन क्षेत्रों में अपने माल का अधिक मूल्य प्राप्त होने की उम्मीद रहती है जहां का प्रचलित बाजार भाव वसूली वाले क्षेत्रों के अधिकतम नियंत्रित भावों से कहीं अधिक होता है ।

उड़ीसा से बिहार को चावल का निर्यात

†*४८८. { **श्री पाणिग्रही :**
श्री महन्ती :
श्री प्र० गं० देब :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार को जो २५,००० टन चावल देने का प्रस्ताव किया था क्या उसे बिहार भेज दिया गया है; और

(ख) क्या राज्य सरकार उड़ीसा से चावल की इस निकासी के लिये राजी हो गयी है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) और (ख). जी हां ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

कोयला खानों में माल डिब्बों में लगे सामान का गुम होना

†*४८९. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व रेलवे प्रशासन ने मार्च, १९५७ में विभिन्न कोयला खान संघों को एक परिपत्र भेज कर माल डिब्बों का सामान गुम होना रोकने के लिये, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह सामान मूलतः कोयला खानों की साइडिंगों में ही गुम होता है, प्रक्रिया निर्धारित कर दी है ।

(ख) क्या यह भी सच है कि कोयला खान संघों ने यह शिकायत की है कि इस प्रक्रिया का पूर्णतः पालन नहीं होता फिर भी मुख्यतः वैगनों की देख रेख में लापरवाही के कारण यह सामान गुम होने पर भी नुकसान उनके नाम डाल दिया गया; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) से (ग). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १३७]**

दिल्ली में आटो रिक्शा ड्राइवरों की हड़ताल

†*४९०. **श्री स० म० बनर्जी :**
श्री नौशीर भरूचा :
श्री वाजपेयी :
श्री उ० ल० पाटिल :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में आँटो-रिक्शा ड्राइवरों ने हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या थीं; और

(ग) उनसे समझौता करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). एक विवरण, जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है, सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १३८]**

दिल्ली के लिये दूध की सप्लाई की योजना

†*४९१. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में दूध की सप्लाई में सुधार करने की सरकारी योजना को छोड़ कर भारतीय सहकारिता संघ द्वारा प्रस्तुत की गई किसी अन्य योजना को ग्रहण किया जा रहा है;

(ख) संघ द्वारा प्रस्तुत की गई योजना किस प्रकार की है; और

(ग) न्यूज़ीलैंड सरकार की सहायता पर आधारित सरकारी योजना में क्या प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी नहीं ।

(ख) संघ ने कोई योजना प्रस्तुत नहीं की है।

(ग) योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है । पटेल नगर रेलवे स्टेशन के निकट सैन्ट्रल डेरी की इमारतें बन रही हैं । दूध एकत्र करने के १३ केन्द्रों के स्थान चुने गये हैं । अलिपुर के केन्द्र का तो निर्माण भी शुरू हो गया है । पांच केन्द्रों के लिये स्थान अर्जित कर लिया गया है और निर्माण आरम्भ होने वाला है । शेष सात केन्द्रों में निर्माण के लिये भूमि अर्जित की जा रही है ।

डेरी के उपकरण का व्ययादेश भेजा जा चुका है और आशा है कि अगले वर्ष वह प्राप्त हो जायेगा । दूध एकत्र करने और ठंडा करने के केन्द्रों के उपकरण के व्ययादेश शीघ्र ही दिये जायेंगे ।

तीसरे दर्जे की महिला यात्रियों के लिये विश्रामालय

†*४९२. **श्री राधा रमण :**
श्री स० म० बनर्जी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय रेलों में तीसरे दर्जे की महिला यात्रियों के लिये विश्रामालयों का निर्माण करने की योजना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो योजना क्या है; और

(ग) क्या पुरुष यात्रियों को भी ऐसी सुविधायें दी जायेंगी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १३९]**

विमानों के किराये में वृद्धि

†*४९३. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाल ही में इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन द्वारा विमानों के किराये बढ़ाने के बाद उनके परिवहन की स्थिति क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : क्योंकि नये किराये १५ जून, १९५८ से लागू हुए हैं इसलिये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के परिवहन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा ।

क्षेत्र विद्या संबंधी प्रयोग[1]

†*४९४. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २४ अगस्त, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८९३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैलों सम्बन्धी गवेषणा और प्रयोग के चार केन्द्र स्थापित करने की योजना पर अन्तिम निर्णय हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) ये केन्द्र किन-किन स्थानों पर खोले गये हैं अथवा खोलने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Agronomic experiments.

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी हां ।

(ख) केन्द्रों के उद्देश्य ये हैं :—

(१) विभिन्न प्रदेशों में कृषि के जो औज़ार और मशीनें प्रयोग में आती हैं उन्हें खेतों में चलाकर उनका परीक्षण करना;

(२) उस प्रदेश में जिन कृषि के कार्यों के लिये औज़ार और मशीनें नहीं हैं उनके लिये औज़ार और मशीनें तैयार करना और यह देखना कि उस प्रदेश की परिस्थितियों और आवश्यकताओं के लिये ये कैसी हैं;

(३) केन्द्र में जिन कृषि मशीनों और औजारों का परीक्षण हो चुका है उनका विकास करना; और

(४) विभिन्न प्रदेशों के लिये ऐसे कृषि औज़ारों के नमूने तैयार करना जो साधारण, सस्ते, कार्यकुशल हैं और जिन से श्रम भी कम लगे।

(ग) (१) भारतीय कृषि गवेषणा संस्था, नई दिल्ली

(२) कृषि कालेज, कोयम्बटूर (मद्रास)

(३) पूना (बम्बई)

(४) पश्चिमी बंगाल में कोई उपयुक्त स्थान चुना जायेगा ।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन

†*४९५. **श्री वाजपेयी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ में इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को भोपाल-इन्दौर और ग्वालियर के बीच विमान चलाने के कारण कुल कितना घाटा रहा;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) घाटे को पूरा करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) दिल्ली/आगरा/ग्वालियर/भोपाल/इन्दौर/औरंगाबाद/बम्बई विमान सेवा १४ अप्रैल, १९५७ को बन्द कर दी गई थी । १९५६-५७ में इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को इस सेवा के कारण १८.६० लाख रुपये का घाटा रहा ।

(ख) मुख्यतः यातायात की कमी ।

(ग) किसी विशेष क्षेत्र में कारपोरेशन को जो घाटा हुआ उसे पूरा करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

तीसरे दर्जे में सोने के स्थान का रक्षण

†*४९६. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीसरे दर्जे में सोने के स्थान के रक्षण के लिये अब ३.४५ रुपये जना २५ नये पैसे बैठने के स्थान के लिये जाते हैं जबकि पहले केवल ३ रुपये लिये जाते थे;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो यह वृद्धि कब से हुई है; और

(ग) क्या अन्य दर्जों के लिये भी बैठने के स्थान के लिये कुछ वसूली की जाती है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). १५-९-५७ से पूर्व तीसरे दर्जे में सोने के स्थान के लिये अधिकार के रूप में केवल ३ रुपये लिये जाते थे। १५-९-५७ से यात्रियों से सफर की लम्बाई को देखते हुये यथास्थिति इस अधिभार का १५ प्रतिशत अथवा १० प्रतिशत यात्री भाड़ा कर भी लिया जाता है। इसके अतिरिक्त १-४-५८ से रात को सोने का और दिन को बैठने का स्थान पहले से रक्षित कराने के लिये २५ न० पै० वसूल किये जाने लगे हैं।

(ग) अन्य दर्जों में स्थान रक्षित कराने के लिये रक्षण शुल्क का इसी प्रकार भुगतान करना पड़ता है।

सवारी गाड़ियों में भीड़

†*७९०. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर बिहार में पूर्वोत्तर रेलवे के भूतपूर्व ओ० टी० आर० सैक्शन पर सवारी गाड़ियों में भीड़ को कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : एक विवरण जिसमें जानकारी दी गई है सभा-पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १४०]

भटिंडा के निकट माल गाड़ी का पटरी से उतर जाना

†*७९१. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शुक्रवार, ४ जुलाई, १९५८ को उत्तर रेलवे के मीटर लाइन सैक्शन पर रिवाड़ी से आने वाली एक माल गाड़ी से भटिंडा स्टेशन पर एक भीषण दुर्घटना हुई और पायंट्स के ठीक लगे न होने के कारण मालगाड़ी पटरी से उतर गई ; और

(ख) यदि हां, इसके लिये उत्तरदायी ठहराये गये व्यक्तियों के खिलाफ़ क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) ४-७-१९५८ को लगभग ११-१५ बजे जब कि न० बी० ६४ माल गाड़ी को भटिंडा स्टेशन यार्ड में ले जाया जा रहा था, उस समय उसका इंजन और चार माल डिब्बे पटरी से उलट गये और दो माल डिब्बे और एक 'आगजिलियरी टैंक' उलट गया।

(ख) 'केबिन मैन' और 'पायलट जमादार' को जो इसके जिम्मेदार ठहराये गये हैं मुअत्तिल कर दिया गया है और उनके खिलाफ़ विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

इटावा स्टेशन पर पोर्टरों की हड़ताल

†७९२. **श्री भदौरिया** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के इटावा स्टेशन के पोर्टर्स ने १० जुलाई, १९५८ से हड़ताल की थी ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ; और

(ग) क्या रेलवे विभाग ने उन कारणों को दूर करने का कोई प्रयत्न किया था ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी हां । १०-७-५८ को इटावा के लाइसेंसदार भारिकों ने सुबह १० बजे काम बन्द कर दिया था, लेकिन दिन में १ बजे फिर वे काम पर आ गये ।

(ख) रेलवे पुलिस के सब इंस्पेक्टर एक भारिक के खिलाफ़ चार्जशीट जारी करना चाहते थे । इस सिलसिले में पुलिस की तरफ़ से जो कार्रवाई की गयी उसकी वजह से भारिकों ने काम बन्द कर दिया ।

(ग) आगरा डिवीज़न के पुलिस सर्किल इंस्पेक्टर मामले की जांच कर रहे हैं । पुलिस अधिकारियों की रिपोर्ट मिलने पर विचार किया जायेगा कि इस मामले पर आगे क्या कार्रवाई की जाय ।

बम्बई राज्य में चीनी की मिलें

†*७९३. **श्री जाधव :**
श्री पांगरकर :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह जानकारी हो :

(क) बम्बई राज्य में विभिन्न चीनी की मिलों में गन्ना पेरने की क्षमता क्या है ;

(ख) उपरोक्त कारखानों में १९५७–५८ के गन्ना पेरने के मौसम में कुल कितनी मात्रा में गन्ना पेरा गया ;

(ग) उपरोक्त कारखानों को गन्ने का संभरण करने वाले कृषकों ने कुल कितने गन्ने का संभरण किया ;

(घ) कितने चीनी के कारखानों ने कृषकों से पे 'बांड' प्राप्त किये कि भविष्य में गन्ना उन्हीं को सप्लाई किया जायेगा ; और

(ङ) भविष्य में गन्ने का सम्भरण करने की प्रत्याभूति लेते समय कितने कारखानों ने रुपये वसूल किये ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन०)** : (क) २०४५० टन गन्ना प्रति दिन ।

(ख) २८.५७ लाख टन ।

(ग) १७.७२ लाख टन ।

(घ) १६ जिनमें ९ सहकारी कारखाने हैं ।

(ङ) ३ ।

केन्द्रीय वन गवेषणा संस्था, देहरादून

†७९४. **श्री पांगरकर :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय वन गवेषणा संस्था, देहरादून में कुल कितने कर्मचारी (प्रथम से चतुर्थ श्रेणी तक) काम करते हैं ; और

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) प्रत्येक प्रणाली में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कितने कर्मचारी हैं ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :

(क)	प्रथम श्रेणी . . .	४१
	द्वितीय श्रेणी . . .	४५
	तृतीय श्रेणी . .	४७७
	चतुर्थ श्रेणी . . .	५०८

(ख)

	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित आदिम जातियां
प्रथम श्रेणी .	कोई नहीं	कोई नहीं
द्वितीय .	कोई नहीं	कोई नहीं
तृतीय श्रेणी	२६	कोई नहीं
चतुर्थ श्रेणी	१०१	कोई नहीं

बम्बई राज्य में ग्राम्य जल संभरण योजनायें

†७९५. **श्री पांगरकर :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को बम्बई सरकार से १९५८-५९ के लिये ग्राम्य जल संभरण की कितनी योजनायें प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) सरकार द्वारा १९५८-५९ के लिये कितनी सहायता दी जाने वाली है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) ५१ योजनायें ।

(ख) १९५८-५९ के लिये पचास लाख रुपये का आवंटन किया गया है । जल संभरण और स्वच्छता योजनाओं पर राज्य सरकार जो कुल खर्च करेगी उसका केवल ५० प्रतिशत भुगतान इस आवंटित निधि में से किया जायेगा और कुल भुगतान ५० लाख रुपये से अधिक नहीं होगा ।

डाक तथा तार विभाग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी

†७९६. **श्री सिदय्या :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री ५ मई, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३२०८, जो डाक तथा तार विभाग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के बारे में था, के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी एकत्र कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसे सभा पटल पर कब रखा जायेगा ।

†परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : (क) और (ख). अभी जानकारी एकत्र की जा रही है और आशा है कि शीघ्र ही उसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भवनेश्वर डाक घर

†७९७. **श्री वै० च० मलिक :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ८ मई, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३६३१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भवनेश्वर में उड़ीसा के डाक तथा तार विभाग के डायरेक्टर के कार्यालय और कर्मचारियों के लिये क्वार्टर बनाने के हेतु भूमि अर्जित करने के प्रश्न का अन्तिम निर्णय हो चुका है;

(ख) क्या कार्यालय को भवनेश्वर ले जाने के बारे में अन्तिम निर्णय हो चुका है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में और क्या प्रगति हुई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) उड़ीसा के डाक तथा तार विभाग के डायरेक्टर के कार्यालय के लिये इमारत और कर्मचारियों के लिये क्वार्टर बनाने के हेतु भूमि अर्जित करने की प्रस्थापना स्वीकृत होने वाली है ।

(ख) जी हां ।

(ग) भाग (क) के उत्तर में इसका उत्तर शामिल है ।

पश्चिमी तट की सड़क (वैस्ट कोस्ट रोड)

†७९८. **श्री आसर :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी तट की सड़क (बम्बई-गोआ सड़क) के निर्माण के लिये केन्द्रीय सरकार ने कुल कितनी राशि स्वीकृत की है ;

(ख) ३१ जुलाई, १९५८ तक कुल कितनी राशि दी गई थी ;

(ग) क्या भुगतान किस्तों से किया गया या एक साथ ; और

(घ) यदि किस्तों से, तो वार्षिक किस्त कितनी थी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** । (क) पश्चिमी तट सड़क बम्बई, मैसूर और केरल राज्यों में से हो कर जाती है । शायद बम्बई राज्य से गुजरने वाले भाग के बारे में ही प्रश्न पूछा गया है । अभी ७२ लाख रुपये के प्राक्कलन स्वीकृत किये गये हैं ।

(ख) और (घ).

	लाख रुपये
१९५१–५२ से १९५५–५६ .	१.३३
१९५६–५७	२३.०७
१९५७–५८ . .	१८.५२
१९५८–५९ (३१ जुलाई १९५८ तक)	११.१९
	५४.११

(ग) वार्षिक किस्तों से ।

†मूल अंग्रेजी में

पिछड़े क्षेत्रों के लिये गांव सभा

†७९९. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **सामुदायिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थानीय स्वायत शासन के केन्द्रीय परिषद् की सिफारिश के अनुसार गांव सभाओं के पिछड़े क्षेत्रों के लिये वित्तीय सहायता देने की कोई योजना केन्द्रीय सरकार ने तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

†**सामुदायिक विकास मंत्री (श्री लु० कु० डे) :** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

वनस्पति तेल

†८००. **श्री राम कृष्ण :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई योजनाओं का परीक्षण करने, वर्तमान योजनाओं की पदावधि बढ़ाने और भारत में वनस्पति तेल की गवेषणा का टैक्नीकल कार्यक्रम बनाने वाली टैक्नीकल गवेषणा उपसमिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) जी हां ।

(ख) टैक्नीकल उपसमिति की बैठक ३० और ३१ दिसम्बर, १९५७ को हुई थी और उसने निर्णय किया था कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल में वनस्पति तेल की प्रौद्योगिकीय गवेषणा के कार्यक्रम में निम्नलिखित छः संस्थायें काम करेंगी :—

१. रीजनल रिसर्च लेबारेटरी, हैदराबाद

२. नैशनल कैमिकल लेबारेटरी, पूना

३. सैंट्रल फूड टैक्नोलोजिकल रिसर्च इंस्टीच्यूट, मैसूर

४. हाइकोर्ट बटलर टैक्नोलोजिकल रिसर्च इंस्टीच्यूट, कानपुर

५. आयल टैक्नोलोजिकल इंस्टीच्यूट, अनन्तपुर

६. डिपार्टमेंट आफ कैमिकल टैक्नोलोजी, बम्बई विश्वविद्यालय, बम्बई ।

उपरोक्त छः संस्थाओं से विस्तृत योजनायें मिलने पर तदर्थ समिति ने १२ जुलाई, १९५८ को इन योजनाओं का विस्तृत परीक्षण करने के बाद यह सिफारिश की कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना की शेष अवधि के लिये छः योजनायें कार्यान्वित की जायें जिन पर ८,२१,३०८ रुपये खर्च किया जाये ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

चरखी-दादरी स्टेशन पर गुड्स शेड का निर्माण

†८०१. **श्री राम कृष्ण :**
सरदार इकबाल सिंह

क्या **रेलवे** मंत्री ७ मार्च, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९६६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चरखी-दादरी स्टेशन पर गुड्स शेड के निर्माण का कार्य वास्तव में आरम्भ हो गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) नहीं। शीघ्र ही कार्य आरम्भ होगा और आशा है कि चालू वर्ष में पूरा हो जायेगा।

(ख) हिसार के एक शेड को गिरा कर उसके एक भाग को हांसी में दूसरे को चरखी-दादरी में लगाया जाना था। हांसी में काम पूरा हो चुका है और हिसार में शेड के शेष भाग को गिराने का काम शुरू होगा ताकि उसे चरखी-दादरी में लगाया जा सके।

चरखी-दादरी और मन्हेरु के बीच एक स्टेशन बनाना

†८०२. **श्री राम कृष्ण :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पंजाब के मोहिन्द्रगढ़ जिले में फतेहगढ़ ग्राम के रहने वालों से इस बारे में कोई प्रार्थना पत्र मिला है कि उत्तर रेलवे के मीटर गेज सैक्शन—रिवाड़ी-भटिंडा के चरखी-दादरी और मन्हेरू स्टेशनों के बीच एक स्टेशन बनाया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या निश्चय किया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां। १७-४-५८ को एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था।

(ख) उत्तर रेलवे के चरखी-दादरी और मन्हेरू के बीच एक पलैग स्टेशन बनाने की प्रस्थापना पर विचार किया गया था परन्तु यह मुनासिब नहीं समझा गया।

इस बात पर विचार किया जा रहा है कि क्या यह मुनासिब होगा कि वहां गाड़ी रुके।

पंजाब में गोशालायें

†८०३. **श्री राम कृष्ण :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नगरीय क्षेत्रों में दूध की सप्लाई को बढ़ाने और बढ़िया नस्ल के ढोर का पालन करने के लिये भारत सरकार ने गोशाला विकास योजना के अन्तर्गत पंजाब को १९५७-५८ के लिये कितनी गोशालाओं की स्वीकृति दी है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : चार।

---

†मूल अंग्रेजी में

अम्बाला में रेल के फाटक पर पुल

†८०४. **श्री राम कृष्ण** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अम्बाला में जी० टी० रोड पर रेल के फाटक पर ऊपर का पुल बनाने के बारे में कोई कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : पंजाब सरकार के कथनानुसार जी० टी० रोड पर जो छः ऊपर के पुल बनाये जाने वाले हैं उनमें अम्बाला का नाम प्राथमिकता के अनुसार चौथा है। इस पुल का प्राक्कलन और नक्शा तैयार किया जा रहा है और स्वीकृति के लिये पंजाब सरकार को भेज दिया जायेगा ।

पंजाब सड़क विकास योजना

†८०५. **श्री राम कृष्ण :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **परिवहन तथा संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार को सड़क विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष १९५८–५९ के लिये कोई अनुदान दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो कहां तक ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां ।

(ख) ३८.०७ लाख रुपये ।

खंडवा-हिंगोली रेलवे लाइन

†८०६. **श्री त० ब० विठ्ठल राव** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खंडवा-हिंगोली रेलवे लाइन बनाने में कुल कितने कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं ;

(ख) उन में से कितने लोगों की सेवा तीन वर्ष से ऊपर हो चुकी है; और

(ग) क्या उनकी सेवा को स्थायी बनाने के लिये क्या कोई कार्यवाही की जा रही है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** :

		स्थाई	अस्थाई
(क)	(१) तृतीय श्रेणी .	१११	३५४
	(२) चतुर्थ श्रेणी .	३	५६
	कुल	११४	४१०
	(३) दैनिक मजूरी पर रखे गये श्रमिक .		३,३५३
(ख)	(१) तृतीय श्रेणी (अस्थायी)		२३६
	(२) चतुर्थ श्रेणी (अस्थायी) .		४८
	कुल .		२८४

†मूल अंग्रेजी में

(ग) जी हां, आकस्मिक श्रमिकों के अतिरिक्त जिन्हें अपने आप स्थायी नौकरियों में नहीं लिया जाता परन्तु नौकरियों के विज्ञापन के उत्तर में यदि आवेदन-पत्र दें और भर्ती की शर्तों को पूरा करें तो चुनाव बोर्ड उन्हें सामान्य नौकरियों में ले सकता है ।

पंजाब में राज्य भांडागार निगम

†८०७. श्री दो० चं० शर्मा :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री राम कृष्ण :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब में राज्य भांडागार निगम स्थापित करने के बारे में क्या प्रगति हुई है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : २ जनवरी, १६५८ से पंजाब राज्य में एक राज्य भांडागार निगम की स्थापना की गई है जिसका मुख्यालय जालंधर में है ।

जैसा कि कृषि उत्पाद (विकास तथा भांडागार) निगम अधिनियम, १६५६ की धारा ३० की उप-धारा (१) (क) और (ख) द्वारा अपेक्षित है पंजाब के राज्य भांडागार निगम के लिये राज्य सरकार और केन्द्रीय भांडागार निगम ने पांच-पांच डायरेक्टर नामज़द किये हैं ।

अतिरिक्त वित्तीय आयुक्त और पंजाब सरकार के सचिव (कृषि तथा पुनर्वास विभाग) को राज्य भांडागार निगम का सभापति नियुक्त किया गया है ।

कपास की खेती

†८०८. सरदार इकबाल सिंह :
श्री राम कृष्ण :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कपास की खेती वाले क्षेत्रों की वृद्धि के लिये विभिन्न राज्य सरकारों ने क्या क्या कार्यवाहियां की हैं ?

(ख) प्रत्येक राज्य में कितने क्षेत्र में भिन्न भिन्न प्रकार की कपास बोई गयी है; और

(ग) प्रत्येक राज्य की कपास की उपज गत पांच वर्षों की उपज की तुलना में कैसी है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा कपास की खेती को बढ़ाने के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(१) निम्नलिखित तरीकों से क्षेत्र की वृद्धि की गयी :—

(१) पड़ती और बंजर भूमि का कृष्यकरण;

(२) गैर-खाद्य फसलों के स्थान पर कपास की खेती करना; और

(३) कपास का द्वितीय फसल के रूप में उत्पादन ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) सुधरी हुई किस्मों को कपास के क्षेत्रों का प्रसार

कपास के सुधरी किस्म के बीजों का उत्पादन और वितरण ।

(ख) और (ग). सभा-पटल पर दो विवरण रखे गये हैं जिनमें बताया गया है कि (१) १९५३–५४ तथा १९५४–५५ और (२) १९५५–५६, १९५६–५७ और १९५७–५८ में विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार की कपास पैदा करने वाले कौन कौन से क्षेत्र हैं । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १४१]

साग सब्जियां

†८०९. श्री दी० चं० शर्मा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने साग-सब्जियों के उत्पादन और उसके निर्यात को बढ़ाने के लिये कोई कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि हां, तो अभी तक कितनी सफलता प्राप्त हुई है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) और (ख). लोक-सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १४२]

पंजाब में वनों का विकास

†८१०. श्री दी० चं० शर्मा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७–५८ में पंजाब में वन क्षेत्रों में पेड़ लगाने के लिये पंजाब सरकार को कितनी प्रविधिक तथा वित्तीय सहायता दी गयी है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : उसके लिये कोई भी प्रविधिक सहायता नहीं मांगी गई थी । १९५७–५८ में उसके लिये २,१२,००० रुपये (२,००,००० रुपये ऋण के रूप में और १२,००० रुपये अनुदान के रूप में) मंजूर किये गये थे ।

किशनगंज क्षेत्र की रेलवे कालोनी में माध्यमिक स्कूल

†८११. श्री तंगामणि : श्री रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के किशनगंज क्षेत्र की रेलवे कालोनी में या उसके आस पास कोई भी माध्यमिक स्कूल नहीं है ;

(ख) क्या सरकार को ज्ञात है कि उस बस्ती के रेल कर्मचारी अपने बच्चों की शिक्षा के सम्बन्ध में बड़ी कठिनाई का सामना कर रहे हैं ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में उत्तर रेलवे के प्राधिकारियों के पास कोई अभ्यावेदन भेजा गया था; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) जी, हां ।

(घ) मामला अभी विचाराधीन है ।

भारतीय रेलों के लिये उपकरण

†८१२. { सरदार इकबाल सिंह :
श्री राम कृष्ण :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६५८–५६ और १६५६–६० में भारतीय रेलों के लिये माल और सवारी डिब्बों तथा इंजन आदि के संभरण के सम्बन्ध में किन किन क्षेत्रों तथा सार्थों से भारत सरकार ने करार किये हैं ;

(ख) इस प्रकार के करारों का स्वरूप तथा ब्यौरे क्या क्या हैं और उनकी कुल कितनी राशि है ;

(ग) क्या कोई ऐसी तिथियां निश्चित की हैं जब तक कि सारा सामान पहुंच जाना चाहिये ; और

(घ) यदि हां, तो वे कौन कौन सी तिथियां हैं ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क), (ख) और (घ). लोक सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १४३]**

(ग) जी, हां ।

डाकघरों में अल्प बचत संबंधी सुविधायें

†८१३. श्री दी० चं० शर्मा : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्प बचत में अन्न जमा कराने वाले व्यक्तियों के लिये डाकघरों में अतिरिक्त सुविधायें देने के प्रश्न पर विचार करने के लिये राष्ट्रीय बचत केन्द्रीय परामर्शदात्री समिति की हाल ही में दिल्ली में बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या क्या निर्णय किये गये थे; और

(ग) उन्हें कार्यान्वित करने के लिये क्या क्या कार्यवाही की गयी है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १४४]**

भूमि का कटाव

†८१४. श्री सूपकार : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूमि के कटाव की रोक थाम के लिये तैयार की गयी योजनाओं के अन्तर्गत राज्यवार कुल कितना क्षेत्र आता है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १९५७–५८ में इन योजनाओं पर प्रत्येक राज्य में कितना धन खर्च किया गया था ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) और (ख). द्वितीय पंच वर्षीय योजना में प्रत्येक राज्य में भूमि के कटाव की रोक थाम करने वाली योजनाओं के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र और १९५७–५८ में किये गये खर्च के सम्बन्ध में अभी तक उपलब्ध ब्योरे निम्नलिखित हैं :—

क्रम संख्या	राज्य का नाम	वह क्षेत्र जोकि उसके अन्तर्गत लाया जाना है (एकड़ों में)	वह क्षेत्र जो कि उसके अन्तर्गत पहले ही लाया जा चुका है (एकड़ों में)	१९५७–५८ में किया गया खर्च (लाखों रुपयों में)
१.	आसाम .	७,०२७	४,०२७	०.७५
२.	आन्ध्र प्रदेश . .	१,०७,०७६	१४,९४४	४.६५
*३.	विहार (जिसमें दामोदर घाटी निगम भी सम्मिलित है)	२,२३,४४०	२८,६८२	३६.५६
४.	बम्बई . .	१०,३२,६८२	२,५२,०००	६७.४१
५.	जम्मू तथा काश्मीर .	४४,७१८	१६,२२९	६.४६
६.	केरल .	२०,०००	२,४००	१.२६
७.	मध्य प्रदेश .	२,६३,६३९	९१,९९३	१२.९६
८.	मद्रास	१,२६,७८०	४६,९३९	२२.३०
९.	मैसूर	१,८७,५१३	६९,३५३	१५.६६
१०.	उड़ीसा	७७,०२७	२९,८०३	१४.२२
		+१०० मील	+२१ मील	
११.	पंजाब	८०,९८५	३२,५५१	८.०८
		+२२३ मील	+१०० मील	
१२.	राजस्थान .	६,०००	२५०	०.४८
१३.	उत्तर प्रदेश .	२,६०,१५०	१५,५१३	१४.४८
*१४.	पश्चिमी बंगाल .	४६,४००	१,५४०	५.८७
१५.	अन्दमान तथा निकोबार	..	..	..
१६.	दिल्ली .	३,३३७	१,५१४	०.८५
१७.	हिमाचल प्रदेश	७,८९१	६,४९७	१.३८
१८.	मनीपुर .	५००	२७४	१.१२
१९.	त्रिपुरा .	४००	१००	०.१९
	कुल	२४,९४,५६५	६,१४,४०९	२१४.६८
		+३२३ मील	+१२१ मील	

*आंकड़े अभी राज्य सरकार द्वारा नहीं भेजे गये हैं । ये अनुमानित आंकड़े भारत सरकार के रिकार्ड से लिये गये हैं ।

२५ अगस्त १९५८ को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

दिल्ली में अनधिकृत रूप से बनाये गये मकान

८१५. श्री नवल प्रभाकर : क्या स्वास्थ्य मंत्री २५ फरवरी, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५५६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में सत्तर हजार अनाधिकृत मकान हैं ;

(ख) इन में से कितने मकानों के बारे में मालिकों को नोटिस दिये जा चुके हैं; और

(ग) ३१ जुलाई, १९५८ तक इन में से कितने मकान गिराये गये ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) से (ग) मांगी गयी जानकारी संलग्न विवरण में दी हुई है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १४५]

दिल्ली में नहरी पानी का दिया जाना

८१६. { श्री नवल प्रभाकर :
श्री राधा रमण :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के देहाती क्षेत्रों में नहरी पानी बारी बारी से नहीं दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो लोगों को किस आधार पर पानी दिया जाता है; और

(ग) किन दरों पर पानी दिया जाता है ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) उत्तर नहीं में है ।

(ख) पंजाब सिंचाई विभाग दिल्ली के कुछ गांवों को सिंचाई के लिये नहरी पानी देता है। यह पानी बारी बारी से दिया जाता है और इस की मात्रा नदी में उपलब्ध पानी पर निर्भर रहती है ।

पानी बारह मासी नहरों तथा बाढ़ नालों द्वारा दिया जाता है । खेती योग्य सींचे जाने वाले क्षेत्र को, २.८६ क्यूज़ेक फ़ी हज़ार एकड़ के हिसाब से बारह मासी नहरों द्वारा और २.४ क्यूज़क फ़ी हज़ार एकड़ के हिसाब से बाढ़ नालों द्वारा पानी दिया जाता है ।

(ग) पानी की दरें फसलों के आधार पर पंजाब सरकार द्वारा स्वीकृत अनुसूची के अनुसार हैं । वे इस प्रकार हैं---

	रु०	आ०	पा०	फी एकड़
गेहूं .	५	१३	६	,,
चना .	४	७	६	,,
धान .	९	१२	०	,,
कपास .	६	१२	०	,,
गन्ना	१६	८	०	,,
बागों और बगीचों के लिये . . .	८	४	०	,,

†मूल अंग्रेजी में

गाड़ियों में चोरियां और डकैतियां

†८१७. **श्री बाल्मीकी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, १९५७ से जुलाई, १९५८ तक की अवधि में चलती गाड़ियों में चोरियों और डकैतियों की कितनी घटनायें हुई थीं ;

(ख) उनमें कितने व्यक्ति हताहत हुये थे; और

(ग) उनमें कितना माली नुकसान हुआ था ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) :** (क) ७२३६,

(ख) ८३ ;

(ग) ३३ लाख रुपये ।

मक्का

†८१८. **श्री बाल्मीकी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी तक किस किस नयी किस्म का मक्का पैदा किया गया है; और

(ख) किन किन राज्यों में मक्का की फसल के बारे में गवेषणा कार्य हो रहा है ।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन):** (क) अभी तक निम्नलिखित नयी किस्मों के मक्के का उत्पादन किया गया है :—

पूर्वी पंजाब में पंजाब प्रसंकर किस्में नम्बर, १, २, ३ तथा ४, बम्बई राज्य में $(^{I}_{5} \times ^{L}_{5}) \times ^{S}_{23}$, और भारतीय कृषि गवेषणा संस्था, नई दिल्ली में डी० सी० १ और डी० सी० २

चार उच्च कोटि के अमरीकन प्रसंकर किस्मों के बीज भी, भारत में पैदा किये जा रहे हैं जिनके नाम हैं :—

एन० सी० २७, मू० स० १३ , टेक्साज़ २६ और कान १६३९.

(ख) मक्का की फसल के सम्बन्ध में निम्नलिखित राज्यों में गवेषणा कार्य हो रहा है :—

१. काश्मीर
२. पंजाब
३. उत्तर प्रदेश
४. बिहार
५. पश्चिमी बंगाल
६. राजस्थान
७. मध्य प्रदेश
८. बम्बई
९. मैसूर
१०. आन्ध्र प्रदेश, तथा
११. भारतीय कृषि गवेषणा संस्था, नई दिल्ली

†मूल अंग्रेजी में

खाद्यान्नों के मूल्य

†८१९. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न केन्द्रों में खाद्यान्नों के मूल्य इस समय कैसे हैं; और

(ख) ये मूल्य गत वर्ष के मूल्यों की तुलना में कैसे हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क). और (ख) लोक सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें यह बताया गया है कि १९५७ और १९५८ की २० अगस्त को चावल, गेहूं, जवार, बाजरा और मक्का की थोक कीमतें बतायी गई हैं। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १४६]**

नदी घाटी परियोजना प्रविधिक कर्मचारी समिति का प्रतिवेदन

†८२०. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने नदी घाटी परियोजना प्रविधिक कर्मचारी समिति के प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने अभी तक कौन कौन सी सिफारिश स्वीकार करली है; और

(ग) उन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा क्या क्या कार्यवाहियां की गयी हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). लोक सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें बताया गया है कि कौन कौन सी सिफारिश की गई है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १४७]**

कपास का विकास

†८२१. **{सरदार इकबाल सिंह :**
श्री राम कृष्ण :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कपास के विकास पर खर्च करने के लिये निर्धारित की गयी केन्द्रीय निधि में से प्रथम पंच वर्षीय योजना के अन्तिम दो वर्षों और १९५६–५७ तथा १९५७–५८ में कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) केन्द्रीय कपास समिति ने अभी तक कितनी प्रगति की है और कितनी प्रादेशिक सम्मितियां स्थापित की गयी हैं ;

(ग) क्या गवेषणा संस्था ने कपास के सुधार की औद्योगिक संभावनाओं के सम्बन्ध में अपनी गवेषणा पूरी कर ली है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**) : (क)

वर्ष	अनुदान	ब्याज वाले अल्प कालीन ऋण
	रुपये	रुपये
१९५४–५५	१२,००,४५१	३१,७०,०००
१९५५–५६	८,१०,१५९	२६,००,०००
१९५६–५७	८,५४,९००	२६,००,०००
१९५७–५८	७,४३,२१७	१७,३६,१००

(ख) से (ग) लोक सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गयी है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १४८]**

भूमि संरक्षण गोष्ठी

*८२२. **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री राम कृष्ण :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष मई मास में उटकामंड में भूमि संरक्षण गोष्ठी हुई थी; और

(ख) उस गोष्ठी की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी, हां ।

(ख) उस गोष्टी का उद्देश्य यह था कि देश में भूमिपरिसंरक्षण सम्बन्धी योजना और गवेषणा कार्य का पुनरीक्षण किया जाये और उनमें समन्वय उत्पन्न किया जाये और गवेषणा तथा विस्तार कर्मचारियों को इस बात का अवसर प्रदान किया जाये कि वे भूमि संरक्षण उपायों को शीघ्रता से अपनाने के लिये पारस्परिक समस्याओं पर चर्चा कर सकें। उस गोष्ठी की मुख्य-मुख्य बातें निम्न-लिखित थीं:—

(१) केन्द्रीय गवेषणा, प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण केन्द्रों में होने वाली कार्य की प्रगति का पुनरीक्षण और आगामी वर्ष का कार्यक्रम तैयार करना ।

(२) हिमालय तथा शिवालक की पहाड़ियों पर भूमि के कटाव की समस्याओं पर और उन क्षेत्रों में काश्त तथा फसलों के स्थान परिवर्तन और भूमि संरक्षण के सम्बन्ध में विचार करना ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(३) भारत के मरुस्थल तथा अर्ध मरुस्थल के क्षेत्रों में भूमि कटाव की समस्याओं पर विचार विमर्श ।

(४) खडो के निर्माण तथा उनके कृष्यकरण की समस्याओं पर चर्चा ।

(५) भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ की गयी अखिल भारतीय भूमि सर्वेक्षण योजना को ध्यान में रखते हुये भूमि के उपयोग के विषय में भूमि सर्वेक्षण करने के प्रश्न पर विचार विमर्श ।

इन सभी विषयों को कार्यान्वित करने के लिये केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को कई महत्वपूर्ण सिफ़ारिशें की गयी थीं । वे सिफारिशें अभी विचाराधीन हैं ।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन

†८२३. **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री राम कृष्ण :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल-मई, १९५८ में जनेवा में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का राष्ट्रीय समुद्रीय सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो उक्त सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किस किस व्यक्ति ने किया था; और

(ग) इस सम्मेलन में मुख्य रूप से क्या-क्या सिफारिशें की गयी थीं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, हां । जनेवा में २७ अप्रैल से १८ मई, १९५८ तक अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का ४१वां (समुद्रीय) सत्र हुआ था ।

(ख) उक्त सम्मेलन में भारत से निम्न लिखित प्रतिनिधियों ने भाग लिया था :—

सरकारी प्रतिनिधि :

डा० नगेन्द्र सिंह, आई० सी० एस०,
नौवहन, महानिदेशक, **नई दिल्ली** ।
(प्रतिनिधि मण्डल के नेता)

डा० एस० टी० मोटानी, आई० ए० एस०,
लेबर एटैची, **जनेवा** ।

नियोजकों के प्रतिनिधि :

श्री आर० ई० कुमाना (प्रतिनिधि)
सिंधिया स्टीमशिप (लन्दन) लिमिटेड
के मैनेजिंग डायरेक्टर, **लन्दन** ।

श्री टी० एम० संघानी (परामर्शदाता)
ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कम्पनी, लिमिटेड, **बम्बई** ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्रमिकों के प्रतिनिधि :

श्री ए० के० मोहम्मद सोरंग (प्रतिनिधि)

नैशनल यूनियन आफ़ सीमैन, **बम्बई** ।

श्री बिकास मजूमदार (परामर्शदाता)

नेशनल यूनियन आफ सीमैन, **कलकत्ता** ।

(ग) लोक सभा-पटल पर एक विवरण रखा गया है जिसमें संक्षेप में यह बताया गया है कि सम्मेलन में क्या क्या सिफारिशें की गयी थीं **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १४९]**

मूंगफली की खेती

८२४. **श्री डामर :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ से १९५७ तक प्रतिवर्ष भारतवर्ष में कितनी भूमि में मूंगफली की खेती हुई; और

(ख) क्या सरकार का मूंगफली की खेती के बढ़ते हुये रकबे को रोकने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) सन् १९५३–५४ से १९५७–५८ तक मूंगफली की खेती का क्षेत्रफल निम्नलिखित था :—

सन्	क्षेत्र—हजारों की संख्या में एकड़
१९५३–५४	१०,४९५
१९५४–५५	१३,५४८
१९५५–५६	१२,६९२
१९५६–५७	१३,४५०
१९५७–५८	१४,४५७

(ख) अनाज की फसलों के अन्तर्गत की भूमि को बिना कम किये मूंगफली के साथ तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने का प्रस्ताव है। मूगफली के उत्पादन की बढ़ौतरी अधिक पैदावार के तरीकों के द्वारा की जायेगी। वास्तव में पिछले चार सालों में क्षेत्र की बढ़ौतरी नहीं के बराबर है ।

उत्तर प्रदेश में नई लाइनों का सर्वेक्षण

८२५. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **रेलवे** मंत्री निम्नलिखित बातें बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) उत्तर प्रदेश में शुरू से अब तक जिन रेलवे लाइनों का सर्वेक्षण किया गया है, उनके नाम क्या हैं ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) प्रत्येक सर्वेक्षण का पूरा ब्यौरा जैसे सर्वेक्षण का वर्ष, किन-किन स्थानों को मिलाया जायेगा, प्रस्तावित लाइन की लम्बाई, अनुमानित खर्च आदि दिया गया हो ;

(ग) किन किन लाइनों का निर्माण हो चुका है अथवा किया जायेगा ; और

(घ) जिन लाइनों का सर्वेक्षण हो चुका है उन्हें न बनाने के क्या कारण हैं ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (घ). जिन लाइनों का सर्वे किया जाता है उनकी रिपोर्ट राज्य के अनुसार नहीं, बल्कि रेलवे के अनुसार रखी जाती है। फिर भी एक बयान सभा-पटल पर रख दिया गया है जिसमें उन नयी लाइनों का ब्योरा दिया गया है जो पूर्णतः या अंशतः उत्तर प्रदेश में हैं और जिनका सर्वे अभी पिछले वर्षों में (पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में) किया गया है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १५०]**

मैसूर में कृषि

†८२६. **श्री वोडयार** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में गहन कृषि के लिये मैसूर राज्य के लिये कुल कितनी राशि आवंटित की गई है; और

(ख) क्या मैसूर सरकार ने इस प्रयोजन के लिये केन्द्रीय सरकार से कोई और राशि भी मांगी है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) गहन कृषि के लिये तो प्रथम पंचवर्षीय योजना अथवा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कोई आवंटन नहीं किया गया है। हां, अधिक अन्न उपजाओ योजनाओं के अधीन निर्धारित की गयी राशियों के बारे में जानकारी नीचे दी जाती है :—

प्रथम पंच वर्षीय योजना तथा द्वितीय पंच वर्षीय योजना में क्रमशः ४०१.०३ लाख तथा ८७६.१९ लाख रुपये निर्धारित किये गये हैं।

(ख) जी हां, छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये ४० लाख रुपयों की अतिरिक्त राशि मांगी गयी है। उस मांग पर अभी विचार किया जा रहा है ।

आजमगढ़-गुसांईगंज रेलवे लाइन

†८२७. **श्री कालिका सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९०६–७ में रेलवे जिला बनारस में सरकार ने किस बात को ध्यान में रखते हुए आजमगढ़-गुसाईगंज रेलवे लाइन के निर्माण के लिये प्रारम्भिक इंजीनियरिंग सर्वेक्षण प्रारम्भ किया था;

(ख) उस समय इंजीनियरिंग सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप कुल कितने मील लम्बी लाइन बनवाने की प्रस्थापना थी और उस लाइन पर बीच में कहां कहां स्टेशन बनाने का और टौंस नदी को किस स्थान पर पार करने का विचार था;

(ग) उस लाइन का निर्माण क्यों नहीं आरम्भ किया गया था;

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) क्या उस समय ऐसी भी प्रस्थापना थी कि आजमगढ़ को बनारस से गुसांईगंज आजमगढ़ लाइन से सीधा ही मिला दिया जाये, और

(ङ) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने की सिफारिश की है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) बी० एण्ड एन० डब्ल्यू रेलवे कम्पनी, जिस ने १९०६–७ में वह सर्वेक्षण किया था, का यह विचार था कि आजमगढ़ का फैजाबाद जिले के एक शहर टांडा से सम्पर्क स्थापित किया जाये, परन्तु उत्तर प्रदेश की सरकार के इस निवेदन पर कि आजमगढ़ का गुसांईगंज से सम्पर्क स्थापित किया जाये, आजमगढ़ से गुसाईगंज तक एक इंजीनियरिंग सर्वेक्षण किया गया था ।

(ख) प्रस्थापित लाइन कुल ६७.५६ मील लम्बी बननी थी । उस लाइन पर रास्ते में आजमगढ़ सिटी, गोपालपुर, कोयलसा, अतरौलिया, अमा (फ्लैग स्टेशन), बसखारी, टांडा, बिराहिमपुर और अमसीन स्टेशन पड़ने की प्रस्थापना थी और यह भी प्रस्थापना थी कि वह लाइन टौंस नदी को आजमगढ़ स्टेशन से तीन मील की दूरी पर पार करेगी ।

(ग) क्योंकि इस प्रस्थापित लाइन में केवल एक टांडा ही महत्वपूर्ण नगर आता था जिसे कि ओ० एण्ड आर० रेलवे के एक साथ के ही स्टेशन पर लाई जाने वाली एक बहुत ही छोटी सी लाइन से मिलाया जा सकता था, इसलिये उस प्रस्थापित लाइन का निर्माण आवश्यक नहीं समझा गया ।

(घ) प्रतीत होता है कि इस प्रकार की किसी भी प्रस्थापना पर विचार नहीं किया गया है ।

(ङ) जी नहीं ।

जुब्बल वन विभाग में कार्य की योजना

८२८. **श्री पद्म देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब्बल वन विभाग में १९४७ से एक कार्यकारी योजना कार्यान्विति की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो योजना कार्यान्वित होने में देर के क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) पूछी हुई कार्यकारी योजना में सन् १९४८ से काम हो रहा है ।

(ख) (१) सन् १९५३ और १९५४ में जंगल में फैलने वाली आग लगने के परिणामस्वरूप कार्यकारी योजना का परिशोधन और (२) टैक्नीकल स्टाफ की कमी के कारण ।

हिमाचल प्रदेश में वन विकास

८२९. **श्री पद्म देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वन विभाग, हिमाचल प्रदेश में अब भी पुरानी भारतीय रियासतों के नियम तथा विनियम लागू होते हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार पुराने नियमों में संशोधन के लिये किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) जी नहीं। हिमाचल प्रदेश के बनने के बाद राज्य के पुराने नियम और विनियम, इन्डियन फारेस्ट एक्ट, १९२७ के अन्तर्गत बनाये नियमों में उपयुक्त ढंग से मिला दिये गये हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

रेलवे लेवल क्रासिंग

†८३०. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे के छपरा और मोपासम्हौता स्टेशनों के बीच लगभग तीन मील तक कोई भी लेवल क्रासिंग नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** (क) संभवतः माननीय सदस्य का संकेत कोपास ध्हौता स्टेशन की ओर है। यदि हां, तो उस का उत्तर स्वीकारात्मक है। तो भी, इन दोनों स्टेशनों के बीच पशुओं तथा पैदल चलने वाले व्यक्तियों के लिये ७ क्रासिंग हैं।

(ख) लेवल क्रासिंग दो स्टेशनों की बीच की दूरी को दृष्टि में रख कर नहीं बनाये जाते। रेलवे लाइन के निर्माण के समय और उस के दस वर्ष की अवधि तक यदि रेलवे क्रासिंग बनवाना हो तो राज्य सरकार के खर्चे पर बनवाया जाता है। उस के उपरान्त यदि कोई रेलवे क्रासिंग बनवाना हो, तो वह राज्य सरकार की प्रार्थना पर और उस के इस बात को स्वीकार करने पर बनवाया जाता है कि उस का प्रारम्भिक खर्च और आवर्तक खर्च वह स्वयं वहन करेगी। अतः यदि राज्य सरकार छपरा और कोपासम्हौता स्टेशनों के बीच रेलवे क्रासिंग के लिये हमें लिखे और उपरोक्त खर्चों को वहन करना स्वीकार करे तो रेलवे प्रशासन वह रेलवे क्रासिंग बनवा देगा।

माल गाड़ी का पटरी से उतर जाना

†८३१. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १४ मई, १९५८ को बरौनी स्टेशन पर छपरा से आती हुई ९०६ डाउन गुड्स एक्सप्रैस के कई डिब्बों के पटरी से उतर जाने के क्या कारण थे ;

(ख) उस के रेलवे लाइन और पटरी से उतरे हुए डिब्बों में पड़े हुए सामान को क्षति पहुंचने से रेलवे की कितनी हानि हुई; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में किसी को जिम्मेवार ठहराया गया है और उस के विरुद्ध कोई उचित कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) १४-५-५८ को दोपहर के लगभग १-४० बजे जब ९०६ डाउन एक्सप्रैस गुड स ट्रेन बरौनी स्टेशन की लाइन नं० ५ में प्रवेश कर रही थी तो पटरी टूट गयी। उस के परिणामस्वरूप गाड़ी का इंजन और तीन डिब्बे पटरी से उत्तर गये और पांच डिब्बे उलट गये।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) अनुमान है कि रेलवे सम्पत्ति का लगभग ३०० रुपये का नुकसान हुआ है। पटरी से उतरने वाले डिब्बे में पड़ी हुई वस्तुओं की कोई हानि नहीं हुई।

(ग) यह दुर्घटना पटरी के टूट जाने से हुई थी और उस का कारण यह था कि पटरी की धातु में कुछ कमी थी; इस लिये किसी व्यक्ति विशेष को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है।

सियालदा में रेलवे दुर्घटना

†८३२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १८ जून, १९५८ को सियालदा स्टेशन के प्लेटफार्म पर एक रेल दुर्घटना हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उस से माल और जान का कितना नुकसान हुआ था;

(ग) इस दुर्घटना के क्या क्या कारण थे; और

(घ) इस दुर्घटना के जिम्मेवार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) १८ जून १९५८ को दोपहर के ४ बजे जबकि एस० ३८२ अप कलकत्ता-शान्तिपुर सवारी गाड़ी का इंजन सियालदा नार्थ स्टेशन के प्लेटफार्म नं० ३ पर खड़ी हुई गाड़ी में लगाया जा रहा था, तो वह रेक से टकरा गया जिस के परिणामस्वरूप इंजन के साथ के एक डिब्बे के आगे के दो पहिये पटरी से उतर गये।

(ख) उस में किसी की भी मृत्यु नहीं हुई। हां, १२ व्यक्तियों को मामूली चोटें आयीं और एक व्यक्ति को गहरी चोट आयी।

(ग) और (घ). जी० आर० पुलिस ने इंजन के ड्राइवर के विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही आरम्भ कर दी है और वह मुकदमा अभी न्यायाधीन है।

नये जहाज खरीदने के लिये विदेशी मुद्रा

†८३३. **श्री राधा रमण** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौवहन के विस्तार के लिये नये जहाज खरीदने की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये धन के सम्बन्ध में प्रबन्ध करने में कोई कठिनाई आ रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार नौवहन की विस्तार योजनाओं की कार्यान्विति के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री राजबहादुर)**: (क) और (ख). जी, हां। विदेशी मुद्रा की कमी के कारण कई प्रकार की कठिनाइयों का अनुभव किया जा रहा है। उन कठिनाइयों को दूर करने के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(१) जापान सरकार से बातचीत करने के परिणामस्वरूप निश्चित किये गये येन ऋण में से ५० लाख पौंड की राशि सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में भारतीय नौवहन कम्पनियों द्वारा जहाज खरीदने के लिये निर्धारित की गई है।

(२) पुराने जहाजों की प्राप्ति के लिये वर्तमान अर्ध वर्ष में निर्बन्ध विदेशी मुद्रा संस्थाओं से १५ लाख रुपयों की एक छोटी सी राशि उपलब्ध हुई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(३) भारतीय नौवहन कम्पनियों को इस बात की अनुमति दी गई है कि वे समुद्रपार के व्यापार के लिये अपने खर्च पर जहाज खरीद सकती हैं। उन्हें इस बात की भी अनुमति दी गई है कि वे यदि आवश्यक समझें तो, जहाज खरीदते समय उस की कीमत की प्रथम किस्त देने के लिये विदेशी बैंकों से अधिक रुपया भी निकाल सकते हैं। इस प्रकार से अभी तक कुल लगभग ५१,००० जी० आर० टी० के ९ जहाज खरीदे गये हैं।

(४) वस्तुविनिमय के आधार पर भारत के लिये जहाज खरीदने की संभावना पर भी विचार किया जा रहा है।

(५) ऋण के रूप में विदेशी मुद्रा, विशेष रूप से जहाजों के लिये प्राप्त करने की संभावना पर भी विचार किया जा रहा है।

हुबली-करवार रेलवे

†८३४. **श्री जोकीम आल्वा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे उपमंत्री (श्री रामस्वामी) ने हाल ही में हुबली में यह वक्तव्य दिया था कि हुबली-करबार रेल मार्ग का निर्माण करवार में वृहद् पत्तन का प्रश्न हल होने तक रुका रहेगा;

(ख) उत्तर कनारा जिले में रेलवे की स्थापना के बारे में भूत और वर्तमान प्रस्ताव क्या हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) जी नहीं।

(ख) भूतकाल में निम्न प्रस्तावों पर विचार किया गया था :—

(१) हुबली-सिरसी

(२) आलनवार—
हालियाल—
वेल्लापुर—
करवार।

(३) डंडेली-जोइडा

(४) मंगलौर-बम्बई

पहले प्रस्ताव का सर्वेक्षण १९२० में किया गया था। दासगांव और मंगलौर प्रदेश में रेल विकास की संभावनाओं का अध्ययन करने के उद्देश्य से हाल ही में इस क्षेत्र का वैमानिक सर्वेक्षण किया गया था। उपरोक्त प्रस्ताव (२) और (४) ही ये संभावनायें हैं।

चावल और गेहूं

†८३५. **श्री रामम्** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के भीतर भारत सरकार के खाते में १९५५ से अभी तक चावल और गेहूं की यथार्थ खरीद कितनी की गई है; और

(ख) उन के लिये कितनी कीमत दी गई थी और उन में तथा बाजार भाव में क्या अन्तर है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क)

चावल	लगभग ४.४२ हजार टन (१३ अगस्त, १९५८ तक)
गेहूं	लगभग ८४.४ हजार टन (केवल १९५५ और १९५६ में खरीदा गया)

(ख) चावल और गेहूं की कीमत इस प्रकार थी :—

चावल	११ रुपये ९७ नये पैसे से लेकर २५ रुपये प्रति मन तक (बोरे सहित) जिस में बोरियों की कीमत भी सम्मिलित है और जो चावल की किस्म और खरीदी के वर्ष के अनुसार भिन्न-भिन्न है ।
गेहूं	१० रुपये मन से लगा कर जो केवल गेहूं की कीमत है और बोरी समेत तथा रेल भाड़ा मिला कर १३ रुपये ४८ नये पैसे प्रति मन ।

चावल की कीमत कुछ स्थितियों में बाजार भाव के अनुसार थी; किन्हीं स्थितियों में यह तीन महीने के बाजार भाव का औसत थी और कहीं कहीं पर उस स्थान पर लागू होने वाली अधिकतम नियंत्रित मूल्य के अनुसार थी । १९५५ में ७६.४ हजार टन गेहूं के लिये यह केवल गेहूं के लिये १० रुपये प्रति मन थी और अन्य अवस्थाओं में यह चालू बाजार भाव के अनुसार थी ।

देवदार और केल की पैदावार

†८३६. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने भारत म देवदार और केल की पैदावार बढ़ाने के प्रयत्न करने का निर्णय कर लिया है; और

(ख) देवदार और केल पैदा करने के लिये भारत में कौन से राज्य अधिक उपयुक्त समझे गये हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने वाणिज्यिक तथा उद्योगकि किस्म की लकड़ी की पैदावार, जिन में देवदार और केल भी सम्मिलित हैं, बढ़ाने के लिये राज्य सरकारों को सहायता देने का उपबन्ध किया है ।

(ख) उत्तर प्रदेश, पंजाब जम्मू और काश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश केल और देवदार की उपज के लिये सर्वाधिक उपयुक्त क्षेत्र हैं और सरकार इस दिशा में सम्पूर्ण सम्भव कदम उठा रही है ।

रेल गाड़ियों में यात्री सुविधायें

†८३७. **श्री सुबिमन घोष** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ३० जून, १९५८ को एस १०१ अप (स्यालदाह, कलकत्ता डिवीजन से रवाना होने वाली) में प्रथम श्रेणी के कम्पार्टमेंट में पाखाना नहीं था;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त रेल गाड़ी के इस प्रकार के कम्पार्टमेंट में सामान्यतया पाखाने की व्यवस्था नहीं रहती है जब कि इसे बर्दवान पहुंचने में ३½ घंटे लगते हैं; और

(ग) यदि हां, तो पाखाने की व्यवस्था न होने के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां)** : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) स्यालदाह डीवीजन के उत्तरी उपनगरी सेवा में २८ उपनगरी रेक चलते हैं जिन में से ६ रेक में किसी भी श्रेणी के कम्पार्टमेंट में पाखाने की व्यवस्था नहीं है । सम्पूर्ण २८ रेक मिली जुली ऋंखला में हैं । नये उपनगरी स्टाक में नीति के आधार पर पाखाने की व्यवस्था नहीं है ताकि उन में अधिकतम संख्या में उपनगरीय यात्री चल सकें । कुछ पुराने रेक में पहले से बने हुए पाखानों को नया रूप नहीं दिया जा रहा है क्योंकि इस से पुराने स्टाक पर निरर्थक खर्च होता ।

मनमाड़ में संयुक्त जल संभरण योजना

†८३८. **श्री जाधव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई राज्य की मनमाड नगरपालिका ने रेलवे बोर्ड से मनमाड में संयुक्त जल संभरण योजना का प्रस्ताव रखा है;

(ख) नगरपालिका ने कितनी वित्तीय सहायता की मांग की है;

(ग) क्या यह भी सच है कि मनमाड में रेलवे कर्मचारियों की आबादी में सदैव पानी का अभाव रहता है ;

(घ) मनमाड में कितने रेलवे कर्मचारी हैं ;

(ङ) रेलवे क्षेत्र और नगरपालिका क्षेत्र में कितने कितने कर्मचारी रहते हैं; और

(च) सरकार वित्तीय सहायता की मांग कब पूरी कर रही है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) मध्य रेलवे ने रेलवे बोर्ड से संयुक्त योजना में सम्मिलित होने की प्रार्थना की थी ।

(ख) इस संयुक्त योजना की लागत में रेलवे का अंश ५ लाख २८ हजार रुपये निर्धारित किया गया है । इस का आधार संभारित जल की खपत है ।

(ग) अत्यन्त कम वर्षा की स्थिति में घरेलू और इंजन सम्बन्धी आवश्यकता में कमी अनुभव होती है ।

(घ) ४,२५० ।

(ङ) इस में १ और ३ का अनुपात है ।

(च) जैसा उपरोक्प (ख) में बताया गया है रेलवे इस योजना की लागत में अपना अंश पूरा कर सकती है अतः वित्तीय सहायता का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है । यह विषय विचाराधीन है ।

मनमाड के रेलवे क्वार्टरों का नाली का पानी

†८३९. **श्री जाधव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनमाड (बम्बई राज्य मध्य रेलवे) के रेलवे क्वार्टरों का नाली का पानी नगरपालिका क्षेत्र मे हो कर जाता है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस पानी के जाने के रास्ते को बदलने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

चीनी की मिलें

†८४०. **श्री जाधव :**
पंडित द्वा० ना० तिवारी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुरानी और नई चीनी की मिलों की अलग-अलग संख्या बताते हुए पिछली मौसम में कितनी चीनी मिलों ने वास्तविक रूप में चीनी तैयार की;

(ख) चीनी का वास्तविक उत्पादन कितना था ;

(ग) उत्पादित चीनी में से कितनी चीनी बाहर भेज दी गई ; और

(घ) गत वर्ष कितने गुड़ का उत्पादन हुआ ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) १५८ मिलें--१४१ पुरानी और १७ नई ।

(ख) ३१ जुलाई, १९५८ तक १९.६७ लाख टन ।

(ग) अभी तक १७,६७० टन चीनी निर्यात करने के संविदे किये जा चुके हैं ।

(घ) लगभग ३० लाख टन ।

जाली टिकट पकड़ने वाले दस्ते का विशेष इंसपेक्टर

†८४१. **श्री आसर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई डिवीजन, मध्य रेलवे में जाली टिकट पड़कने वाले दस्ते का एक इंस्पेक्टर दो वर्ष पहले नियुक्त किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो ३१ जुलाई, १९५८ तक इंस्पेक्टर और दस्ते ने जो कार्य किया है उसका ब्यौरा क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, हां । अप्रैल १९५६ से मध्य रेलवे में जाली टिकट की जांच करने वाला एक दस्ता काम कर रहा है ।

(ख) अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण लोक सभा के पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १५१]** ।

डाक-डिवीजन

†८४२. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब सर्कल के विभिन्न डाकीय डिवीज़नों के अन्तर्गत कौन कौन से क्षेत्र हैं ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या सरकार एक नया डाकीय डिवीजन स्थापित करने का विचार रखती है ;

(ग) यदि हां, तो यह कब तक स्थापित किया जायेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) जानकारी एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

(क) और (ग). पंजाब में एक डिवीजन की स्थापना के प्रस्ताव का परीक्षण किया जा रहा है ।

फीरोजपुर रेलवे स्टेशन

†८४३. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंच वर्षीय योजना अवधि में फीरोजपुर रेलवे स्टेशन, यार्ड और वर्कशाप के विकास पर कुल कितनी राशि आवंटित की गई है ;

(ख) इस कार्यक्रम के विभिन्न क्रमों का क्या ब्यौरा है ; और

(ग) इस दिशा में अभी तक क्या कार्य किया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) चूंकि वर्तमान सुविधायें पर्याप्त हैं अतः द्वितीय पंच वर्षीय योजना में फीरोजपुर स्टेशन, यार्ड और लोकोशेड के विकास एवं उसके परिवर्द्धन और परिवर्तन के लिये कुछ आवंटन नहीं किया गया है ।

(ख) और (ग). उत्पन्न नहीं होते ।

भूमि का कृषि योग्य बनाया जाना

†८४४. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन द्वारा विभिन्न राज्यों में भूमि कृष्यकरण के लिये केन्द्रीय सरकार ने १९५८–५९ में कोई कार्यक्रम निर्धारित किया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य के कार्यक्रम का क्या ब्यौरा है ; और

(ग) प्रत्येक राज्य में कितनी भूमि कृषि योग्य बनाई जायेगी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). निर्धारित किया गया प्रयोगात्मक कार्यक्रम इस प्रकार है :—

राज्य	केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन की यूनिटें आवंटित (१५ ट्रैक्टर की एक यूनिट)	काम का स्वरूप	लक्ष्य (एकड़ में)
बिहार	३	भूमि समतल करना और उसका धरातल ऊंचा करना	४,५००
मैसूर	१	जंगल काटना	१,५००
मध्य प्रदेश	२	जंगल काटना	३,०००
मध्य प्रदेश . . .	५	कांस की कटाई	३७,५००

†मूल अंग्रेजी में

हवाई अड्डा परामर्शदात्री समिति

†८४५. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हवाई अड्डा परामर्शदात्री समिति ने अपने रचना काल से अभी तक मीटिंग में हवाई अड्डों के नियंत्रण और विकास से सम्बन्धित किन-किन मुख्य समस्याओं पर चर्चा की है ; और

(ख) उनके क्या क्या निर्णय हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)**: (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण मैं लोक-सभा के पटल पर रखता हूं । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १५२]** ।

प्रादेशिक उद्यान कर्म गवेषणा केन्द्र[1]

†८४६. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फलों की उपज में सुधार करने के लिये प्रादेशिकता के आधार पर उद्योग कर्म गवेषणा केन्द्रों की स्थापना की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के मुख्य लक्षण क्या हैं ; और

(ग) ये केन्द्र किन-किन स्थानों में स्थापित किये जायेंगे ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) प्रादेशिक फल गवेषणा केन्द्र और उपकेन्द्र की स्थापना की एक आदर्श योजना अनेक राज्यों में बनाई गई है। सम्बन्धिति राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय वित्तीय सहायता के प्रारूप पर आजकल विचार किया जा रहा है ।

मशोबरा (हिमाचल प्रदेश) में एक प्रादेशिक फल गवेषणा केन्द्र की स्वीकृति १ फरवरी, १९५८ से दी गई है । उपरवर्णित आदर्श योजना के आधार पर प्रादेशिक केन्द्र और उपकेन्द्र की स्थापना के लिये यथार्थ योजनायें अनेक राज्यों से प्राप्त हो गई हैं । वित्तीय सहायता का प्रारूप तैयार होने पर उनकी परिनिरीक्षा की जायेगी और उन्हें स्वीकार कर लिया जायेगा ।

(ख) और (ग). लोक सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १५३]** ।

सूरतनगर में राजकीय फार्म

†८४७. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में सूरतनगर यंत्रचालित फार्म में इस समय कितने रूसी विशेषज्ञ कार्य कर रहे हैं और उनके कब तक वहां रहने की सम्भावना है ;

(ख) इस कार्य में अभी तक कितने भारतीयों को भरती किया गया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Regional Horticalturul Research Stations.

(ग) इस फार्म में पूर्ण गति से कार्य प्रारम्भ होने पर कितने व्यक्तियों के नियोजन की सम्भावना है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) इस समय एक भी नहीं है। किन्तु हमने सोवियत रूस सरकार से प्रार्थना की है कि वे सितम्बर, १९५८ से लगभग ९ महीने के लिये एक विशेषज्ञ और एक दुभाषिये की सेवायें सूरतगढ़ फार्म के लिये प्रदान करें।

(ख) नियमित नियोजन में लगभग १५० व्यक्ति हैं। इसके अतिरिक्त दैनिक मजूरी के आधार पर औसतन २०० व्यक्ति रखे जाते हैं। फसल के दिनों में उनकी संख्या ६०० व्यक्ति प्रति दिन तक हो जाती है।

(ग) पोर्ट अनुमान के आधार पर नियमित संस्थापन में लगभग ६०० व्यक्ति और दैनिक मजूरी वाले २५० से ४५० व्यक्ति रहेंगे। फसल के दिनों में दैनिक मजूरी वाले श्रमिकों की संख्या १,५०० तक बढ़ जाने की आशा है।

भारतीय डाक तथा तार संग्रहालय

†८४८. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एक भारतीय डाक तथा तार संग्रहालय की स्थापना की दिशा में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : अनिवार्य परिस्थितियों के कारण प्रस्तावित डाक तथा तार संग्रहालय की स्थापना के बारे में प्रगति सम्भव नहीं हुई है। फिर भी यह कार्य इस वर्ष नवम्बर से प्रारम्भ होने की आशा है।

पंजाब में सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजनायें

†८४९. **सरदार इकबाल सिंह**: क्या **सामुदायिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजनाओं के अन्तर्गत पंजाब में १९५६-५७, १९५७-५८ और १९५८-५९ में अभी तक जिलेवार और वर्षवार कितना क्षेत्र और कितनी जनसंख्या है ; और

(ख) उपरोक्त अवधि में इन योजनाओं पर केन्द्रीय सरकार द्वारा कुल कितनी रकम खर्च की गई है ?

†**सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० के० डे)** : (क) और (ख). उपलब्ध जानकारी देने वाला विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १५४**]

सम्पूर्ण जानकारी राज्य सरकार से प्राप्त कर सभा के पटल पर बाद में रख दी जायेगी।

उत्तर प्रदेश में उत्पादकों को गन्ने की कीमत का भुगतान

†८५०. **श्री वाजपेयी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोंडा जिले के बलरामपुर और तुलसीपुर चीनी मिलों से गन्ना उत्पादकों द्वारा १५ जुलाई, १९५८ तक संभरित गन्ने की कीमत क्या है और कृषकों को कितनी रकम दी गई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या गन्ने की कीमत की बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) बकाया राशि का भुगतान करने और मांग पर अविलम्ब भुगतान का आश्वासन देने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) बलरामपुर और तुलसीपुर चीनी मिलों को सम्भरित गन्ने की कुल कीमत और १५ जुलाई, १९५८ तक कृषकों को दी गई रकम इस प्रकार है :—

	बलरामपुर (लाख रुपये)	तुलसीपुर (लाख रुपये)
सम्भरित गन्ने का मूल्य	३५.८९	३९.२९
भुगतान शुदा रकम	३५.८९	३९.२४

(ख) और (ग). तुलसीपुर फैक्टरी के सम्बन्ध में ५,००० रुपये के अतिरिक्त गन्ने की कीमत में कोई बकाया राशि नहीं है । हिसाब का अन्तिम समायोजन करने की दृष्टि से यह रकम रोक ली गई है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सहकारी खेती

†८५१. **श्री वाजपेयी : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री ७ मार्च, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९९१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी खेती के बारे में विभिन्न राज्यों में प्रगति की रिपोर्टें प्राप्त हो गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या विभिन्न रिपोर्टों का संक्षिप्त ब्यौरा बताने वाला विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जायेगा ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १५५]**

अदरक[१]

†८५२. **श्री मणिवंगाडन : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाजार में अदरक का क्या भाव है ;

(ख) इस वस्तु की उत्पादन लागत क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि इसकी उत्पादन लागत बाजार भाव से अधिक है और यदि हां, तो उत्पादकों को उचित लाभ दिलाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(घ) उत्पादकों को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है क्या उनके बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

†मूल अंग्रेजी में

[१]Ginger.

(ङ) यदि हां, तो इन अभ्यावेदनों पर सरकार द्वारा यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) नवीनतम उपलब्ध जानकारी देने वाला एक विवरण लोक सभा के पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १५६]**

(ख) अदरक की उत्पादन लागत बताने वाले आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) उत्पन्न नहीं होता है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) उत्पन्न नहीं होता।

केरल राज्य को चावल का संभरण

†८५३. **श्री मंणियंगाडन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने केरल राज्य को जून से दिसम्बर, १९५८ तक प्रत्येक महीने में कितना चावल संभरित करने का करार किया है ; और

(ख) उपरोक्त ढंग पर संभरित चावल के लिये केन्द्रीय और राज्य सरकार ने क्रमशः क्या-क्या कीमत दी है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) जून और जुलाई, १९५८ में केरल राज्य को प्रत्येक महीने में १२,००० टन चावल आवंटित किया था। अगस्त के लिये बदले आधार पर १२,००० टन चावल आवंटित किया गया है। सितम्बर में चावल की फसल है और उसके पश्चात् स्थिति में सुधार होने की आशा की जाती है। यदि आवश्यकता हुई तो केरल सरकार आंध्र प्रदेश से चावल खरीद सकती है।

(ख) केन्द्रीय स्टाक से केरल सरकार को जो चावल दिया गया है (बदले के आधार पर दिये गये चावल के अतिरिक्त) उसकी कीमत १६ रुपये मन है जो अन्य राज्यों से भी ली जा रही है। केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न स्रोतों से चावल काफी ऊंची कीमत पर लिया-है।

पार्ला की मण्डी-लाइट-रेलवे

†८५४. **श्री संगण्णा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि पार्ला की मण्डी-लाइट-रेलवे के स्टेशनों के काउण्टर पर टिकटों का स्टाक कम होने के कारण यात्रियों को छः महीने से अधिक के लिये टिकट नहीं मिलते हैं और इसके फलस्वरूप भ्रष्टाचार तथा राजस्व की भारी हानि होती है ; और

(ख) यदि हां, तो रेल के टिकटों का पर्याप्त स्टाक रखने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) और (ख). यह सच नहीं है कि पुराने पार्ला की मण्डी-रेलवे-स्टेशन पर छः महीने से अधिक तक छपे हुए कार्ड टिकट जारी नहीं किये गये थे। कतिपय स्टेशनों पर कुछ दूरी के लिये छपे हुए कार्ड टिकट उपलब्ध न होने के कुछ मामले मालूम हुए हैं और वहां यात्रियों को सादा कागज पर और अतिरिक्त किराया टिकट जारी किये गये थे। इन मामलों में छपे हुए कार्ड टिकट समुचित मात्रा में शीघ्र सम्भरित करने के लिये विशेष कदम उठाये गये थे।

---

†मूल अंग्रेजी में

नाविकों को रोजगार दिलाने वाले दफ्तर

†८५५. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने विदेशी नाविक अर्थात् पाकिस्तानी, पुर्तगाली तथा अन्य नाविकों को भारत सरकार के परिवहन मन्त्रालय के नाविकों को रोजगार दिलाने वाले दफ्तरों की सहायता से अभी तक रोजगार मिला है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: बम्बई और कलकत्ता में नाविकों को रोजगार दिलाने वाले दफ्तरों में पंजीकृत विदेशी नाविकों (पाकिस्तानी, पुर्तगाली, भारतीय तथा अन्य) की संख्या इस प्रकार है:—

	बम्बई	कलकत्ता	कुल
पाकिस्तानी .	१,०१६	१४,१६८	१५,१८४
पुर्तगाली (भारतीय) .	१३,०५६	—	१३,०५६
चीनी तथा अन्य भारतीय	१८७	—	१८७
	१४,२५९	१४,१६८	२८,४२७

इनमें से ३० जून, १९५८ को सेवा नियोजित नाविकों की संख्या नीचे दी गयी है :—

	बम्बई	कलकत्ता	कुल
पाकिस्तानी . .	४८८	८,४१६	८,९०४
पुर्तगाली (भारतीय) . .	९,१४८	—	९,१४८
चीनी तथा अन्य .	१०१	—	१०१
	९,७३७	८,४१६	१८,१५३

सिविल हास्पिटल इम्फाल

†८५६. **श्री ले० अचौ सिंह :**
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :
श्री वारियर :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इम्फाल के सिविल हास्पिटल का एक्स-रे संयंत्र खराब हो गया है तथा इस से जनता को असुविधा हो गई है ; और

(ख) क्या मनीपुर प्रशासन द्वारा कोई अन्य संयंत्र प्राप्त किया जा रहा है अथवा नहीं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) एक्स-रे संयन्त्र फरवरी, १९५८ से खराब है।

(ख) अन्य एक्स-रे संयन्त्र प्राप्त करने का कोई विचार नहीं है क्योंकि इसकी मरम्मत हो सकती है और अमेरिका से इसके कुछ हिस्से मंगाने के लिये पहले ही व्यवस्था कर ली गई है।

†मूल अंग्रेजी में

नौवहन समवायों के लिये ऋण

†८५७. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विगत चार वर्ष में कितने नौवहन समवायों ने सरकारी ऋण का उपयोग कितनी सीमा में किया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १८७]**

त्रिपुरा में धान की वसूली

†८५८. **श्री दशरथ देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा के पाक जिरातिया काश्तकारों से सरकार ने पिछली मौसम में कितना धान वसूल किया है ;

(ख) क्या इस धान का परिमाण आशा से बहुत कम था ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या इस विषय की जांच करने के लिये जांच समिति स्थापित करने की मांग की गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस समिति की स्थापना के लिये क्या कदम उठाये गय हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) २१,८१३ मन ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) और (ङ). अपने आप बनाई गई "खाद्य संकट त्राण समिति" द्वारा जून, १९५८ में प्रस्तुत ज्ञापन में तथा कथित यह आरोप लगाया गया कि जिरातिया काश्तकारों से वसूल किये गये धान और चावल का समुचित लेखा नहीं रखा गया है और उन्होंने न्यायिक जांच की मांग की थी । चूंकि ये आरोप निराधार थे, त्रिपुरा प्रशासन ने इस विषय में कोई कार्यवाही करना उचित नहीं समझा ।

खाद्यान्न का आयात

†८५९. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों में खाद्य आयात पर कितनी रकम खर्च की गई ;

(ख) योजना के तीसरे वर्ष में कितनी रकम खर्च करने की सम्भावना है ; और

(ग) भाड़े के रूप में कितनी रकम खर्च की गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) लगभग २७८ करोड़ रुपये ।

(ख) बजट में १११ करोड़ रुपये का उपबन्ध है । जिसमें भाड़े के १६ करोड़ रुपये भी सम्मिलित हैं ।

(ग) योजना के प्रथम दो वर्षों में लगभग ५७ करोड़ रुपये हैं ।

---

†भूल अंग्रेजी में

इमारती लकड़ी का आयात

†८६०. **श्री सुब्बया अम्बलम्** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान द्वीपों से भारत में इमारती लकड़ी का अबाध आयात करने की अनुज्ञा है ;

(ख) यदि हां, तो १९५५-५६, १९५६-५७ और १९५७-५८ में भारत में जो इमारती लकड़ी का आयात किया गया उसका क्या मूल्य था ;

(ग) क्या अन्दमान द्वीपों से अन्य देशों को भी लकड़ी का निर्यात किया जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो कौन से मुख्य-मुख्य देशों को इसका निर्यात किया जाता है और १९५५ से १९५८ तक कितने मूल्य की लकड़ी का निर्यात किया गया ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी हां ।

(ख)

	लाख रुपये
१९५५-५६	लगभग ४७
१९५६-५७	लगभग ६६
१९५७-५८ . .	लगभग ६७

इसमें वह इमारती लकड़ी शामिल नहीं है जो मैसर्ज़ पी० सी० राय एण्ड कम्पनी (भारत) प्राइवेट लिमिटेड, उत्तर अन्दमान का ठेकेदार है, द्वारा निर्यात की गई ।

(ग) जी हां ।

(घ) ब्रिटेन, योरप महाद्वीप के अन्य बन्दरगाह, मध्यपूर्व और आस्ट्रेलिया—

१९५५–५६ . .	२.२५ लाख स्टर्लिंग पौंड
१९५६–५७	१.२० लाख स्टर्लिंग पौंड
१९५७–५८ . .	कोई निर्यात नहीं हुआ

इसमें वह इमारती लकड़ी शामिल नहीं है जो मैसर्ज़ पी० सी० राय एण्ड कम्पनी (भारत) प्राइवेट लिमिटेड, जो उत्तर अन्दमान का ठेकेदार है, द्वारा निर्यात की गई ।

सान्टा क्रूज़[1] में वी० ओ० आर० व्यवस्था

†८६१. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सान्टा क्रूज़ हवाई अड्डे पर वी० ओ० आर० की व्यवस्था की गई है;

(ख) इसकी कुल लागत कितनी है ;

(ग) अन्य किन-किन हवाई अड्डों पर यह व्यवस्था की जायेगी ; और

(घ) यह व्यवस्था कब तक हो जायेगी ?

† मूल अंग्रेजी में

1Visual Omni-Directional Range System.

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) जी हां। सान्टा क्रूज़ हवाई अड्डे पर वी० ओ० आर० व्यवस्था की गई है और २५-५-१९५८ से उसे नियमित रूप से चालू कर दिया गया है।

(ख) ३.४५ लाख रुपये है जिसमें से २.१८ लाख रुपये का उपकरण अमरीका से मुफ्त हासिल हुआ है।

(ग) अहमदाबाद, बेलगांव, दम-दम, कोयम्बटूर, पालम, गया, जयपुर, जोधपुर, लखनऊ, मद्रास, नागपुर, तिरुचिरापल्ली और एक और हवाई अड्डे पर जिसका अभी निर्णय नहीं हुआ है, एक वी० ओ० आर० अलाहाबाद में असैनिक उड्डयन प्रशिक्षण केन्द्र की प्रयोगशाला में प्रशिक्षण के लिये इस्तेमाल किया जा रहा है।

(घ) तिरुचिरापल्ली, नागपुर और कोयम्बटूर में वी० ओ० आर० की व्यवस्था करने का कार्य आरम्भ हो गया है और इस वर्ष की समाप्ति तक पूरा हो जायेगा। भूमि अर्जित करने, टैक्नीकल इमारतों का निर्माण और विद्युत शक्ति की सप्लाई आदि के लिये कार्यवाही शुरू कर दी गई है और जब ये काम पूरे हो जायेंगे तो अन्य हवाई अड्डों पर भी वी० ओ० आर० की व्यवस्था करने का काम आरम्भ हो जायेगा।

दिल्ली में वर्षा

†८६२. **श्री रामम्** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह जानकारी हो :

(क) जुलाई, १९५८ में दिल्ली में भारी वर्षा के कारण कितने पुलों को नुकसान पहुंचा ;

(ख) उन में से कितने हाल ही में बनाये गये थे ; और

(ग) उन में से प्रत्येक की मरम्मत पर कितना खर्च किया गया ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १५८**]

माल का ब्रेक-वान

८६३. **श्री क० भे० मालवीय** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की **कृपा** करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का माल के ब्रेक-वान का डिजाइन बदलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनमें भारतीय टाइप के शौचालय की व्यवस्था की जा रही है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी नहीं, लेकिन इसमें कुछ सुधार करने के बारे में विचार हो रहा है।

(ख) जी नहीं।

(ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १५९**].

---

† मूल अंग्रेजी में

रेलवे मंत्री का कार्यालय

८६४. **श्री क० भे० मालवीय :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे मंत्री के कार्यालय में कितने कर्मचारी काम करते हैं ;

(ख) कितनों को कितना विशेष वेतन मिलता है ; और

(ग) क्या यह विशेष वेतन किसी टेक्निकल काम के लिये दिया जाता है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) चौथे दर्जे के कर्मचारियों को छोड़ कर सात।

(ख) दो कर्मचारियों को पचास-पचास रुपये विशेष वेतन (special pay) दिया जाता है ।

(ग) यह विशेष वेतन इसलिये दिया जाता है क्योंकि उन्हें जो काम करना पड़ता है वह दुष्कर है ।

चरखी-दादरी में सीमेंट का कारखाना

†८६५. **श्री राम कृष्ण :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी, १९५८ के बाद प्रत्येक मास चरखी-दादरी के सीमेंट के कारखाने को कितने माल डिब्बे दिये गये ;

(ख) उसी अवधि में कारखाने से प्रत्येक मास कितना हर्जाना वसूल किया गया ; और

(ग) कारखाने ने जनवरी, १९५८ के पश्चात् प्रत्येक मास खाली कर्षण के लिये कितने साइडिंग प्रभार का भुगतान किया ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) :** (क) जनवरी, १९५८ से ले कर चरखी-दादरी सीमेंट के कारखाने की जो माल डिब्बों का आवंटन किया गया उसका ब्योरा यह है :—

मास	माल डिब्बों की संख्या
जनवरी, १९५८	४४२
फरवरी, १९५८	३२२
मार्च, १९५८	७४७
अप्रैल, १९५८	७८२
मई, १९५८	७५०
जून, १९५८	७४१
जुलाई, १९५८	१,०३०

(ख) चरखी-दादरी सीमेंट कारखाने से जनवरी से जुलाई, १९५८ तक प्रत्येक मास जो हर्जाना वसूल किया गया उसका ब्योरा यह है :—

मास	वसूल किया गया हर्जाना
जनवरी, १९५८	२७८
फरवरी, १९५८	१,४३५
मार्च, १९५८	३,५९९
अप्रैल, १९५८	२,९५२

† मूल अंग्रेजी में ।

मई, १९५८	३,१७७
जून, १९५८	२,५१८
जुलाई, १९५८	३,२१८

(ग) चरखी-दादरी सीमेंट कारखाने ने खाली कर्षण के लिये प्रत्येक मास जो साइडिंग प्रभार चुकाये उसका ब्योरा यह है :—

मास	साइडिंग चार्ज रुपये
जनवरी, १९५८	७०४
फरवरी, १९५८	८८१
मार्च, १९५८	१,०२१
अप्रैल, १९५८	७८१
मई, १९५८	८५१
जून, १९५८	८२४
जुलाई, १९५८	७६६

दिल्ली में यातायात की भीड़

८६६. **श्री विभूति मिश्र:** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ८ मई, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३६०२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली के खारी बावली और फाटक हब्श खां के बीच यातायात की भीड़ को कम करने के लिये अब तक कहां तक सफलता मिली है ?

परिवहन और संचार मंत्रालय के राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : अपेक्षित सूचना से सम्बन्धित विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १६०]**

'सब-पोस्ट आफिस'

†८६७. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में पंजाब के कांगड़ा और होशियारपुर ज़िलों के लिये कई नये सब-पोस्ट आफिस स्वीकृत किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो किन स्थानों के लिये स्वीकृति दी गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १६१].**

---

†मूल अंग्रजी में

स्थगन प्रस्ताव

दिल्ली में अतिसार रोग का फैलना

†**अध्यक्ष महोदय:** मुझे श्री तंगामणि, श्री बनर्जी तथा श्री बाजपेयी के तीन स्थगन प्रस्ताव मिले हैं। पहला दिल्ली में अतिसार रोग के अचानक महामारी के रूप में फैल जाने के कारण नौ व्यक्तियों की मृत्यु तथा १५० रोगियों के विभिन्न अस्पतालों में भरती होने के सम्बन्ध में है। श्री बाजपेयी का स्थगन प्रस्ताव भी इसी विषय पर है, केवल अन्तर यह है कि उन्होंने ९ व्यक्तियों की मृत्यु के स्थान पर ११ व्यक्तियों की मृत्यु का उल्लेख किया है।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै): मैं एक बात कहना चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय**: पहले मैं माननीय मंत्री के विचार सुनूंगा कि वह महामारी को रोकने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रहे हैं।

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: सामान्यतः इस ऋतु में अतिसार रोग से कुछ व्यक्ति पीड़ित हो ही जाते हैं। पिछले साल भी मई से अगस्त तक लगभग ८९ व्यक्तियों को यह रोग हुआ था जिनमें से तीन व्यक्ति मर गये थे। मुझे बड़े खेद के साथ बताना पड़ता है कि इस वर्ष दो स्थानों पर यह रोग फैला है। एक तो त्रिनगर में तथा दूसरे सराय खलील में। त्रिनगर में १० अगस्त से यह रोग फैलना शुरू हुआ। त्रिनगर पिछले चार पांच साल में ही बसा है और वहां पर जल व्यवस्था या नालियों आदि की ठीक व्यवस्था नहीं हो पाई है। सब से पहले ६ तथा ९ तारीख को अतिसार रोग के फैलने की सूचना मिली और अब तक कुल ४२ केस हुये हैं, जिनमें सात व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। सभी रोगियों को छूत के रोगों के अस्पताल में भेज दिया गया था।

नगर निगम ने कल तक लगभग ९००० हैजे के टीके लगाये हैं। कूड़े को हटा कर मक्खियों से छुटकारा पाने के सम्बन्ध में ज़ोरदार कार्यवाही की जा रही है और कुओं को कीटाणुरहित किया जा रहा है।

सराय खलील सदर बाज़ार में एक गन्दी बस्ती है जिसमें लगभग ५,००० व्यक्ति रहते हैं। यहां पर भी गन्दे पानी की नालियां नहीं हैं और कुछ निजी नलों तथा एक मस्जिद के नल के अतिरिक्त और कोई सार्वजनिक नल नहीं है। इस स्थान पर अतिसार रोग जिस प्रकार फैला, उसे मैं आपको बताता हूं:

२३ अगस्त, १९५८ से सदर बाज़ार के निकट सराय खलील क्षेत्र में अतिसार, तथा उल्टी होने के कुछ केस हुये हैं। सब से पहला केस ११ बजे सुबह हुआ परन्तु दुर्भाग्यवश ८ बजे रात तक नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग को उसकी कोई सूचना नहीं भेजी गई। सूचना मिलते ही जब स्वास्थ्य पदाधिकारी वहां पहुंचे तब पता लगा कि ५ व्यक्ति मर चुके हैं और अन्य कई बीमार हैं। इन रोगियों को छूत के रोगों के अस्पताल में शीघ्रता से भेज दिया गया। प्रभावित क्षेत्र की जांच करने, लोगों का वहीं के वहीं इलाज़ करने, टीका लगाने और घरों में रोग के कीड़ों को नष्ट करने के लिये क़दम उठाये गये। एक अस्थायी डिस्पेंसरी भी खोल दी गई है।

---

† मूल अंग्रेजी में।

[श्री करमरकर]

२४ अगस्त को ३-३० म० प० तक कुल लगभग ७० रोगियों को छूत के रोगों के अस्पताल में भरती किया गया है। तब से आज सवेरे तक ५ अथवा ६ व्यक्ति और भरती किये गये हैं। ४ अथवा ५ मामलों के अतिरिक्त जो अन्य स्थानों पर हुये, शेष सभी सराय खलील में हुये हैं। इनमें से ४ रोगी मर गये। कल से अब तक दो रोगी और मर गये हैं। एक तो अस्पताल ले जाते हुये रास्ते में मर गया तथा दूसरा अस्पताल में मर गया। इस प्रकार कुल ११ व्यक्ति मरे हैं।

अस्पताल के रोगियों की जांच करने पर पता लगा है कि य लोग सम्भवतया बड़े गम्भीर प्रकार के अतिसार से पीड़ित थे। रोगियों के पाखाने आदि का लैबोरेटरी में विश्लेषण किया गया है परन्तु उसके परिणाम आज शाम तक मालूम होंगे। परन्तु स्वास्थ्य अधिकारियों का यह मत है कि यह मामले हैज़े के रोग के नहीं थे और इसलिये डर की कोई बात नहीं है।

रोग फैलने के कारणों का पता लगाने पर मालूम होता है कि लोग एक बन्द कुएं का पानी इस्तेमाल कर रहे थे जिसकी वजह से यह रोग फैला। इस कुए के पानी का विश्लेषण हो रहा है और और इस बीच इससे पानी लेना बन्द कर दिया गया है। जनता के उपयोग के लिये अतिरिक्त पाइपों द्वारा पानी के नल लगाये जा रहे हैं। जब तक यह नल नहीं लगेंगे तब तक टंकियों से पानी दिया जायेगा।

ऐसा विचार है कि एक पाखाने से जो कुएं से कोई दस गज़ दूर था, कुए में गन्दगी अन्दर ही अन्दर पहुंचती रही जिससे कुए का पानी खराब हो गया था।

आज सवेरे तक यही जानकारी हमें मिल सकी है। निगम के प्राधिकारी तथा दिल्ली लोक स्वास्थ्य प्राधिकारी सभी सम्भव कार्यवाही कर रहे हैं जिससे रोग पर नियंत्रण हो सके।

†**श्री तंगामणि** : मैं यह बताना चाहता था कि हमें सूचना मिली है कि केवल ११ व्यक्ति नहीं अपितु २० व्यक्ति मरे हैं तथा लगभग ५०० व्यक्ति अस्पताल में भरती हुये हैं। पानी की कमी के पश्चात् वहां पर बहुत से लोग हैज़े से पीड़ित हैं। जिस कुएं के सम्बन्ध में बताया गया, उसके सम्बन्ध में हमें पता लगा है कि इसको मुगलों के ज़माने में बनाया गया था और इसकी सफाई हुई ही नहीं है। इसी प्रकार के अन्य कुएं भी हो सकते हैं। बहुत सम्भव है कि यह रोग अन्य गन्दी बस्तियों में भी फैल जाये।

†**श्री स० म० बनर्जी** (कानपुर) : पानी की कमी पर बहस के समय डा० सुशीला नायर के प्रश्न का उत्तर देते हुये माननीय मंत्री ने बताया था कि पुरानी दिल्ली के कुओं को कभी साफ नहीं किया गया है। मैं समझता हूं कि जब से मुगल यहां से गये हैं तब से ही उस कुए की सफाई नहीं हुई है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि पानी की व्यवस्था में गड़बड़ हो जाने के बाद से सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या माननीय मंत्री पानी आदि के विश्लेषण सम्बन्धी प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखेंगे।

†**श्री करमरकर** : यह सोचना गलत होगा कि यह रोग शहर भर में फैला हुआ है। आगे कोई विशेष बात हुई तो चीज़ दूसरी है वरना इस समय यह रोग सराय खलील और त्रिनगर में ही है। पिछले साल के आंकड़े तो मुझे याद नहीं हैं परन्तु इस वर्ष सराय खलील के रोगियों की संख्या

---

† मूल अंग्रजी में

मिला कर कुल ७९ व्यक्ति रोगग्रस्त हुये, जिनमें से ११ मर गये । मैं यह नहीं कह सकता कि कुएं की अन्तिम बार कब सफाई हुई थी । परन्तु कुआं बन्द था और इसमें एक हाथ का पम्प लगा दिया गया था । कुएं का पानी जांच के लिये भेज दिया गया है । इस घटना के बारे में जो जानकारी हमें मिली है वह इस प्रकार है :—

हाल ही में पानी की कमी के अवसर पर इस मोहल्ले के निवासी मस्जिद के कुए से पानी लेने लगे थे । इस मस्जिद के निकट रहने वाला एक परिवार बुलन्दशहर गया था क्योंकि वहां उनका कोई सम्बन्धी अतिसार से मर गया था । मृत व्यक्ति की दो लड़कियां दिल्ली आ गई थीं, जिनको २२ तारीख को यह रोग हो गया । २२ से २४ तक ७९ व्यक्ति रोगग्रस्त हुये जिसमें से ९ मर गये । सभी प्रकार की सावधानी बरती जा रही है और हैज़े के टीके आदि लगाये जा रहे हैं । एक ही स्थान पर ९,००० व्यक्तियों के टीका लगाया जा चुका है । चूंकि हैज़ा इन्हीं दिनों फैलने की आशंका रहती है इसलिये निम्नलिखित कार्यवाहियां की जा रही हैं ।

(१) छने हुये पानी के 'क्लोरीनेशन' की मात्रा बढ़ा दी गई है ।

(२) कुओं आदि को, जहां से पानी की कमी के कारण लोग पानी ले रहे हैं, ब्लीचिंग पाउडर से साफ़ किया जा रहा है ।

(३) रेडियो के द्वारा, ढोल बजा कर तथा माइक्रोफोन के द्वारा जनता को परामर्श दिया जा रहा है कि पानी उबाल कर पीयें ।

(४) जिन स्थानों पर सफाई सुविधायें कम हैं उन में हैज़े का टीका लगाया जा रहा है ।

(५) गन्दी बस्तियों में कीटाणुनाशक दवाइयां छिड़क कर मक्खियों को मारा जा रहा है ।

(६) गन्दी तथा बिना ढकी हुई वस्तुओं की बिक्री को रोका जा रहा है ।

(७) नगर की सामान्य सफाई को सुधारने के लिये क्षेत्रीय कर्मचारियों को और सावधान कर दिया गया है ।

(८) डिस्पैंसरियों, हस्पतालों तथा एम० सी० एच० केन्द्रों में अतिसार के लिये आवश्यक औषधियों का पर्याप्त संभरण कर दिया गया है ।

(९) इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि बर्फ़ के कारखाने आदि पानी किसी गन्दी जगह से न लें ।

यही सब उपाय किये जा रहे हैं ।

†**श्रीमती सुचेता कृपालानी** (नई दिल्ली) : क्या माननीय मंत्री जानते हैं कि इन क्षेत्रों के अतिरिक्त, नई दिल्ली में भी कुछ ऐसे केस हुये हैं जिनमें लोगों को बहुत तेज़ बुखार के साथ दस्त आये हैं । बहुत सी बस्तियां ऐसी हैं जहां पानी कुओं से लिया जाता है, मैं यह जानना चाहती हूं कि इन बस्तियों को साफ पानी देने के बारे में क्या व्यवस्था की जा रही है ।

श्री करमरकर : हम कई बार इस सभा में बता चुके हैं कि इन सात आठ सालों में दिल्ली की जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है । हम सभी संभावित कार्यवाही कर रहे हैं परन्तु दुर्भाग्यवश गन्दी बस्तियां बढ़ती ही जा रही हैं और यही हमारी कठिनाई है । रोग को फैलने से रोकने के लिये नगर निगम के प्राधिकारी सभी सम्भावित उपाय काम में ला रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

श्री म० ला० द्विवेदी (हमीरपुर): मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आज दिल्ली के स्कूलों में जो हमारे बहुत से बच्चे पानी पी रहे हैं वे बिना उबाला हुआ पानी पी रहे हैं क्यों कि उन स्कूलों में पानी के गरम करने और उबालने की कोई सहूलियत नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि उनके लिये क्या सरकार ने कोई खास प्रबन्ध किया है ?

श्री करमरकर : जो यहां पर वैल मेंटेड (सुव्यवस्थित) स्कूल हैं वहां तो यह प्रबन्ध किया जाता है। मैं चाहूंगा कि हमारे एजूकेशन मिनिस्टर साहब तमाम स्कूलों के पास यह हिदायत भिजवा देंगे कि बच्चों को स्कूलों में उबला हुआ पानी पीने को दिया जाये। जहां तक हमारा ताल्लुक है हमने तो बारबार यहां पार्लियामेंट में और बाहर सब जगह लोगों को इस बात की हिदायत की है कि वे पानी को उबाल कर पीयें। मुसीबत तो यह है कि बहुत से हमारे पढ़े लिखे लोग तक यह कहते हैं कि यह उबालने का कौन झंझट करे, इतने वर्ष बिना उबाला पानी पीते रहे और ज़िन्दा रहे। हमने सब लोगों को यह कहा हुआ है कि पानी उबाल कर पीना चाहिये।

†**श्रीमती सुचेता कृपालानी** : माननीय मंत्री ने बताया कि दिल्ली नगर निगम क्या कर रहा है। मैं जानना चाहती हूं कि नई दिल्ली नगरपालिका इस सम्बन्ध में क्या कर रही है।

†**श्री करमरकर** : नई दिल्ली से हमें अतिसार के किसी रोगी की सूचना नहीं मिली है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इतनी आपत्तियां एक के बाद दूसरी आयें। अभी कुछ दिन पहले डा० सुशीला नायर तथा अन्य माननीय सदस्यों ने सझाव दिया था कि कुओं की सफाई कराई जाये। परन्तु कठिनाई यह होती है कि किस से सफाई कराई जाये। मेरे घर में एक कुआं है। मैं ने नगरपालिका को सफ़ाई के लिये कहा तो उन्हों ने इतना तेल उस में डाल दिया कि उस का पानी पीना असम्भव हो गया।

मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री ऐसी व्यवस्था करें कि एक दो दिन में सभी कुओं की सफाई हो जाये। मैं आशा करता हूं कि महामारी को फैलने नहीं दिया जायेगा और माननीय मंत्री सभा को यदा कदा इस बारे में बताते रहेंगे। मैं इन स्थगन प्रस्तावों के लिये अनुमति नहीं देता हूं।

दो सदस्यों को सज़ा

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे सभा को बताना है कि अहमदाबाद के प्रथम श्रेणी के जुडिशियल मजिस्ट्रेट से दिनांक २० अगस्त, १९५८ का निम्नलिखित सन्देश प्राप्त हुआ है :—

> "मुझे आप को यह सूचना देनी है कि लोक-सभा के सदस्य सर्वश्री इन्दुलाल कन्हैयालाल याज्ञिक और करसनदास परमार, पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा १४३ और १८८ के अन्तर्गत अपराधों के आरोप पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी चौथी अदालत, अहमदाबाद के न्यायालय में मेरे सामने मुकदमा चलाया गया।

सजा के कारण इस प्रकार हैं :—

> १७ अगस्त, १९५८ को लगभग ८ म० पू० बजे सर्वश्री इन्दुलाल कन्हैयालाल याज्ञिक और करसनदास परमार छै अन्य व्यक्तियों के साथ अहमदाबाद के जिलाधीश और अतिरिक्त जिलाधीश द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४

---

†मूल अंग्रेज़ी में

के अन्तर्गत दिये गये आदेशों का उल्लंघन करने के उद्देश्य से अहमदाबाद में थ्री गेटस और प्रेमभाई हाल के बीच सड़क पर गये । इन आदेशों के द्वारा वहां के निवासियों, घूमने वालों तथा दर्शकों के लिये उक्त सड़क तथा अन्य सड़कों इत्यादि पर न घूमने के निदेश दिये गये थे ।

२० अगस्त, १९५८ को दो दिन तक मुकदमा चलने के बाद मैं ने उन्हें भारतीय दण्ड संहिता की धारा १४३ और १८८ के अन्तर्गत अपराधी पाया और उन में से प्रत्येक को दोनों में से प्रत्येक अपराध के लिये एक महीने की साधारण कैद और पच्चीस-पच्चीस रुपये का जुर्माने का दण्ड दिया । जुर्माना अदा न करने पर उन्हें प्रत्येक अपराध के लिये सात-सात दिन की साधारण कैद और भुगतनी होगी । कैद की मुख्य सजा साथ-साथ चलेगी ।"

जानकारी के लिये प्रश्न

†**श्री जाधव** (मालेगांव) : मैंने रक्तातिसार तथा हैज़े के बारे में एक अल्प सूचना प्रश्न की पूर्वसूचना दी थी । मुझे उस का कोई उत्तर नहीं मिला है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य नोटिस आफिस से मालूम करें ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु व सेवा निवृत्ति लाभ) नियम

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : मैं अधिसूचना संख्या दिनांक २० अगस्त, १९५८ की जी० एस० आर० ७२८ में प्रकाशित, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु व सेवा निवृत्ति लाभ) नियम, १९५८, की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०–८४९/५८]

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : मैं श्री कृष्णप्पा की ओर से अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) ९ अगस्त, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ६८५ ।

(दो) दिनांक १६ अगस्त, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ६९५ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०–८५०/५८]

---

†मूल अंग्रेज़ी में

राज्य सभा से संदेश

†**सचिव** : मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य-सभा के सचिव से यह सन्देश मिला है कि इन विधेयकों के बारे में राज्य-सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है :—

१. खनिज तेल (अतिरिक्त उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क) विधेयक, १९५८ ।

२. विनियोग (रेलवे) संख्या ३ विधेयक, १९५८ ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

रिविलगंज में रेल का पटरी से उतर जाना

†**श्री स० म० बनर्जी** : (कानपुर) : नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर माननीय रेलवे मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उस के सम्बन्ध में वक्तव्य दें :—

"१९ अगस्त, १९५८ को रिविलगंज स्टेशन पर एक सवारी गाड़ी का पटरी से उतर जाना ।"

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : १९ अगस्त, १९५८ की रात को लगभग ९ बज कर १० मिनट पर जब ८५ अप मुजफ्फरपुर–बनारस सवारी गाड़ी रिविलगंज स्टशन पर जो पूर्वोत्तर रेलवे के छपरा–औंड़िहार मीटर गज सेक्शन पर स्थित बिना इन्टरलौक की व्यवस्था वाला स्टशन है, ली जा रही थी, तो वह माल गोदाम की साइडिंग की ओर चली गई और वहां पर खड़े पांच वैगनों से जा टकराई । इस के परिणामस्वरूप इंजन तथा उस के पीछे के दो डिब्ब––पार्सल डिब्बा और एक तीसरे दर्जे का डिब्बा––पटरी से उतर गये । २२ व्यक्तियों के चोटें आईं जिन में से ४ की चोटें गहरी थीं । सभी घायल व्यक्तियों की गार्ड ने मरहम पट्टी वहीं पर की । इन में से १४ यात्रियों ने आग यात्रा जारी रखी तथा ८ को रिविलगंज में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अस्पताल में चिकित्सा के लिय भजा गया । इन में से एक को वहीं छुट्टी दे दी गई और ७ को छपरा के सिविल अस्पताल में भरती कर दिया गया । इनमें से एक कल रात मर गया । बाकी छः में से एक व्यक्ति को २० अगस्त, ५८ को छुट्टी दे दी गई तथा शष की हालत अच्छी बताई जाती है । रेलवे को १,२५० रुपये की हानि हुई है । २३ तथा २४ अगस्त, १९५८ को रेलवे के सरकारी निरीक्षक ने जांच की और उस के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है ।

जीवन बीमा निगम की विनियोजन नीति के बारे में वक्तव्य

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** मैं सभा-पटल पर एक अधिसूचना रख रहा हूं जो बीमा अधिनियम के कुछ उपबन्धों को जीवन बीमा निगम पर लागू करती है ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०–८५१/५८]

सभा को याद होगा कि जीवन बीमा निगम अधिनियम की धारा ४३(२) में व्यवस्था की गई है कि ये उपबन्ध, अधिसूचना में उल्लिखित शर्तों और रूपभदों क अधीन, जीवन बीमा निगम पर लागू की जायेंगी । यह अधिसूचना इसीलिये अपेक्षित है ।

---

†मूल-अंग्रेजी में

यह अधिसूचना बीमा अधिनियम की धारा २७ के सम्बन्ध में है । सभी जानते हैं कि इस धारा में बड़े ही स्पष्ट रूप में यह निश्चित किया गया है कि विनियोजनों के सम्बन्ध में बीमा-कर्ता का क्षेत्र क्या है । अब सरकार उस धारा को जीवन बीमा निगम पर भी लागू कर रही है, अर्थात् निगम का कार्यक्षेत्र भी निश्चित कर रही है । संक्षेप में, जीवन बीमा निगम की विनियोजन नीति निश्चित की जा रही है ।

हमारे अनुभव ने धारा २७ की सार्थकता सिद्ध कर दी है । वह पालिसी-धारी के धन की सुरक्षा सुनिश्चित बनाने के साथ ही, मुनाफ़ों में वृद्धि करने की संभावना भी पैदा कर देती है । इस-लिये यह बीमा-कर्त्ताओं और पालिसी-धारियों दोनों ही के लिये उपयोगी है । इसलिये हम ने यही सिद्धान्त अपने सामने रखे हैं । इतना जरूर है कि इस में कुछ परिवर्तन करना इसलिये जरूरी हो गया था कि पहले २४० से अधिक समवायों में जो विनियोजन बिखरे पड़े थे, अब वे एक ही निगम के हाथ में हैं । यह निर्णय करते समय, हम ने निगम और भारत का रक्षित बैंक दोनों से परामर्श कर लिया है ।

अब इस योजना के अनुसार, जीवन बीमा निगम के विनियोजन तीन श्रेणियों में रखे जायेंगे ; पहली श्रेणी होगी सरकार द्वारा अनुमोदित प्रतिभूतियों की, दूसरी श्रेणी में इस धारा के अन्तर्गत अनुमोदित किये गये विनियोजन रहेंगे; और तीसरी श्रेणी में अन्य विनियोजन रखे जायेंग । विनि-योजनों की सीमा यह रखी गई है कि कुल निधियों का कम से कम ५० प्रतिशत सरकार के पास रहेगा, और अन्य विनियोजनों में १५ प्रतिशत से अधिक नहीं लगाया जायेगा । अर्थात्, अनुमोदित विनियोजनों में लगभग ३५ प्रतिशत लगेगा ।

अनुमोदित विनियोजनों के सम्बन्ध में बहुत थोड़े ही रूपभद किय गये हैं । जीवन बीमा के राष्ट्रीयकरण क बाद ये रूपभद आवश्यक हो गय थ । धाराओं २७क(४) और २७क(८) में पहले यह व्यवस्था थी कि निगम अपना प्रार्थित सामान्य पूंजी का १० से ३० प्रतिशत भाग तक समवायों के सामान्य शेयरों को खरीदने में लगा सकता था (व्यवस्था यह भी थी कि केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से उसे और भी बढ़ाया जा सकेगा) । अब जो रूपभेद किया गया है उस के मुताबिक निगम प्राइवेट लिमिटेड समवायों में भी, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, विनियोजन कर सकेगा ।

जीवन बीमा निगम की विनियोजन नीति से सम्बन्धित अन्य कुछ महत्वपूर्ण मामले और भी हैं ।

सब से पहली बात तो यह कि जीवन बीमा निगम सदा ही जीवन बीमा निगम अधिनियम की धारा ६(१) को ध्यान में रखेगा, यानी वह सदा ही समाज के हितों को ध्यान में रख कर ही व्यवसाय चलायेगा । जीवन बीमा निगम बीमा पालिसी-धारियों के हितों का ध्यान रखने के साथ ही, पूरे समाज के हितों का भी ध्यान रखेगा । वह ऐसे ही उद्यागों में विनियोजन करेगा जो देश के सामाजिक उत्थान के लिये उपयोगी हों । वह इस के लिये सदैव सर्तक रहेगा ।

जीवन बीमा निगम सट्टेबाजी नहीं करेगा और न भावों के उतार-चढ़ाव का फायदा उठाने की कोशिश करेगा निगम दीर्घ-कालीन आधार पर ही विनियोजन करेगा । लेकिन इस का मतलब यह नहीं है कि वह आवश्यक होने पर भी खरीद-फ़रोख्त नहीं करेगा । निगम समय-समय पर अपनी स्थिति का लेखा-जोखा करता रहेगा । वह मन्दी और तेज़ी के काल में खरीद-फ़रोख्त करेगा । उस से स्टाक बाजार में स्थायित्व आयेगा और इस प्रकार पूरे देश को लाभ होगा ।

---

† मूल अंग्रेजी में

[श्री मोरारजी देसाई]

धारा २७ क क अतिरिक्त, अन्य धारायें भी हैं । जिन्हें सरकार जीवन बीमा निगम पर कुछ आवश्यक रूपभेदों के साथ लागू करेगी यह वे धारायें हैं जिन में व्यवस्था की गई है कि बीमा-कर्ताओं को बीमा नियंत्रक के पास कुछ "विवरणियां" और लेखे का कुछ ब्यौरा भेजना चाहिये, जिस से वह देख सके कि पालिसीधारियों के हित सुरक्षित हैं या नहीं । यह बड़ी अच्छी व्यवस्था है और इसीलिये इसे जीवन बीमा निगम पर भी कुछ छोटे-मोटे रूपभेदों के साथ लागू किया जायेगा ।

हम ने विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार करने के बाद ही यह विनियोजन नीति रखी है । आशा है सभा इस का अनुमोदन करेगी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जो भी माननीय सदस्य चाहें, इस वक्तव्य की प्रतियां नोटिस आफिस से ले सकते हैं ।

समिति के लिये चुनाव

प्राक्कलन समिति

†**श्री ब० गो० मेहता** (गोहिलवाड) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ३११ के उपनियम (१) के साथ पठित नियम २५४ के उप-नियम (३) द्वारा अपेक्षित रीति से ३० अप्रैल, १९५९ को समाप्त होने वाले कार्य-काल की शेष अवधि में श्री महावीर त्यागी के स्थान पर, जिन्हों ने त्यागपत्र दे दिया है, प्राक्कलन समिति के सदस्य के रूप में काम करने के लिये अपने में से एक सदस्य चुनें ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ३११ के उपनियम (१) के साथ पठित नियम २५४ के उप-नियम (३) द्वारा अपेक्षित रीति से ३० अप्रैल, १९५९ को समाप्त होने वाले कार्य-काल की शेष अवधि में श्री महावीर त्यागी के स्थान पर, जिन्हों ने त्यागपत्र दे दिया है, प्राक्कलन समिति के सदस्य के रूप में काम करने के लिये अपने में से एक सदस्य चुनें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

समुद्र सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक*

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

---

*भारत के असाधारण गजट, भाग २, अनुभाग २, दिनांक २५-८-५८ में प्रकाशित ।

† मूल अंग्रजी में ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं विधेयक‡ को पुरःस्थापित करता हूं ।

भारतीय चिकित्सा परिषद् (संशोधन विधेयक)*

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : श्री करमरकर की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, १९५६ में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम १९५६ में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री ब० रा० भगत** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

श्रमजीवी पत्रकार (वेतन दरों का निर्धारण) विधेयक—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा श्रमजीवी पत्रकार (वेतन दरों का निर्धारण) विधेयक, १९५८ के विचार-प्रस्ताव पर चर्चा जारी रखेगी ।

†**श्री बासप्पा** (तिपतुर): उच्चतम न्यायालय ने समाचारपत्रों के स्वामियों की और सभी आपत्तियों को ठुकरा दिया है । उस ने केवल एक आपत्ति को उचित माना है कि वेतन-बोर्ड ने उन की वेतन अदा करने की क्षमता के प्रश्न पर गौर नहीं किया । उच्चतम न्यायालय का मंशा असल में यह है कि समूचे समाचारपत्र उद्योग की वेतन अदायगी की क्षमता पर विचार किया जाये । हम नहीं चाहते कि हमारे देश में ऐसे समाचारपत्र निकलते रहें जो पत्रकारों को उचित वेतन भी नहीं दे सकते । इस पर वेतन बोर्ड ने यह कहा था कि समाचारपत्रों के स्वामीगण अपने लेखे दिखाते ही नहीं हैं । जो भी हो, अब इसी प्रश्न को पूरी तौर से निबटाने के लिये सरकार ने एक समिति नियुक्त कर दी है । मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है । लेकिन इस पर भी समाचारपत्रों के मालिक अब ऐसी चालें चल रहे हैं जिस से कि इस का निर्णय शीघ्र ही न हो सके, उस में अधिक से अधिक विलम्ब हो । उन की आपत्ति है कि यह सरकारी समिति है । लेकिन माननीय मंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया है कि

†मूल अंग्रेजी में

‡राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित ।

*भारत के असाधारण गजट; भाग २, अनुभाग २, दिनांक २५-८-५८ में प्रकाशित ।

[श्री बासप्पा]

इस विशेष समिति का काम इस विषय में केन्द्रीय सरकार से कुछ सिफारिशें करना ही होगा। समिति इस प्रश्न से सम्बन्धित सभी सामग्री और वेतन बोर्ड के निर्णयों के सम्बन्ध में की गई आपत्तियों पर विचार करेगी। इसलिये मालिकों को अब कोई आशंका नहीं रह जानी चाहिये।

देश में कई छोटे-मोटे समाचारपत्र तो अवश्य ही बड़ी मुश्किल में हैं, लेकिन सभी बड़े-बड़े समाचारपत्र अपना और अधिक विस्तार करते जा रहे हैं। बड़े-बड़े समाचारपत्र तो कई असामाजिक तरीकों से भी रुपया बना रहे हैं। वे छोटी पूंजी के समाचारपत्रों को अखबारी काग़ज़ बेच कर मनमाना मुनाफ़ा कमाते हैं। सरकार को छोटे-छोटे समाचारपत्रों की मदद करनी चाहिये और प्रेस आयोग द्वारा उन के सम्बन्ध में की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करना चाहिये।

पंडित कुंजरू और श्री आर० आर० दिवाकर ने बड़े जोरों से इस प्रश्न को उठाया है। श्री दिवाकर ने अपने पत्र में बड़ी कड़ी भाषा का प्रयोग किया है।

†**श्री जोकीम आल्वा** (कनारा) : क्या उस पत्र को सभा में पढ़ कर सुनाया जा सकता है ?

†**श्रम और रोज़गार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)** : यदि माननीय सदस्य का मतलब मेरे भाषण में किये गये उल्लेख से है, तो शायद उन्हें ग़लतफ़हमी हो गई है। मैंने श्री आर० आर० दिवाकर के किसी पत्र का हवाला नहीं दिया था। वह पत्र भारतीय संपादक तथा समाचारपत्र संस्था के सभापति का था। मैंने उसका ही कुछ भाग पढ़ कर सुनाया था। वह भाग सभापति के पूरे भाषण में मौजूद है। मैं वह सारी सामग्री सभा-पटल पर रख रहा हूं **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०--८५१/५८।]**

†**श्री बासप्पा** : मुझे खेद है। लेकिन श्री आर० आर० दिवाकर के अन्य भाषण भी हैं। उन्होंने सम्मेलन में बड़े जोरों से इसके विरुद्ध गर्जना की थी। श्री आर० आर० दिवाकर स्वयं भी 'संयुक्त कर्नाटक ट्रस्ट'--एक पड़े समाचारपत्र उद्यम से सम्बंधित हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि पंडित कुंजरू और श्री दिवाकर जैसे हमारे देश के माने जाने व्यक्ति समाचारपत्र-स्वामियों का पक्ष ले रहे हैं। पहले तो ये सभी वेतन बोर्ड के निर्णय मानने के लिये तैयार हो गये थे लेकिन बाद में आपत्तियां करने लगे। मुझे इन सम्भ्रान्त सज्जनों से यह आशा नहीं थी।

इन प्रश्नों का निबटारा मालिकों और श्रमजीवी पत्रकारों दोनों ही के हितों को ध्यान में रख कर करना पड़ेगा। मालिकों का कहना है कि यदि वे श्रमजीवी पत्रकारों को उचित वेतन दें तो उद्योग का विकास रुक जायेगा।

जो भी हो इस समस्या का हल करना बहुत ही जरूरी है और जब समाचारपत्रों के मालिक समझौता करने को तैयार ही नहीं हैं, तो फिर सरकार के सामने कोई और चारा भी नहीं रह जाता। इसी लिये सरकार ने यह विधेयक पेश किया है।

†**श्री भि० ना० सिंह** (चन्दौली) : यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधान है, समूचे प्रेस-उद्योग की दृष्टि से भी।

इस सभा से बाहर, इस प्रश्न पर काफी अर्से तक बड़ी चखचख चली है। वेतन बोर्ड की नियुक्ति १९५६ में की गई थी। उसने एक वर्ष बाद अपने निर्णय दे दिये थे। लेकिन समाचारपत्रों

---

†मूल अंग्रेज़ी में

के उद्योगपतियों ने उच्चतम न्यायालय में उन निर्णयों के विरुद्ध मामला दायर कर दिया। इससे और भी विलम्ब हुआ। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि देश में चन्द ही समाचारपत्र ऐसे हैं जिन के लेखों पर कोई भी आपत्ति न की जा सके। लाख सिर पटकने पर भी, वेतन बोर्ड समाचार-पत्रों के लेखे नहीं देख सका। मैं प्रेस आयोग का सदस्य रह चुका हूं।

प्रेस आयोग ने कुछ समाचारपत्रों के लेखे देखे थे। हम कीचड़ नहीं उछालना चाहते थे, इसलिये हम ने इस के बारे में अधिक कुछ नहीं कहा। फिर भी आयोग ने इतना तो कहा ही था कि समाचार-पत्रों के कुछ स्वामी अपने सगे-सम्बन्धियों को प्रबन्ध के काम के लिये रखते हैं और उन्हें अग्रिम धन के रूप में बड़ी बड़ी राशियां देते हैं। इन के मालिक लोग समाचारपत्रों की संस्थाओं को अन्य प्रकार के सौदों के लिये भी प्रयुक्त करते हैं। बहुत बड़े-बड़े और मध्यम दर्जे के समाचारपत्रों के लेखों को देखने से हम ने यही नतीजा निकाला कि वे अपने लेखे में सिर्फ एक प्रतिशत मुनाफ़ा दिखाते हैं। लेकिन इस का राज़ क्या है। किया यह जाता है कि अपने सगे-सम्बन्धियों को बड़ी-बड़ी ऊंची तनख़ाहों पर रख लिया जाता है। तब फिर एक प्रतिशत मुनाफ़ा दिखाना क्या बड़ी बात है ? इस तरह वे आयकर की अपवंचना भी किया करते हैं।

प्रेस आयोग के पास जितने लेखे आये थे, यदि कुछ बारीकी के साथ उन की छानबीन की जाये तो बहुत से उन प्रतिष्ठित समाचारपत्र स्वामियों के चेहरे पर कालिख पुत जायेगी, जो आज समाज में बड़े सम्माननीय समझे जाते हैं। आशा है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद, अब इन के लेखों की जांच कराई जायेगी। यदि ऐसी जांच के लिये अधिक शक्तियों की जरूरत हो, तो सरकार को उन की भी व्यवस्था करनी चाहिये तभी इस उद्योग की सही स्थिति की जानकारी हो सकेगी।

पत्रकारिता के इतने उच्चादर्शपूर्ण व्यवसाय में ऐसी लांछनापूर्ण स्थिति नहीं रहनी चाहिये। श्रमजीवी पत्रकार वर्षों से समुचित वेतन की मांग करते आ रहे हैं, और तमाम तरह की बाधायें डालकर मालिक लोग उन्हें उस से वंचित किये हुए हैं। मालिक लोग तमाम बेकार के लोगों को कर्मचारियों की सूची में रखते हैं और उन्हें लम्बी तनख़ाहें देते हैं लेकिन ग़रीब श्रमजीवी पत्रकारों को देने के लिये उन के पास कानी कौड़ी भी नहीं है।

कुछ सज्जन संविधान के अनुच्छेदों १४ और १९ का हवाला दे कर, बड़े ही भारी-भरकम शब्दों में, इस व्यवसाय की, प्रेस की स्वतंत्रता की दुहाई देते हैं। लेकिन मुझे याद है कि प्रेस आयोग को समाचारपत्रों के मालिकों को एक बड़ी कड़ी चेतावनी देनी पड़ी थी कि वे आयोग के सामने उपस्थित होने वाले पत्रकारों को शिकार न बनायें।

यह कोई नई बात नहीं है। मैं खुद भी पत्रकार की हैसियत से काम कर चुका हूं और उन का शिकार बन चुका हूं। मुझे दिल्ली के एक प्रमुख, प्रतिष्ठित समाचारपत्र से इसलिये निकाल दिया गया था कि मैं मजदूर आन्दोलन में काम करता था।

ये सज्जन प्रेस की स्वतंत्रता की जो लम्बी-चौड़ी बातें करते हैं, उस की असलियत यह है। सरकार को ऐसी आलोचनाओं की ओर पीठ दे देनी चाहिये। सरकार को जनता के पक्ष में उठना चाहिये। इसलिये मैं इस विधान का स्वागत करता हूं।

अभी कुछ ही दिन पहले, दक्षिण भारत के एक स्थानीय सम्वाददाता को इसलिये नौकरी छोड़ने के लिये कहा गया था कि उस ने श्रमजीवी पत्रकारों के आन्दोलन में कुछ साथ दिया था। क्या प्रेस की स्वतंत्रता उन चन्द लोगों की स्वतंत्रता है जो कुछ लाख रुपयों के बल पर एक अखबार निकाल सकते हैं ? क्या श्रमजीवी पत्रकार को इस से कोई वास्ता ही नहीं ?

[श्री मि० ना० सिंह]

इसलिये, सभा के सभी दलों को एक स्वर से इस विधान का पूरा समर्थन करना चाहिये । और, यदि इस में कुछ त्रुटियां रह गई हों, तो उन्हें शीघ्र ही दूर कर देना चाहिये । अध्यादेश जारी करने के लिये, मैं सरकार को बधाई देता हूं ।

बस मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूं कि राज्यों के भूतपूर्व प्रधानों को ऐसी बहसों में नहीं पड़ना चाहिये । यह उन्हें शोभा नहीं देता ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों को चाहिये कि वे राज्यों के राज्यपालों के सम्बन्ध में कोई बात न कहें । यह उपयुक्त नहीं है । जो वक्तव्य किसी व्यक्ति ने राज्यपाल होते हुए दिया हो उस का उल्लेख यहां करने की आवश्यकता नहीं । सदस्यों को चाहिये कि ज्यादा से ज्यादा वह यह कहें कि अमुक देश के अमुक नागरिक ने इस प्रकार कहा है । किसी भी व्यक्ति के राज्यपाल होने के तथ्य का उल्लेख यहां करना ही नहीं चाहिये । मैं कभी भी इस बात के कहने की अनुमति नहीं दूंगा कि अमुक व्यक्ति भूतपूर्व राज्यपाल था और फिर उस के पश्चात् उसे गालियां देनी शुरू कर दी जायें । मैं इस बात का निर्णय करने नहीं बैठा हूं कि उन्हें सेवा निवृत्ति वेतन मिलता है इस कारण उन्हें राजनीति में भाग लेना चाहिये या नहीं । यहां पर राज्यपालों का उल्लेख करने से कोई लाभ नहीं है ।

†**श्री प्रभात कार** (हुगली) : हम उन के राज्यपाल की पदावधि के समय के कार्यों की आलोचना तो नहीं करते केवल मात्र इतना ही कहा गया है कि अब जो वह कर रहे हैं वह उचित नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जब एक पक्ष राज्यपाल का उल्लेख करेगा तो प्राकृतिक रूप से दूसरा उसकी आलोचना करेगा ही । इस प्रकार की बातों से क्या लाभ है ।

†**श्री गोरे** (पूना) : हम इस अध्यादेश का स्वागत करते हैं । १९५२ में कलकत्ता के स्थान पर पत्रों के प्रतिनिधि आपस में मिले । उस समय पत्रकारिता अस्तव्यस्त सी थी । प्रेस आयोग का प्रतिवेदन बहुत ही उच्च स्तरीय चीज है । १९५६ में न्यायाधीश दिवैतया के अधीन वेतन बोर्ड की नियुक्ति की गई । वेतन बोर्ड की सिफारिशों के विरुद्ध कुछ पत्र मालिकों ने चाराजोई की तथा उच्चतम न्यायालय ने मार्च १९५८ में अपना अन्तिमनिर्णय दिया ।

पत्रों के मालिकों ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष ११ बातें रखीं किन्तु केवल एक के अतिरिक्त न्यायालय ने सब को रद किया । न्यायालय केवल इसी बात पर वेतन बोर्ड के निर्णय को शून्य घोषित किया कि बोर्ड ने पत्रों की देने की क्षमता पर विचार नहीं किया ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

अन्य बातें उच्चतम न्यायालय ने नहीं मानीं । इसी त्रुटि को दूर करने के लिये सरकार ने अध्यादेश निकाला है ।

इस विधेयक के खण्ड ४ में ऐसी व्यवस्था की गई है जिससे पत्रों के मालिकों को अब किसी प्रकार की आपत्ति न रहेगी । उपखण्ड (५) में समिति के लिये व्यवस्था की गई है कि वह चाहे तो पत्रों के वर्ग बनाकर उनके पत्रकारों के वेतनों आदि के बारे में कार्यक्रम तै करे ।

अब यह पता नहीं चलता कि पत्र मालिकों को इस विधेयक पर क्या आपत्ति है । बातचीत के द्वार तो हर समय खुले हैं । किन्तु पत्र मालिक किसी बात पर टिकते भी तो नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पता नहीं माननीय मंत्री ने भी क्यों पत्र मालिकों की कड़ी आलोचना नहीं की । अध्यादेश लागू होने के थोड़े दिन बाद ही पत्र मालिकों का एक सम्मेलन हुआ और उसमें अध्यादेश को संविधान के विरुद्ध कहा गया । पंडित कुंजरू जैसे महान व्यक्ति ने भी उन लोगों के बीच जाकर भाषण देते समय कहा कि यदि और मुकदमे बाजी हुई तो पता नहीं क्या होगा । ऐसी बात उन्होंने तो नहीं कहनी थी । ये लोग सरकार के किसी भी सुझाव को नहीं मानते । इसी प्रकार की रुकावट डालने वाली बातें इन लोगों ने तब भी की थीं जब कि प्रेस आयोग का प्रतिवेदन आया था ।

मुझे तो यही लगता है कि वे लोग वास्तव में इस समस्या को सुलझाना ही नहीं चाहते । वे लम्बा करना चाहते हैं इसीलिये अब नये सिरे से जांच करने की मांग कर रहे हैं ।

जो बातें पहले प्रेस आयोग ने बताई हैं वे पत्र मालिकों को वास्तविक रूप में दिखाती हैं । आयोग ने बताया है कि ये लोग अपने सम्बन्धियों के नाम पत्र के कर्मचारिवृन्द की सूची में दिखा देते हैं और ऐसा प्रकट करते हैं जैसे उन्हें बहुत वेतन दिया जाता हो । इस का परिणाम यह होता है कि कर्मचारियों के बोनस की मात्रा बहुत ही कम हो जाती है ।

श्रीमान्, मैं तो यही कहूंगा कि पत्र मालिकों की स्थिति बड़ी खराब है । अब मामला स्थगित करना अत्यन्त हानिकर होगा । इसी प्रकार से पी० टी० आई० जैसे अभिकरण भी घाटे में चलते बताये जाते हैं और वहां भी कर्मचारियों के वेतन नहीं बढ़ रहे । अब कर्मचारियों ने तंग आकर हड़ताल करने की ओर भी संकेत किया है ।

सरकार को शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही करनी चाहिये ताकि श्रमजीवि पत्रकारों का भाग्य यों ही खराब न होता रहे ।

†**श्रीमती सुचेता कृपलानी** (नई दिल्ली) : श्रीमान्, इस विधेयक का समर्थन सारी सभा कर रही है इसी से अनुमान हो सकता है कि यह विधेयक कितना अच्छा है ।

सरकार ने प्रेस आयोग नियुक्त किया था तथा उसका प्रतिवेदन १९५४ में मिला । इसी प्रकार वेतन बोर्ड बनाया गया तथा १९५७ में उन्होंने प्रतिवेदन समर्पित किया ।

वेतन बोर्ड के निर्णयों के विरुद्ध पत्रों के मालिकों ने उच्चतम न्यायालय की शरण ली तथा न्यायालय ने केवल इस कारण कि बोर्ड ने पत्रों के देने की क्षमता पर विचार नहीं किया बोर्ड के निर्णयों को शून्य घोषित कर दिया । इस से पत्रकारों को बहुत बड़ा धक्का लगा । स्थिति दोबारा खराब हो गई । किन्तु सरकार ने यथोचित कार्यवाही करके पत्रकारों की समय पर सहायता की । सरकार तो पत्रकारों तथा पत्र मालिकों का आपसी समझौता कराने का यत्न भी करती रही । बातचीत भी चली । गृह मंत्री ने कहा कि ३० प्रतिशत वृद्धि वेतनों में कम से कम होनी ही चाहिये । इस पर वे राजी भी हो गये । किन्तु थोड़े ही समय के पश्चात् वे सब इस बात से इन्कार कर गये । अब सरकार क्या करती । सरकार के पास तो एक ही इलाज था । उन्होंने अध्यादेश जारी कर दिया ।

वास्तव में वेतन बोर्ड ने पत्रों की देने की क्षमता पर भी थोड़ा ध्यान रखा ही है क्योंकि उन्होंने विभिन्न वेतनस्तर निर्धारित किये हैं । वैसे पत्र मालिकों ने हिसाब किताब में गड़बड़ कर रखी थी । कई पत्रों ने तो वेतन बोर्ड को हाथ ही नहीं दिया । किसी सम्पादक का कितना

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

वेतन दिखा रखा है और किसी का कितना । पत्रों की दुनियां में बहुत ही ज्यादा गड़बड़ घोटाले हैं । पत्रों के मालिक तो व्यापारिक दृष्टिकोण से ही हर एक चीज को देखते हैं । उन्होंने पत्रों को भी व्यापारिक धन्धा समझा हुआ है ।

भारतीय प्रेस से आज भी राजा राममोहन राय, तिलक तथा गांधी जी के नाम सम्बद्ध हैं किन्तु आजकल यह प्रेस पूंजीपतियों के हाथ में हैं ।

वास्तव में प्रेस की स्वतंत्रता ही इन मालिकों ने समाप्त कर दी है क्योंकि पत्रकार इन्हीं लोगों की ओर देखा करते हैं । आज हमें केवल पत्रकारों की आर्थिक स्थिति को ही ठीक नहीं बनाना बल्कि उसे स्वतंत्र भी रखना है ताकि वह सच्चे दिल से सेवा कर सके । आज पत्र मालिकों की अत्यधिक सतर्कता से भी हमें सावधान रहना होगा क्योंकि बंगाली में एक कहावत है कि यदि मामी बच्चे को मां से ज्यादा प्यार करने लगे तब सन्देह करने की गुंजाइश होती है । हमें समझ लेना चाहिये कि नई जांच की मांग में भी कोई चाल है । सरकार की यह कार्यवाही न्यायोचित है ।

†**श्री जोकिम आल्वा :** श्रीमान्, भारतीय पत्रकार ईमानदार, योग्य तथा परिश्रमी हैं किन्तु उन्हें जो वेतन मिलता है उसका उल्लेख न करना ही बेहतर होगा । यदि दुर्भाग्य से किसी पत्रकार की नौकरी छूट जाये तो उसे आवारा घूमना पड़ता है ।

भारतीय पत्रकार अपने कार्य में इतनी रुचि रखता है कि यदि दूसरी जगह ज्यादा वेतन भी मिले वह नहीं जायेगा ।

भारतीय पत्रकारिता की दुनियां शाईलाकों से भरी पड़ी है । पत्रों की आय लाखों रुपये की होती है किन्तु वे देते क्या हैं । प्रेस आयोग ने उनके ठीक वर्ग बनाये थे । किन्तु उच्चतम न्यायालय से इतना सब होने के उपरान्त भी उन्हें एक अवसर और दिया । इन लोगों ने झूठ बोला, अपराधनीय कार्यवाही की किन्तु अवसर फिर भी इन्हें मिला ।

सरकार ने समयानुकूल सहायता की । यदि सरकार चाहे तो २४ घण्टे के भीतर ही इन सब समस्याओं का हल कर सकती है । किन्तु वास्तव में मुझे ऐसा लगता है कि सरकार उतना प्रयास नहीं कर रही जितना इस कार्य के लिये आवश्यक है । बाहर का दबाव पड़ता है । आज भारतीय मतदान पत्रों से प्रभावित होकर मतदान नहीं करता ।

इन्हीं पत्र मालिकों ने आज प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को छिन्न भिन्न करके रख दिया है । उसे भारत में अच्छा स्थान मिलना चाहिये किन्तु उसे तो पत्र मालिक कुछ भी नहीं समझते ।

अब आप देखें कि ये बड़े पत्रों वाले पत्रकारों को चिकित्सा सुविधा कितनी देते हैं ? रहने की सुविधायें देते हैं या नहीं । टाइम्स ऑफ इंडिया की स्थिति को ही देखें । उसकी आय दो करोड़ की है किन्तु उनके कर्मचारी बम्बई से चालीस चालीस मील दूर रहते हैं । उनके पास आराम से सोने तक की जगह नहीं है । इधर आप स्टेट्समैन को देखें कभी वहां हड़ताल नहीं हुई किन्तु टाइम्स ऑफ इंडिया तथा हिन्दू में हड़तालें हो चुकी हैं ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

हमारे भारत में श्री सदानंद ने स्वतंत्र प्रेस के निर्माण में कितने कष्ट झेले । उनकी सहायता किसी ने न की ।

टाइम्स ऑफ इंडिया की आय दो करोड़ से अधिक है किन्तु उन्होंने ११,८७७ रुपये की हानि दिखाई है । उनके दूसरे पत्र भी चलते हैं । उनका नवभारत टाइम्स भी तो है किन्तु उसके सम्पादक को केवल ५०० रुपये मासिक मिलते हैं । क्या यह वेतन पर्याप्त है ?

'हिन्दू' अखबार भी बड़े ही लाभ से चल रहा है । इसी प्रकार स्टेट्समैन का लाभ भी ६ लाख रुपये से अधिक है । किन्तु टाइम्स ऑफ इंडिया में घाटा किस प्रकार का है । क्या हिसाब किताब में गड़बड़ की जाती है ।

१९४८ में बम्बई में मैंने पत्रमालिकों से कहा कि पत्रकारों की सहायता के लिये वे अपने अखबारों में चन्दे की अपील करें ताकि एक जगह बना ली जाये जहां पत्रकार आराम से सो सकें । किन्तु वे इस बात के लिये भी तैयार नहीं हुए ।

राजधानी में भी पत्रकारों के लिये किसी प्रकार की सुविधायें नहीं हैं । वास्तव में बात यह है कि पत्रों के मालिकों के पास तो धन है और वे मुन्शी जैसे लोगों को वकील बनाकर उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं किन्तु पत्रकार तो बेचारे गरीब हैं । बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इतने वर्षों के पश्चात् भी पत्रकारों को किसी प्रकार का सुख न मिला । विदेशों में पत्रों के मालिक तीन वर्ष के पश्चात् अपने पत्रकारों को बाहर जाने का अवसर देते हैं किन्तु यहां कोई नहीं देता । जिन अखबारों की आय २ करोड़ तक की हो उन्हें चाहिये कि अपने अच्छे पत्रकारों को विदेशों में भेजें । जब तक पत्रकार विदेशी यात्रा न करेंगे तब तक वे पूर्ण अधिकार से नहीं लिख सकते ।

मैं पुनः कहना चाहता हूं कि प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया में जो गड़बड़ है वह सब इन पत्र मालिकों ने कर रखी है । इस बड़े देश में तीन अभिकरण तो चल सकते हैं । पत्रकारों को जीवन सम्बन्धी सुविधायें भी आवश्यक रूप से मिलनी चाहियें ।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : उपाध्यक्ष महोदय, हम सभी लोगों ने पत्रकारों के प्रति सहानुभूति प्रकट की है । सब से बड़ी सहानुभूति यह होगी कि हम जो विधेयक बना रहे हैं वह बिल्कुल त्रुटिहीन हो । उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उसे ध्यान में रखते हुए अब हमें कोई ऐसी गलती नहीं करनी चाहिये जिससे आगे चल कर कोई कठिनाई हो । वेतन बोर्ड के विनिर्णय को समाचारपत्रों के स्वामी ने ११ आधारों पर गलत बताया था । ११ आधारों में से एक आधार यह भी था कि देय क्षमता का ध्यान नहीं रखा गया है और उच्चतम न्यायालय ने इस तर्क को स्वीकार भी किया है । यदि हम इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारे विधेयक के सामने फिर वैधानिक कठिनाइयां पैदा होंगी और पत्रकारों को फिर कठिनाइयों का सामना करना होगा । अन्यथा हो सकता है कि यह विधेयक भी उच्चतम न्यायालय के सामने नियम विरुद्ध घोषित हो जाये ।

विधेयक में कुछ बातें ऐसी हैं जिन को देख कर मुझे संदेह हो रहा है कि कठिनाइयां बाद में पैदा हो सकती हैं । खण्ड ४ उपखण्ड (२) में कहा गया है कि एक समिति नियुक्त की जायेगी जो देय क्षमता के सम्बन्ध में समाचारपत्रों के मालिकों से अभ्यावेदन मांगेगी । उसके बाद समिति जो निर्णय देगी वह निर्धारित किया जायेगा । मुझे भय है कि बाद में समाचारपत्रों के मालिक

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नौशीर भरूचा]

कहेंगे कि हम को प्रत्येक बात के सम्बन्ध में अभ्यावेदन देने की छूट नहीं थी । यह बात न्यायालय में जा कर खतरनाक साबित हो सकती है । अतः मेरा निवेदन है कि सरकार पहले एक तथ्य जांच समिति नियुक्त करे और समाचारपत्रों के मालिकों से हर बात के सम्बन्ध में छूट देकर अभ्यावेदन मांगे बाद में उसके निर्णय को स्वीकार करे । तो बाद में कठिनाई नहीं होगी । वेतन बोर्ड के कार्य के सम्बन्ध में भी उच्च न्यायालय ने कुछ कहा है कि उसका कार्य किस प्रकार का था---न्यायिक, अर्धन्यायिक अथवा प्रशासनिक । अतः अब आप जो समिति या संगठन नियुक्त करें उसके कार्य का स्वरूप भी निर्धारित कर दें ताकि उस पर भी बाद में कठिनाई न पैदा हो पाये । चूंकि विधेयक में उनके कार्य का स्वरूप अर्ध न्यायिक माना गया है अतः हमें इस सम्बन्ध में भी सावधानी बरतनी चाहिये ।

अन्त में मेरा निवेदन है कि यदि हमें पत्रकारों के प्रति सहानुभूति प्रकट करनी है तो सरकार को चाहिये कि वह हमारे संशोधनों पर विचार करके इन त्रुटियों से विधेयक को मुक्त करे ।

†श्री आचार (मंगलौर) : माननीय मंत्री तथा अधिकांश सदस्यों ने बड़े-बड़े समाचारपत्रों तथा उनमें काम करने वाले पत्रकारों की चर्चा की है । पर मैं समग्र उद्योग की बात को लूंगा । बड़े-बड़े पत्र तो थोड़े से हैं पर छोटे छोटे पत्रों की संख्या बहुत अधिक है । मैं जानता हूं कि पत्रकारों की स्थिति बहुत खराब है और १९५० और १९५१ से वे इस बात की मांग कर रहे हैं कि उनकी मदद की जाये । छोटे-छोटे पत्रों के सामने अनेक संकट हैं । उनमें थोड़े से व्यक्ति होते हैं । कागज उन्हें बड़ी कठिनाई के बाद मिलता है और फिर आय-कर चुकता की रसीद लेने में उन्हें सैकड़ों कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं । इस प्रकार उनके सामने अनेकों संकट हैं ।

देय क्षमता का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है । हमारे जिले को ही लीजिये वहां कई छोटे छोटे अखबार निकलते हैं । उनका वितरण २,०००, ३,००० या ४,००० तक है । सब घाटे पर चल रहे हैं । इसी प्रकार आस पास के जिलों के पत्रों की भी हालत है । समाजवादी दल का 'विचारवाणी' पत्र बन्द हो गया । साम्यवादी दल का 'अरुण' संकट से गुजर रहा है । अतः हमें इन छोटे-छोटे पत्रों की दशा पर भी विचार करना चाहिये । बड़े पत्र तो किसी न किसी तरह चल ही जायेंगे पर छोटों का क्या होगा ?

विधेयक में जिस सरकारी समिति की बात कही गयी है क्या वह ५ महीने के भीतर छोटे-छोटे पत्रों के सम्बन्ध में सारी जानकारी इकट्ठी कर पायेगी । मैं समझता हूं यह संभव नहीं है । छोटे-छोटे पत्रों की संख्या हजारों या लाखों में होगी । उच्चतम न्यायालय ने भी कहा है कि देय क्षमता का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है । जब यह समिति पूरी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकेगी तो पत्रकारों के साथ न्याय क्या होगा । अतः मेरा निवेदन है कि पत्रकारों के सम्बन्ध में भी सामान्य न्याय व्यवस्था—जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के अनुसार उपलब्ध है---का पालन क्यों न किया जाये । या तो छोटे-छोटे पत्रों को इस अधिनियम की व्याप्ति से अलग रखा जाये या फिर इन की पूरी जांच कराने के बाद ही न्यूनतम वेतन निर्धारित किये जायें ।

पत्रों में पत्रकार तो एक-चौथाई भाग होते हैं । यदि उनके लिए आप ने न्यूनतम वेतन निर्धारित कर दिया तो क्या इससे क्या अन्य विभागों में असंतोष नहीं बढ़ेगा । लोकतंत्र के निर्माण तथा उसकी रक्षा के लिये समाचार पत्रों का बहुत महत्व है । मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे छोटे पत्रों की रक्षा के लिये कुछ न कुछ उपाय अवश्य करेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन (गढ़वाल) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रमजीवी पत्रकारों के वेतन स्तर को निश्चित करने के सम्बन्ध में शासन ने जो अध्यादेश जारी किया और दो दिन पहले श्रम मंत्री महोदय ने जो विधेयक यहां प्रस्तुत किया उसका मैं हार्दिक समर्थन करता हूं ।

श्रम मंत्री महोदय ने अपने लम्बे भाषण में जिस संयम और धैर्य से काम लिया है उसकी मैं प्रशंसा करना चाहता हूं यद्यपि यह निश्चित है कि समाचारपत्रों के मालिकों का जो सम्मेलन पिछले दिनों इसी दिल्ली में हुआ था उसके द्वारा पारित प्रस्तावों और उसमें दिये गये भाषणों के बारे में माननीय मंत्री ने विस्तारपूर्वक समझाने का प्रयत्न किया और इस बात की मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि अपनी उत्तेजना को उन्होंने अपने वश में रखा, व अपने नियंत्रण में रखा । उन्होंने काफी विस्तारपूर्वक उनके सम्बन्ध में प्रकाश डाल दिया है । इसलिए मैं इस सम्बन्ध में और अधिक नहीं कहना चाहता था लेकिन श्री आचार ने जो मुझ से पहले यहां पर एक दो बातें कहीं, उनके कारण मुझे मजबूर होकर कुछ बातें सदन के सामने रखनी पड़ रही हैं ।

सब से पहला प्रश्न जो उन्होंने रक्खा और जो सवाल समय समय पर उठाया जाता है वह यह है कि बड़े बड़े जो समाचारपत्र हैं उनके मालिकों की आड़ लेकर कहीं गेहूं के साथ घुन न पिस जाय और कहीं छोटे समाचारपत्रों को आघात न पहुंचे । मैं स्वयं इस सदन में समय समय पर इस बात की आवाज़ उठाता रहता हूं कि छोटे समाचारपत्रों की हमें रक्षा करनी चाहिए लेकिन मुझे इस अवसर पर अपने शासन के कर्णधारों से फिर यह शिकायत करनी है कि समय समय पर जो सुझाव दिये गये उन पर अभी तक पूरे तरीक़े से अमल नहीं किया गया है ।

प्रेस आयोग ने एक बहुत महत्वपूर्ण सिफ़ारिश की थी, मूल्यानुसार पृष्ठसूची, प्राइस पेज शैडयूल के सम्बन्ध में । उसके बारे में कई वर्षों से विचार हो रहा है । यह निश्चित है कि अगर इस प्राइस पेज शैडयूल को लागू कर दिया जाय तो जो छोटे समाचारपत्र हैं उनकी आर्थिक स्थिति सम्हल सकती है और वह पत्रकारों को पूरा वेतन दे सकते हैं लेकिन मुझे जहां तक मालूम हुआ है हमारे बड़े समाचारपत्रों के मालिक उसमें आड़े रहे हैं और उसमें अड़चनें डाल रहे हैं ।

इस सम्बन्ध में पिछले दिनों मैंने जो आध घंटे की चर्चा की थी उसमें भी मेरा यही उद्देश्य था कि भारत सरकार की जो अपनी सरकारी विज्ञापनों के वितरण की नीति है उसमें भी जहां तक हो सके भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों को तथा जो छोटे छोटे समाचारपत्र हैं उनको और अधिक प्रोत्साहन देना चाहिये और अधिक संख्या और अधिक परिमाण में विज्ञापन देना चाहिए ताकि उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके । मैं इस अवसर पर प्रार्थना करना चाहता हूं कि उन्हें शीघ्र इस ओर क़दम उठाना चाहिए ताकि हमारे छोटे समाचारपत्रों की आर्थिक स्थिति सुधर सके । अगर यह दो क़दम उठाये गये तो मैं समझता हूं कि उन की आर्थिक स्थिति इतनी सुधर जायगी कि जो वेज बोर्ड ने सिफारिशें की थीं या समिति कुछ संशोधित रूप में जो सिफारिशें करने वाली है उनकी अदायगी करने में कुछ अड़चनें नहीं पड़ेंगी ।

उपाध्यक्ष महोदय, श्रम मंत्री महोदय ने विस्तार के साथ में जो अभी समाचारपत्र मालिकों का सम्मेलन हुआ था उसके बारे में अपने विचार प्रकट किये थे । यहां पर कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी आशंका प्रकट की है कि जब यह विधेयक स्वीकार हो जायगा तथा इसके बाद इस विधेयक के द्वारा जो समिति नियुक्त हो रही है उसकी रिपोर्ट सदन के सामने और देश के सामने आजायगी और जब उसको लागू करने का अवसर हमारे सामने आयेगा उस समय यह हो सकता है कि समाचारपत्रों के मालिक फिर उच्चतम न्यायालय की शरण लें । यह काफ़ी गम्भीर मामला है । हमें यह देखना है कि यह क़ानून इस तरीक़े का बनाया जाय और उस पर इस तरीक़े से अमल किया जाय ताकि इसकी कोई सम्भावना

[श्री भक्त दर्शन]

नहीं रहे लेकिन इसके साथ ही साथ मैं सरकार से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि विश्वसनीय सूत्रों से यह मालूम पड़ता है कि हमारे समाचारपत्रों के बड़े समाचारपत्रों के मालिक साहिबान कुछ एक षड्यन्त्र अन्दर अन्दर रच रहे हैं। वे केवल उच्चतम न्यायालय में ही नहीं जाना चाहते बल्कि पत्रों की स्वाधीनता के नाम पर, मैं तो कहूंगा कि उसका दुरुपयोग करने पर उतारू हो रहे हैं और जहां तक पता चला है उससे यह मालूम होता है कि उन्होंने इस बात का निर्णय कर लिया है कि अगर यह समिति स्थापित हो जाय और यह उनके विरोध के बावजूद भी कुछ सिफ़ारिशें करें और सरकार उन पर दृढ़ता से अमल करे, जैसा कि मुझे पूरा विश्वास है कि वह करेगी, तो उनकी ओर से सरकारी और संसदीय कार्यवाहियों का ब्लैकआउट कर दिया जायेगा। यह एक बहुत बड़ा गम्भीर षड्यन्त्र मालूम पड़ता है। आपने २२ तारीख को यहां पर इस सदन में जो विचार प्रकट किये गये, कुछ ऐसा मालूम पड़ता है कि उन पर ब्लैकआउट लगाया गया यानी यहां पर जो लोकल ऐडिशन निकलता है उसमें तो कुछ समाचार दिये जाते हैं लेकिन जो डाक ऐडिशन बाहर भेजा गया उसमें तोड़ा मरोड़ा गया और काट छांट कर दी गई। कुछ ऐसा शक़ होता है कि जब वह समाचार प्रकाशित हो गया तब उसके बाद समाचारपत्र के मालिकों के दिमाग में कुछ फितूर आया और उन्होंने अपने सम्पादकों को डराया धमकाया कि इतने लम्बे चौड़े समाचार क्यों दिये जा रहे हैं यहां तक कि शायद मिनिस्टर साहब के भाषण के बारे में भी कहा गया कि इतना लम्बा चौड़ा भाषण प्रथम पृष्ठ पर क्यों दिया गया है? तो यह एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं। सरकार के पास भी एक बड़ा शस्त्र है और वह शस्त्र इस प्रकार का है कि अगर वे संसद् की कार्यवाही बायकाट करना चाहते हैं और बड़े समाचारपत्र माननीय मंत्रियों के भाषणों को भी नहीं छापना चाहते तो उसका जवाब उनके पास यह है कि कम से कम वह सरकारी विज्ञापन देना बन्द कर दे और उनको ब्लैक लिस्ट कर दे। इस तरीक़े से उनके षड्यन्त्र का मुकाबिला किया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कुछ संशोधनों की सूचना दी है। उनमें मेरी मुख्य मंशा यह है कि काफ़ी देरी श्रमजीवी पत्रकारों के सम्बन्ध में हो चुकी है। सन् १९५०-५१ से लगातार वे इस बारे में मांगें करते रहे हैं। प्रेस आयोग एक प्रकार से उन्हीं के परिश्रम से और उन्हीं के आन्दोलन के द्वारा स्थापित हुआ था। उसके बाद वेज बोर्ड की स्थापना हुई। फिर सुप्रीम कोर्ट में इतना समय लग गया। अब यहां पर जो विशेष समिति स्थापित की गई मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि पहले श्रम मंत्री महोदय ने घोषणा की थी कि तीन महीने में उसका कार्य समाप्त हो जायगा। इससे मालूम पड़ता है कि श्रम मंत्री महोदय बहुत प्रयत्नशील हैं; उनकी बड़ी इच्छा है और बड़ी उत्कट अभिलाषा है कि जल्द से जल्द उसका कार्य समाप्त हो लेकिन कुछ अड़चनें आने की वजह से कुछ आंकड़े एकत्र करने पड़ रहे हैं जिनकी कि वजह से दो महीने का और समय लगेगा। और मुझे तो यह आशंका हो रही है कि तीन महीने के बाद पांच महीने फिर छः महीने और इसी तरह कहीं एक वर्ष न लग जाय। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि जल्दी से जल्दी इस सम्बन्ध में निर्णय कर लिया जाय।

श्रमजीवी पत्रकारों के बारे में मुझे कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं समाचारपत्रों के मालिकों के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए डा० कुंजरू साहब ने ये शब्द कहे थे :

> "मुझे अच्छी तरह पता है कि कुछ पत्रकारों को किन स्थितियों में अपने कर्त्तव्य का पालन करना पड़ता है। यह कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ।"

अर्थात् कुंजरू साहब ने उस सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए स्वयं इस बात को स्वीकार किया था कि श्रमजीवी पत्रकारों की जो आर्थिक स्थिति है वह बड़ी दयनीय है और उसका जल्दी से जल्दी कुछ निराकरण किया जाना चाहिए।

श्रीमन्, मैं इस सम्बन्ध में माननीय श्रम मंत्री जी का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि पहले इस बारे में जो अधिनियम बना था व कानून बना था उसकी बहुत सी धाराओं के सम्बन्ध में आंकड़े मांगे गये और तथ्य एकत्र करने की कोशिश की गई लेकिन उनको अभी तक भी एकत्र नहीं किया जा सका। हमारे पास इस तरह के उदाहरण मौजूद हैं विशेष कर बम्बई में और मुझे कुछ शर्म आती है यह कहते हुए कि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं लेकिन उत्तर प्रदेश में जहां के कि हमारे गृह-मंत्री एक बड़े प्रसिद्ध पत्रकार रह चुके हैं, वह एक दैनिक पत्र के सम्पादक रह चुके हैं और जहाँ के श्रम मंत्री एक साहित्यिक व्यक्ति हैं और जिनका कि पत्रकारों से काफी अच्छा सम्बन्ध रहा है, उनके होते हुए भी उत्तर प्रदेश में और बम्बई में ऐसे उदाहरण मौजूद हैं कि श्रमजीवी पत्रकारों की तरफ से जितने मामले उठाये गये उनको औद्योगिक अदालतों तक नहीं जाने दिया गया वहां तक उनको पहुंचने ही नहीं दिया गया और उनको बीच में ही समाप्त कर दिया गया। इसलिए मैं ने कुछ संशोधनों की सूचना दी है और मेरे कुछ मित्रों ने भी दी है जिनका कि आशय यह है कि राज्य सरकारों के लिए यह अनिवार्य कर दिया जाये कि अगर कोई ऐसा मसला वेतन न मिलने का आये तो उसकी औद्योगिक न्यायालयों के सुपुर्द करना अनिवार्य हो।

उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं इस अवसर पर एक ही बात कहना चाहता हूं कि समाचारपत्र मालिकों की ओर से जो स्मृतिपत्र इस कमेटी को दिया गया है वह हम लोगों को अर्थात् माननीय सदस्यों को भी वितरित किया गया है। उस स्मृतिपत्र के खण्ड ११(५)(बी)। में कुछ शब्द आते हैं जिनकी वजह से मुझे कुछ कहना पड़ रहा है। उसमें कहा गया है कि कार्य का स्वरूप तथा योग्यता को देखते हुये अंग्रजी पत्रों के पत्रकारों तथा अन्य भाषाओं के पत्रकारों में बहुत अन्तर है। यह जो सिफ़ारिश इन्होंने की है या इन्होंने अपने स्मृतिपत्र में जो बात लिखी है मैं इस अवसर पर उसका कड़ा विरोध करता हूं। मैं माननीय मन्त्री का ध्यान और मन्त्री जी के द्वारा जो इस वक्त एक विशेष समिति नियुक्ति की गई है उसका ध्यान मैं इस ओर दिलाना चाहता हूं। यह आम तौर पर कह दिया जाता है कि हिन्दी और भारतीय भाषाओं के जो पत्रकार हैं उनका स्तर नीचा है लेकिन उसके उलटे मैं बतलाना चाहता हूं कि आज स्थिति यह है कि हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं के पत्रकार जगत में जितने भी हमारे नये पत्रकार आ रह हैं वे पूरे एक तरह से उच्च शिक्षा प्राप्त हैं उनके अन्दर एम०एज० और डाक्टर्स काम कर रहे हैं। इसके सिवाय अगर हम तुलना करें बारीक़ी से तो जितना अंग्रेज़ी के पत्रकारों को जो कि दैनिक पत्रों में ख़ास कर काम करते हैं उनको केवल जो सन्देश उनके पास अंग्रेज़ी में टाईप होकर आते हैं उनमें केवल संशोधन करना होता है, कहीं पर "टी" काटना होता है, कहीं "आई" पर डौट लगा देना और कहीं पर फुलिस्टोप लगा देना जबकि हिन्दी व अन्य भारतीय भाषाओं के पत्रकारों के अन्दर दुहरी योग्यता होना ज़रूरी है। उनको अंग्रज़ी का अच्छा ज्ञान होना आवश्यक है और उनके अन्दर इतनी क़ाबलियत होनी चाहिए कि वह बिजली की गति से उसका हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद कर सकें। इसलिए हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों में जो पत्रकार काम कर रहे हैं उनको दुहरा परिश्रम करना पड़ता है और दुहरी ही उनकी योग्यता भी होती है। इस प्रकार दोनों भाषाओं में उनकी समान गति होती है और इस दृष्टिकोण से मैं तो यहां तक कहने को तैयार हूं कि अंग्रेज़ी के पत्रकारों को जितना वेतन दिया जाय हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं के पत्रकारों को उससे अधिक वेतन देना चाहिए।

क्योंकि उन्होंने स्वाधीनता के संग्राम में उनके मुकाबले ज्यादा क़ुर्बानी भी की है। खैर, इसको छोड़िये। आज भी देश के निर्माण में वे ज्यादा परिश्रम से काम कर रहे हैं। मैं कम से कम यह आशा

[श्री भक्त दर्शन]

करता हूं और मुझे यह पूरा विश्वास है कि माननीय मंत्री जी के रहते हुए जो कि अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध हैं, जो यह कमेटी बनी उसके ध्यान में यह बात रहेगी कि किसी भी हालत में हिन्दी और दूसरी भारतीय भाषाओं के पत्रकारों और अंग्रेजी पत्रों के पत्रकारों के बीच में वेतन के मामले में कोई अन्तर नहीं किया जायगा । मैं यह नहीं कहता कि क्या वेतन स्थिर किया जाये, लेकिन यह निश्चित सिद्धान्त होना चाहिए कि जो भी वेतन स्थिर किया जाये वह हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी भाषा के पत्रकारों के लिए समान हो ।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

†**श्री नन्दा**: चर्चा के आरम्भ में मैंने जो कुछ कहा था उसमें मैंने यह भी बताया था कि मुझे सन्देह है कि सभा इस मामले में काफी गर्मी व जोश का प्रदर्शन करेगी । वास्तव में वैसा ही हुआ । यदि सरकार ने अध्यादेश जारी न किया होता तो आज सरकार पर दोषारोपण किया जाता और उसकी आलोचना की जाती ।

सभी भाषणों पर विचार करने के बाद मैं इस निश्चय पर पहुंचा हूं कि अध्यादेश जारी करने के औचित्य पर कोई आपत्ति नहीं की गयी है । जहां तक इस विधान के सारतत्व का सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि सभी माननीय सदस्य उससे सहमत हैं । एक दो सदस्यों ने कुछ उपबन्धों के सम्बन्ध में विरोधी मत प्रकट किये हैं ।

श्री आचार ने कुछ भिन्न बातें कही हैं और मैं समझता हूं कि उनके भाषण का उद्देश्य इस विधान के उपबंधों का विरोध करना था । श्री प्रभातकार ने भी कुछ अन्य सुझाव दिये हैं । वे अध्यादेश जारी करने के तो पक्ष में हैं पर उनका कहना है कि विधेयक में जिस समिति का उल्लख किया गया जो तथ्यों की जांच करेगी और अपनी सिफारिश देगी,यह अच्छा होता कि सरकार स्वयं इस विधेयक में वेतन क्रम का उपबंध करती । यह विचार तो बहुत आकर्षक है पर बात यह है कि जांच कराये बिना सरकार कैसे निर्धारित कर सकती है कि समुचित वेतन क्रम क्या होना चाहिए । जांच कराना आवश्यक है क्योंकि हमें ध्यान रखना है कि सभी पक्षों के साथ न्याय हो और फिर उच्चतम न्यायालय का निदेश भी था कि जांच कराई जाय । अतः इसमें तो कुछ समय लगेगा ही । इस विधेयक में भी यही बात कही गयी है कि संसद् कोई भी निर्णय करने के पूर्व जांच अवश्य करायेगी । संसद् से कहा गया कि वह तथ्यों की जांच कराये, उद्योग की स्थिति का पता लगाये और यह ध्यान दे कि उच्चतम न्यायालय ने किन-किन बातों की जांच कराने की बात कही है । सरकार इस बात से सहमत हो गयी है और उसने संसद् से भी सिफारिश की है कि एक समिति होनी चाहिए जो उद्योग की दशा का पता लगा कर, उनकी देय क्षमता देख कर तथा यह बता कर कि समुचित वेतन क्रम क्या होगा सरकार की मदद करे । इसे तो करना ही होगा । अच्छा है कि यह जांच खुले रूप में हो । संसद् जानती है कि इस उत्तरदायित्व को निभाने के लिए किस प्रक्रिया का अनुसरण किया जा रहा है । अतः मैं समझता हूं कि इस विधेयक द्वारा जो कुछ किया जा रहा है वह माननीय मंत्री द्वारा बताये गये मार्ग से कहीं अधिक उचित मार्ग है ।

एक सुझाव और भी था कि इस विशेष उपाय को अपनाने के बजाय यह अच्छा होता कि हम एक नया वेतन बोर्ड नियुक्त करते । अपने आरम्भ के भाषण में मैंने यह बात काफी स्पष्ट रूप से समझा दी थी कि ऐसा करना क्यों सम्भव नहीं था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हमारा उद्देश्य यह है कि समाचार पत्रों के मालिकों को इस मामले में जो जानकारी देनी हो वह वे दे सकें और मामले पर फिर से विचार किया जा सके। श्री आचार ने कहा कि देय क्षमता के प्रश्न पर भी विचार किया जाना चाहिए। देय क्षमता का प्रश्न वेतन निर्धारित सम्बन्धी कार्यवाही के साथ बिल्कुल संगत है। अतः उद्योग के देय क्षमता के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। श्री आचार का प्रश्न था कि समिति यहां बैठे-बैठे इस पूर्ण उद्योग या देश के किसी भाग के किसी उद्योग के बारे में कैसे जानकारी उपलब्ध करेगी और क्षमता तथा भिन्न भिन्न स्थानों की परिस्थितियों को देखते हुये यह कहां तक संभव है कि हम सारे देश के लिए एक रुप वेतन क्रम निर्धारित कर दें। यह बात केवल समाचार पत्र उद्योग के ही संबंध में नहीं है। अन्य उद्योगों के संबंध में भी इसका उतना ही महत्व है। राष्ट्रीय महत्व के सभी उद्योग देश भर में चारों ओर फैले हुये हैं। उदाहरण के लिए वस्त्र उद्योग को ले लीजिए।

†**श्री आचार** : मेरा कहना यह है कि अन्य किसी उद्योग के संबंध में ऐसा कोई विधान नहीं है। प्राय : विवाद यदि उठते हैं तो औद्योगिक विवाद न्यायाधिकरण को भेज दिये जाते हैं और वह जांच कर के वेतन निर्धारित करता है।

श्री नन्दा : माननीय सदस्य मुझे बता रहे हैं कि अन्य उद्योगों में वेतन निर्धारण के लिए क्या उपाय काम में लाया जाता है। मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य इस देश के वेतन निर्धा ण इतिहास के संबंध में कुछ और अध्ययन करें। अनेक उद्योगों के लिए वेतन बोर्ड नियुक्त किये जा चुके हैं या न्याधिकरण नियुक्त किये गये हैं जिन्होंने देश के समग्र उद्योग का ध्यान में रख कर विचार किया है तथा क्षेत्रीय स्थिति पर भी विचार किया है। उसी प्रकार इस समिति का भी क्षेत्रीय स्थिति आदि पर विचार करने का अधिकार है। अतः उनके प्रश्न का यही उत्तर है कि जिन मामलों का परीक्षण किया जा रहा है उन पर निर्भर होकर देश भर में समाचार पत्र उद्योग पर एक वेतन क्रम लगाना विल्कुल संभव तथा उचित होगा। कोयला उद्योग को लीजिए। न्यायाधिकरण ने एक वेतन दर निर्धारित कर दिया है और देश के अधिकांश स्थानों पर वही लागू है। अत : यह बात नहीं है कि समाचार पत्र उद्योग के साथ कोई नई बात की जा रही है। प्रामाणिक वेतन दर निर्धारित करने का यही सामान्य नियम है ताकि बाद में रोज- रोज झगड़े न हों और ऐसा न हो कि एक स्थान पर लोगों को कुछ वेतन मिल रहा है और दूसरे स्थान पर उसी काम को करने वालों को कुछ और वेतन मिल रहा है। इससे अशान्ति व कठिनाइयां पैदा होती हैं। अत : वेतन निर्धारित करने का यह तरीका न्याय तथा औद्योगिक शान्ति की दिशा में है तथा अधिक उपयुक्त है।

इस मामले में, विधेयक और अध्यादेश में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि समिति यदि चाहे तो क्षत्रीय आधारों पर भेद भाव कर सकती है। मेरे माननीय मित्र की बात का यही उत्तर है। क्या माननीय सदस्य हमें आश्वासन दे सकते हैं कि यदि हम इस छानबीन के लिए २० या २० से अधिक पदाधिकारी नियक्त्त कर दें तो क्या हमें छोटे-छोटे पत्रों के सम्बन्ध में पूरी जानकारी प्राप्त हो जायगी। क्या यह कोई निश्चित बात है कि यदि कोई पदाधिकारी उन छोट-छोट पत्रों क पास जानकारी लेने जायगा तो वे सारी जानकारी अवश्य दे

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नन्दा]

देंगे । यह जानकारी अन्यथा क्यों नहीं भेजी गयी ? क्या प्रेस आयोग ने जानकारी नहीं मांगी थी ? क्या वेतन बोर्ड ने जानकारी प्राप्त करने के लिये प्रयत्न नहीं किये थे ? मेरा मत है कि उन्होंने इस से भी अधिक कुछ करने का यत्न किया था । परन्तु उन्हें जानकारी उपलब्ध न हो सकी । माननीय सदस्य जिन लोगों की कठिनाइयों को ध्यान में रख कर यहां बातें कर रहे हैं उन के सामने उस समय क्या कठिनाइयां थीं जिन के कारण वे जानकारी भेज नहीं सके । यदि सारी जानकारी उपलब्ध हो गयी होती और किसी माननीय सदस्य को यह कहने का अवसर नहीं मिलता कि देय क्षमता का ध्यान नहीं रखा गया । जैसे कि कई सदस्यों ने कहा है कि कुछ अखबारों के मालिकों ने जानकारी देने से इन्कार कर दिया था और वे इस बात के लिए तैयार थे जो वेतन क्रम लागू होगा उसे वे मान लेंगे। इसका अर्थ यह था कि उनकी देय क्षमता असीमित थी। पता नहीं फिर उनका क्यों उन्होंने यह रवैया अख्तियार किया । अब मैं उन बातों पर नहीं जा सकता । जहां तक मेरे मित्र श्री महन्ती, के अखबार का सम्बन्ध है । उन्होंने, भी स्मरण पत्रों तथा नोटिसों के बाद भी अपने अखबार की जानकारी नहीं दी । मैं किसी व्यक्तिगत मामले में जाना नहीं चाहता परन्तु ऐसे मामले बहुत हैं, जहां लोगों ने जानकारी देने में आना कानी की थी। उन्होंने ऐसा क्यों किया एक माननीय सदस्य ने जो अभी बोले हैं कहा कि यह तो वेतन को जब्त करने की तरह का मामला है । श्रम जीवी पत्रकारों के मामले में ऐसा हुआ है । अब जो प्रयत्न हो रहे हैं उनको किस दृष्टिकोण से देखना चाहिए इस के बारे में मैं अब आपको बताऊं गा ।

वेतन बोर्ड ने अपना विनिश्चय १० मई, १९५७ को दिया था । उन्होंने कहा कि यह निर्णय २ मई १९५६ से लागू किया जायेगा । यदि यह विनिश्चय उच्चतम न्यायालय की छानबीन में खरा उतर गया होता तो उसे भूतलक्ष्मी प्रभाव से लागू किया गया होता । उस समय इसका बहुत विरोध हुआ। यह कहा गया कि अखबारों के लिए यह बहुत कठिन बात होगी कि वह एक साल पीछे से इस वेतन-क्रम से वेतन दें । इतना रुपया कहां से आयेगा ? मैं तो स्वयं चाहता हूं कि अखबारों पर पीछे का वेतन देने का बोझ न पड़े । जब वेतन बोर्ड का विनिश्चय आया था उस समय कुछ अधिक बकाया न देना पड़ता पर उसे स्वीकार ही नहीं किया गया । अब ज्यों ज्यों समय बीतता जायेगा भूतलक्ष्यी वेतन का भार बढ़ता जायेगा । अब तो मामला समिति के हाथ में है । वह जैसा चाहे सिफारिश करे। परन्तु जितने दिन व्यतीत होते जा रहे हैं उतनी ही उनकी हानि होती जा रही है । इस सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कह सकता कि अब २ साल पहले या १$^{१}/_{२}$ साल पहले से जोड़ कर वेतन देना होगा परन्तु इतना सच है कि जितना अधिक समय लगेगा, उतना ही अधिक उन्हें देना पड़ेगा। अच्छा होता कि वेतन बोर्ड ने जो कुछ बताया था उस से कुछ ही पत्रकारों को दे दिया गया होता । पर अब तो देर होने से सारी बात खतरे में पड़ गयी है । अब समिति विचार करेगी कि मालिकों के ऊपर इस प्रकार की जिम्मेदारी कहां डाली जाये। एसी स्थिति में इस प्रकार का कोई सुझाव मानना कि हम सब एककों के आंकड़े इकट्ठे करें और तब मामले का निर्णय करें, कहां तक उचित है , इस बात पर हमें विचार करना है ।

औद्योगिक विवाद अधिनियम और समझौतों के संबंध में मुझे यह कहना है कि इस मामले में क्या समझौते के लिये कोशिश नहीं की गयी। श्रम मंत्रियों के स्तर पर भी समझौते हुए और जैसा कि कहा गया है, समिति मंत्रिमण्डल समिति के स्तर पर भी समझौते की कोशिश हुई । इससे अधिक क्या सम्भव था वह असफल रहा। इसके पश्चात अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया अपनाई गयी और वेतन बोर्ड नियुक्त किया गया, परन्तु उस से भी कोई परिणाम न निकला । अतः मैं समझता हूं कि भरसक कोशिश की गयी कि किसी को यह शिकायत न रह जाय कि जल्दी की गयी ।

इस समिति के संगठन के सम्बन्ध में भी कुछ आपत्तियां उठाई गयीं । श्री महन्ती ने इस संम्बन्ध में जो कुछ कहा वह मुझे कुछ रुचिकर नहीं लगा उन्होंने कहा कि यह कनिष्ठ अधिकारियों की समिति है । पर बात ऐसी नहीं है । इस में संयुक्त सचिव हैं। और कल वे सब सचिव के पदों पर जा सकते हैं । अतः यह कहना कि एक सक्षम प्राधिकार द्वारा किये गये निर्णय, जिसका सभापति उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश था, पर कनिष्ट पदाधिकारियों की समिति विचार करेगी एक हास्यास्पद बात है । इस मामले में आखिर अन्तिम निर्णय किस का होगा ? समिति तो सिफारिशें करेगी परन्तु निर्णय करने की जिम्मेदारी सरकार की ही होगी। सरकार समिति के इन अधिकारियों की सहायता से पुनरीक्षण करवा रही है। अतः इस प्रणाली के सम्बन्ध में जो गलतफहमी पैदा की गयी है वह आधारहीन हैं।

इस सम्बन्ध में श्री नोशीर भरूचा ने एक बहुत ही गम्भीर बात कही है, उस पर बड़ी गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए । वह बात मेरे भावों के अनुरूप ही है कि अब इस मामले में अग्रेत्तर देर नहीं होनी चाहिए। और इस विधेयक में किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए । और इस में कोई कानूनी त्रुटि न रहने पावे।

उसका ध्यान किस प्रकार रखा जा सकता है ? वह इस प्रकार ही किया जा सकता है कि इस में किसी भी प्रकार की कमी न रहने दी जाये । इस बारे में हमारे विधि परामर्शदाताओं ने काफी परिश्रम किया है और उनका कहना है कि अब जो कुछ हो रहा है, वह बिल्कुल ठीक है । संशोधन स्तर पर हम विचार कर लेंगे कि इसे त्रुटिहीन बनाने के लिए और क्या किया जा सकता है ताकि बाद में कोई कठिनाई का सामना न करना पड़े । वैसे दिखाई नहीं देता कि कोई कठिनाई आयेगी क्योंकि श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम की धारा में इसका विशेष रूप से उल्लेख है, अर्थात् वेतन बोर्ड की नियुक्ति वेतन दरों के निर्धारण के प्रश्न के साथ संबद्ध है । ठीक यही शब्द इस विधेयक में भी रखे गये हैं, कि बोर्ड का काम वेतन दरों का निर्धारण है । परन्तु हम इसका अध्ययन थोड़ा और निकट करेंगे।

कुछ माननीय सदस्यों ने ऐसी बातें भी की हैं जिनका विधेयक के उपबन्धों से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है । उन में ऐसी बातों की ओर इशारा है जो कि समिति द्वारा की जानी चाहिए थीं । हिन्दी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के समाचार पत्रों और उनके पत्रकारों की क्या स्थिति है । उसके लिए तमाम तथ्यों का अध्ययन करना होगा । व्यक्तिगत रूप में माननीय सदस्य ने अभी जो कुछ कहा है, उस से मुझे पूरी सहानुभूति है । परन्तु मैं इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकता,

[श्री नन्दा]

क्योंकि इसका निर्णय तो अब समिति को करना है । समिति ही सब गुण-दोषों का परीक्षण करेगी । निस्सन्देह मुझे पूरी आशा है कि समिति इस समस्या के इन सभी अंगों का पूर्ण रूप से अध्ययन करेगी ।

मुझे माननीय सदस्यों को धन्यबाद देना है, क्योंकि उन्होंने इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये हैं कि किस प्रकार श्रमजीवी पत्रकार और मालिकों के सम्बन्ध ठीक रह सकते हैं, ताकि इस उद्योग में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ न्याय हो सके ।

†**श्री महन्ती** (ढेंकानाल) : मैं यह जानना चाहता हूं कि पृष्ठानुसार मूल्य, अखबारी कागज का वितरण और विज्ञापन नीति के नवीनकरण के सम्बन्ध में सरकार क्या सोच रही है ?

†**श्री नन्दा** : मैं ने इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा था, परन्तु अब जब कि इस बारे में विशेष रूप से पूछा गया है, तो इसका उत्तर देता हूं । इस सम्बन्ध में मुझे जो जानकारी सम्बद्ध मंत्री महोदय से उपलब्ध हुई है, उसे मैं सभा के समक्ष प्रस्तुत करता हूं, । संबद्ध मंत्रालय ने इस बात पर काफी विचार किया है और इस सम्बन्ध में गतवर्ष एक विवरण सभा पटल पर रखा जा चुका है । जिस में प्रैस आयोग की मुख्य सिफारिशों की कार्यान्वित के सम्बन्ध में स्थितियों तथा आंकड़ों सम्बन्धी जानकारी प्रस्तुत की गयी थी । उस समय तक ही पूरी जानकारी सदन को दी चुकी है । इस सम्बन्ध में सब से महत्वपूर्ण बात जो माननीय सदस्य के मन में है, वह पृष्ठों अनुसार मूल्य की बात है। प्रैस आयोग ने श्रमजीवी पत्रकारों के लिए कुछ किये जाने की बात कही थी । परन्तु इस उद्योग के लिए सरकार को कुछ और ही करना पड़ा । अतः इन दोनों बातें को साथ साथ देखना है। ऐसी अवस्था में भी अनेक बातें विचाराधीन हैं और केवल एक ही बात जिस का अब तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है वह है पृष्ठानुसार मूल्य का ही है ।

विज्ञापन के सम्बन्ध में मेरे सामने कुछ पत्र हैं । पृष्ठानुसार मूल्य के सम्बन्ध में उन्होंने जो उत्तर दिया है उस में से मैं दो तीन पक्तियां पढ़ देता हूं :

> "हमने पृष्ठानुसार मूल्य के सम्बन्ध में अधिनियम पारित किया है । यह प्रश्न बहुत दिनों से सरकार के समक्ष था और वह इस पर बड़ी गम्भीरता से विचार कर रही थी। इस उद्देश्य के लिये हम विभिन्न नीतियों की छानबीन कर रहे हैं। ताकि वे उद्देश्य प्राप्त किये जा सकें जिसके लिए यह अधिनियम पारित किया गया था ।
>
> मैंने गत मास सभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि भविष्य में आरम्भ होने वाले अखबारों, उनके स्तरों तथा उनकी प्रतिस्पर्धा आदि के हित को देखते हुये— केवल अखबारों के मालिकों के हित के लिए नहीं— जिस के बारे में प्रैस आयोग ने भी उल्लेख किया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हमारा विचार है कि इस मामले में शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। यही कारण है कि हम इस मामले पर बड़ी गम्भीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं।"

अन्तिम वाक्य यह है :—

" मैं सभा को बताना चाहता हूं कि शीघ्र हम इस दिशा में कोई निर्णय करने जा रहे हैं और उसे सभा के समक्ष रखा जायेगा "।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं अब प्रास्तावकों को मतदान के लिए कहूंगा।

प्रश्न यह है कि :

"कि श्रम जीवी पत्रकारों के बारे में वेतन दरों के निर्धारण तथा तत्सम्बन्धी मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड २—(परिभाषायें)

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड २ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड ३ (समिति की रचना)

†**श्री महन्ती** : मैं अपना संशोधन संख्या २ प्रस्तुत करता हूं।

मेरा संशोधन समिति के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में है। यह समिति जिसमें सरकार के कनिष्ठ अधिकारी शामिल हैं वे बोर्ड के निर्णयों पर पुनर्विचार करेगी। वस्तुतः यह समिति न तो दोनों पक्षों में विश्वास प्राप्त कर सकती है, न यह स्वयं बोर्ड के लिये ही न्यायपूर्ण है।

माननीय मंत्री ने इस प्रश्न का उत्तर भी नहीं दिया कि यदि वेतन बोर्ड के निर्देश पद का क्षेत्र बढ़ा दिया जाता और यही प्रश्न उसे सौंपे जाते तो क्या होता ? वस्तुतः मैं इस सिद्धान्त का ही विरोधी हूं कि किसी एसी संस्था के निर्णयों पर, जिसकी अध्यक्षता एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने की हो, कोई दूसरी समिति विचार करे जिसका अध्यक्ष संयुक्त सचिव के स्तर का कोई अधिकारी हो।

†**श्री नन्दा** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"पृष्ठ २, पंक्ति ११ और १२ में से "As soon as may be after the commencement of the Act" (इस अधिनियम के लागू होने के तुरन्त बाद) शब्द हटा दिये जायें।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : संशोधन प्रस्तुत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नन्दा** : इसका यह कारण है कि यह विधेयक अध्यादेश के पश्चात् प्रस्तुत किया गया है। श्री महन्ती के उत्तर के सम्बन्ध में मैं यही कह सकता हूं कि प्रश्न किसी न्यायक संस्था के ऊपर समिति नियुक्त करने का नहीं है। इस समिति के बहुत से सदस्य, बहुत पहले उच्चतम न्यायालय के सदस्य रह चुके हैं। वस्तुतः यह समिति कोई फैसला नहीं कर रही है। वह तो केवल उद्योग को वेतन देने की क्षमता के सम्बन्ध में निर्णय करने में सरकार की सहायता कर रही है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं संशोधन मतदान के लिये रखता है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या २ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"पृष्ठ २, पंक्ति ११ और १२ से "As soon as may be after the commencement of this Act" (अधिनियम के लागू होने के तुरन्त बाद) शब्द हटा दिये जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड ३, संशोधित रुप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ३, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड ४ (समिति के कार्य)

†**श्री नौशीर भरूचा** : मैं संशोधन संख्या ९, १० और ११ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री भक्त दर्शन** : मैं संशोधन संख्या ३२ प्रस्तुत करता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : संशोधन संख्या ९, १०, ११ और ३२ प्रस्तुत हुये।

†**श्री नौशीर भरूचा** : मेरे संशोधन का आशय यह है कि अभ्यावेदन का क्षेत्र बढ़ा दिया जाये। विधेयक की भाषा के अनुसार अभ्यावेदन करने की सीमा संकुचित कर दी गई है और समाचार-पत्रों के मालिकों को अभ्यावेदन करने की पूरी छूट नहीं है। उदाहरणार्थ यदि वे वेतन बोर्ड के निर्णयों को अस्वीकार करने के बारे में अभ्यावेदन देना चाहें तो नहीं दे सकते। इसलिये मैं चाहता हूं कि इसका क्षेत्र विकसित करने के लिये यह आवश्यक है कि 'वेतन' शब्दों के स्थान पर कोई भी संगत विषय शब्द रख दिये जायें। साथ ही अभ्यावेदन करने का समय भी बढ़ा दिया जाये मैं आशा करता हूं सरकार इन संशोधनों को स्वीकार करेगी।

†**श्री साधन गुप्त** (कलकत्ता-पूर्व) : मैं मंत्री महोदय का ध्यान खंड ४(१) में एक त्रुटि पर दिलाना चाहता हूं खंड ४(१) के अनुसार समाचारपत्र संस्थापन, श्रमजीवी पत्रकार या वेतन बोर्ड

---

†मूल अंग्रेजी में

के निर्णयों से दिलचस्पी रखने वाले व्यक्ति समावेदन कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि इसमें इस प्रकार परिवर्तन किया जाय कि संधान तथा श्रमजीवी पत्रकारों के कार्मिक संघ भी इसके अन्तर्गत आ सकें। मुकदमेबाजी तथा विलम्ब को बचाने के लिये संधान तथा कार्मिक संघों का स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक है।

श्री भक्त दर्शन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ने धारा ४(३) के सम्बन्ध में जो संशोधन प्रस्तुत किया है, उसके विषय में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। माननीय श्रम मंत्री महोदय ने अपने प्रारम्भिक वक्तव्य में यह स्वीकार किया था कि करीब सात आठ वर्षों से श्रमजीवी पत्रकार इस बात की मांग करते रहे हैं कि उनके वेतन-स्तर निर्धारित किये जाने चाहियें और लागू किये जाने चाहिये। यह कार्यवाही किसी न किसी प्रकार अब तक टलती आई है। अब इस बिल में उपधारा (३) के अन्तर्गत समिति को यह अधिकार दिया गया है कि वह आगे की या पिछली ऐसी कोई तारीख निश्चित कर सकती है जब से वेतन दरें लागू हों। मैं चाहता हूं कि समिति को यह अधिकार नहीं दिया जाना चाहिये कि वह कोई आगे की तारीख निश्चित कर सके। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले में पहले ही कितनी देर हो चुकी है। माननीय मंत्री जी जानते हैं कि जिस समय वेज बोर्ड ने अपना निर्णय दिया था, तो कई समाचारपत्रों और समाचार एजन्सियों ने अपनी उदारता के कारण उस निर्णय को लागू कर दिया था, लेकिन कई समाचारपत्रों और समाचार एजन्सियों ने ऐसा नहीं किया और वह अतिरिक्त वेतन वापस लिया गया। समिति को यह अधिकार होना चाहिये कि वह यह सिफारिश कर सकेकि उसके निर्णय को किसी पिछली तारीख से—रीट्रोस्पेक्टिवली—लागू किया जाये, लेकिन मैं उसको यह अधिकार देने के पक्ष में नहीं हूं कि वह कोई प्रास्पेक्टिव तारीख भी निश्चित कर सके। इसका मतलब तो यह है कि समिति जनवरी में अपनी रिपोर्ट देती है और आप कहेंगे कि हम एक, दो, पांच या दस वर्षों के बाद उसे लागू करेंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि उसका यह अधिकार देने का मतलब क्या है। जब सरकार और श्रम मंत्री महोदय स्वयं यह चाहते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी लागू किया जाय, तो फिर आग की तारीख निश्चित करने का अधिकार देने का मंशा मेरी समझ में तो नहीं आता। अगर मुझे कोई उचित कारण बताया जा सके, जिसके आधार पर यह अधिकार दिया जा रहा है, तब तो मैं इस को स्वीकार करने के लिये तैयार हूं। लेकिन मेरी अक्ल के मुताबिक जब इसमें पहले ही बहुत देर हो चुकी है, तो यह अधिकार देना कि इसको बहुत आगे जा कर—प्रास्पेक्टिवली—लागू किया जा सकता है, उचित नहीं है और इस लिये मैं अपना यह संशोधन पेश करना चाहता हूं।

†**श्री नन्दा** : हमें श्री भरूचा द्वारा उठाये गये प्रश्नों तथा अन्य प्रश्नों पर भी बहुत गम्भीरता से विचार करना चाहिये क्योंकि हम विधेयक में कोई ऐसी त्रुटियां नहीं छोड़ना चाहते जिससे कि यह परेशानी और चिन्ता अधिक दिनों तक बढ़ जाय। विधेयकों की भाषा का एक विशेष स्तर होता है उसमें कोई त्रुटि रह जाना या कोई वस्तु छूट जाना उतना ही बुरा है जितना कि अनावश्यक बातों का उसमें समावेश होना।

श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम में वेतन बोर्ड की शक्तियां वेतन की दरें निश्चित करने तक ही सीमित हैं। इसलिये इसमें भी जो कुछ कहा गया है उससे समिति का क्षेत्र भी यहीं तक सीमित हो जाता है। इससे समिति को भी वही स्थिति प्राप्त हो जाती है। अतः उनका संशोधन अनावश्यक और असंगत है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नन्दा]

यह तर्क दिया गया कि 'रूप भेद और परिवर्तन' शब्द पर्याप्त नहीं हैं। क्योंकि यह कार्य करने वाली समिति या न्यायालय इसे पूर्णतः अस्वीकार भी कर सकती है। वेतन बोर्ड ने वेतन की दरें सुझाई हैं तथा इससे कुछ अधिक बातें भी सुझाई हैं। दोनों पक्षों को यह कहने की स्वतन्त्रता है कि जहां अधिक दिया है वहां कम किया जाय और जहां कम दिया गया है वहां बढ़ा दिया जाय। मैं न्यायालयों व उच्चतम न्यायालय का आदर करता हूं। वस्तुतः इसे पूर्णतः अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। वेतन बोर्ड के निर्णय में परिवर्तन किये जा सकने के तात्पर्य ही यह हैं कि जो कुछ भी वर्तमान निश्चय किये गये हैं उनमें रूप भेद और परिवर्तन किया जा सकता है। निस्संदेह इस सम्बन्ध में सावधानी बर्तना आवश्यक है तथापि इसकी भी एक सीमा है, मेरे विचार से श्रमजीवी पत्रकार भी इतने अभागे नहीं हैं कि उनके दुखों का अन्त ही नहीं होगा। और हम पूरी सावधानी बर्तने के बावजूद भी ऐसी शब्दावलि का प्रयोग करें जो अनावश्यक हो। यद्यपि मैं इस सम्बन्ध में विधि सम्बन्धी ज्ञान का विशेषज्ञ नहीं हूं तथापि मुझे यह सलाह दी गई है और मैं स्वयं भी यह अनुभव करता हूं कि अपना प्रयोजन प्राप्त करने के लिये इस खंड की भाषा को अधिक सुदृढ़ बनाना आवश्यक नहीं है।

विधेयक में समाचारपत्र संस्थापन, श्रमजीवी पत्रकार तथा अन्य व्यक्ति शब्द आये हैं। यह स्पष्ट है कि इन शब्दों के अन्तर्गत संघ इत्यादि भी आ सकते हैं। "अन्य व्यक्ति" शब्दों के अन्तर्गत ऐसे सभी व्यक्ति आ सकते हैं जो अभ्यावेदन करने के अधिकारी हों।

जहां तक "भूत लक्षी' और 'भावी' शब्दों का तात्पर्य है भूत लक्षी शब्द के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं की गई है, भावी शब्द का तात्पर्य यह बताया गया है कि वे निर्णय की तारीख के तीन या चार वर्ष बाद की तारीख से वेतन दरें लागू कर सकते हैं। इस शब्द का सामान्य अर्थ यह कदापि नहीं है। निर्णय दो चार दिन पश्चात् लागू हो सकता है। यह शब्द केवल सावधानी के विचार से रखा गया है। समिति इस सम्बन्ध में स्वविवेक से काम ले सकती है। ऐसी आशंका करने का कोई आधार नहीं है कि वह वेतन बोर्ड के निर्णयों को ८ वर्ष बाद की तारीख से लागू करने को कहेगी। माननीय सदस्य को ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिये।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अब मैं संशोधन मतदान के लिये रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ९, १० और ११ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

संशोधन संख्या ३२ सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड ४ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ४ विधेयक में जोड़ दिया गया।

---

†मूल अंग्रेजी में

खंड ५ (समिति की शक्तियां)

†**श्री साधन गुप्त** : खंड ५ के उपखंड ३ में प्राधिकारी अधिकारी को यह अधिकार दिया गया है कि वह समाचारपत्र संस्थापनों के लेखाओं की जांच कर सकता है। तथापि इन लेखाओं को सरकारी अधिकार में लेने या उनके पृष्ठों को चिह्नित करने इत्यादि की कोई ऐसा व्यवस्था नहीं की गई है जिससे वे हिसाब में फेर-बदल न कर सकें। अधिकांश ये हिसाब में बहुत गड़बड़ी कर देते हैं और इस प्रकार नफा कम दिखाने का प्रयत्न किया जाता है।

इसके पूर्व भी समाचारपत्र संस्थापनों ने अपने लेखाओं को दिखाने से इन्कार किया था। उन्होंने वेतन बोर्ड और प्रेस आयोग को भी अपने लेखे दिखाने से इन्कार कर दिया था अतः वे अधिकारी के समक्ष भी अपने लेखे सरलता से प्रस्तुत नहीं करेंगे अतः यह-बहुत वांछनीय है कि लेखाओं को अपने कब्जे में लेने या उन पर निशान इत्यादि करने का उपबन्ध किया जाय अन्यथा यह उपबन्ध व्यर्थ सिद्ध होगा।

†**श्री नन्दा** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि पृष्ठ ४, पंक्ति ९, के पश्चात् यह शब्द रखे जायं :—

"(4A) Nothing in sub-section (1) of section 54 of the Indian Income-tax Act, 1922, or in any corresponding provision in any other law for the time being in force relating to the levy of any tax shall apply, to the disclosure of any of the particulars referred to therein in any report made to the Committee by an authorised officer.

(4B) Any informtion obtained by an authorised officer in the exercise of any of his powers and any report made by him shall notwithstanding any thing contained in this Act, be treated as confidential, but nothing in this sub-section shall apply to the disclosure of any such information or report to the Central Government or to a court in relation to any matter concerning the execution of this Act."

["(४क) आय-कर अधिनियम, १९२२ की धारा ५४ की उपधारा १; अथवा वर्तमान समय में लागू करारोपण से सम्बन्धित किसी भी विधि का कोई ऐसा ही उपबन्ध, किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, उसमें निर्देशित सामग्री को समिति को दिये जाने वाले प्रतिवेदन में प्रगट करने के सम्बन्ध में लागू नहीं होगा।

"(४ख) अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुये, किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त कोई जानकारी, और उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई भी प्रतिवेदन, इस अधिनियम में अन्य बातों के रहते हुये भी गोपनीय समझा जायेगा, लेकिन इस उपधारा की कोई भी बात, ऐसी जानकारी या प्रतिवेदन को केन्द्रीय सरकार को बताने या इस अधिनियम को क्रियान्वित करने के मामले के बारे में किसी न्यायालय के समक्ष प्रगट करने के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी "]

†**उपाध्यक्ष महोदय** : संशोधन प्रस्तुत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नन्दा :** श्री साधन गुप्त ने इस बात में सावधानी बरतने की सलाह दी है कि सरकार या समिति को सही तथ्य उपलब्ध हों। माननीय सदस्य जानते होंगे कि इसमें प्राधिकार प्राप्त अधिकारी को समिति के निर्देश पर औद्योगिक विवाद अधिनियम १९४७ की धारा ११ की उपधारा २ या ३ के अधीन सारी शक्तियां प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। समिति को भी वे सारी सुविधायें प्राप्त होंगी जो कि न्यायाधिकरणों को प्राप्त होती हैं। लेकिन हमने इससे भी अधिक की व्यवस्था की है। संशोधन का आशय है कि ऐसी जानकारी भी जो अन्यथा उपलब्ध नहीं है; या तो आय-कर की जांच के दौरान प्रगट हुई है, समिति को उपलब्ध की जायेगी। ऐसा उपबन्ध इसके पूर्व कभी नहीं किया गया है। यह समिति ऐसी जानकारी उपस्थित कर सकती है जैसा कि आज तक कोई न्यायाधिकरण नहीं कर सका है।

औद्योगिक विवाद अधिनियम के जिन उपबन्धों की व्याख्या की गई है उनसे न्यायाधिकरण लेखे तथा सामग्री इत्यादि को प्रस्तुत करने के लिये बाध्य कर सकता है। इसलिये किसी अन्य बात की व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

पृष्ठ ४, पंक्ति ९, के पश्चात ये शब्द रखे जांय :—

"(4A) Nothing in sub-section (1) or section 54 of the Indian Income-tax Act, 1922, or in any corresponding provision in any other law for the time being in force relating to the levy of any tax shall apply to the disclosure of any of the particulars referred to therein in any report made to the Committee by an authorised officer.

(4B) Any information obtained by an authorised officer in the exercise of any of his powers and any report made by him shall notwithstanding anything contained in this Act, be treated as confidential, but nothing in this sub-section shall apply to the disclosure of any such information or report to the Central Government or to a court in relation to any matter concerning the execution of this Act."

["(४क) आय-कर अधिनियम, १९२२ की धारा ५४ की उपधारा १, अथवा वर्तमान समय में लागू करारोपण से सम्बन्धित किसी भी विधि का कोई ऐसा ही उपबन्ध किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, उसमें निर्देशित सामग्री को समिति को दिये जाने वाले प्रतिवेदन में प्रगट करने के सम्बन्ध में लागू नहीं होगा।

"(४ख) अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुये, किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त कोई जानकारी, और उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई भी प्रतिवेदन इस अधिनियम में अन्य बातों के रहते हुये भी, गोपनीय समझा जायेगा, लेकिन इस उपधारा की कोई भी बात, ऐसी जानकारी या प्रतिवेदन को केन्द्रीय सरकार को बताने या इस अधिनियम को क्रियान्वित करने के मामले के बारे में किसी न्यायालय के समक्ष प्रगट करने के सम्बध में लागू नहीं होगी"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड ५, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ५, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ६ (समिति की सिफारिशों को लागू करने सम्बन्धी केन्द्रीय सरकार की शक्ति)

†**श्री नन्दा** । मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ४, पंक्ति ३२, के अंत में यह शब्द जोड़ दिये जायें :—

As it thinks fit ["जैसा यह उचित समझे "]

†**श्री नौशीर भरूचा** : मैं अपने संशोधन संख्या १३, १४, और १५ प्रस्तुत करता हूं । खंड ६ के अन्तर्गत जो प्रक्रिया निर्धारित की गई है उसके अनुसार सरकार को समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने अथवा उनमें संशोधन करने का अधिकार दिया गया है । विधेयक में यह कहा गया है कि यदि सरकार की दृष्टि से ये संशोधन अधिक महत्वपूर्ण अथवा सारभूत हों तो सरकार सम्बन्धित पक्षों की सुनवाई कर सकती है । इसका यह अर्थ निकाला जा सकता है कि यदि ये संशोधन अधिक सारवान न हों तो पार्टियों को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है । मेरा निवेदन यह है कि जब किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है तो सम्बन्धित पक्षों को बुलाना जरूरी है । नैसर्गिक न्याय की भी यही मांग है । इसलिये मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है कि जब कभी सरकार समिति की सिफारिशों में कोई रूपान्तर करे तो उसे सम्बन्धित पक्षों को उसकी पूर्व सूचना देनी चाहिये ।

मैंने जो संशोधन संख्या १४ प्रस्तुत किया है वह केवल आनुषंगिक संशोधन है ।

संशोधन संख्या १५ में मैंने यह कहा है कि किसी भी अवस्था में किसी भी श्रमजीवी पत्रकार को किसी भी भूतलक्षी आदेश के कारण उसके द्वारा अर्जित वेतन को लौटाने के लिये न कहा जाये ।

श्री भक्त दर्शन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ने जिस संशोधन की सूचना दी है, उसका मुख्य उद्देश्य, मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि माननीय नौशीर भरूचा के उद्देश्य से बिल्कुल विपरीत है । भरूचा साहब के संशोधन का मन्तव्य यह है कि जो भी संशोधन किये जायें, चाहे वे बहुत ही साधारण प्रकार के हों, दोनों वर्गों के लोगों की राय जान कर किये जायें, अर्थात् जिन हितों पर उनका प्रभाव पड़ता है, उनको मौक़ा दिया जाये कि वे अपनी बात कह सकें और यह कर लेने के बाद ही उन छोटे मोटे संशोधनों को लागू किया जाये । जहां तक छोटे मोटे संशोधन करने के अधिकार की बात है, मैं स्वीकार करता हूं कि गवर्नमेंट को पूरा अधिकार होना चाहिये कि वह समिति की सिफारिशों में उन संशोधनों को करके सिफारिशें लागू कर सके ।

लेकिन आगे चल कर खंड २ में जो व्यवस्था रखी गई है मैं उसको बहुत ही डायलेट्री चीज़ मानता हूं क्योंकि इसका मतलब यह होगा कि नये सिरे से जो गड़े हुये मुर्दे हैं, उनको उखाड़ा जाये । एक बार वेज बोर्ड ने बड़ी भारी जांच पड़ताल करके फैसला किया जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री भक्त दर्शन]

पर रद्द कर दिया कि उसमें कैपेसिटी टु पे की बात को ध्यान में नहीं रखा गया। इसके बाद नये सिरे से यह कमेटी बनाई गई है और इसको तीन महीने का समय दिया गया था और अब इस समय को दो महीने के लिये और बढ़ा दिया गया है। इस तरह से इस कमेटी को अपनी सिफारिशें करने में छः सात महीने लग सकते हैं। इसके बाद भी गवर्नमेंट अगर उसकी सिफारिशों में परिवर्तन करना चाहे और उसके पास इस तरह के स्मृतिपत्र आयें या उससे मांग की जाये तो फिर नये सिरे से उस पर विवाद शुरू होगा, और दोनों पक्षों की बात सुनी जायेगी। इसी खंड के भाग "ब" में यह भी लिखा है कि अगर गवर्नमेंट उचित समझे तो वह फिर से किसी मामले को इस समिति को सुपुर्द कर सकती है। इस प्रकार इस खंड के द्वारा एक ऐसा सिलसिला जारी हो रहा है कि इसका कभी अन्त होने वाला नहीं है और यह मामला हमेशा उलझा ही रहेगा। इस वास्ते मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि यह जो जाल जंजाल है, इसको वे समाप्त करें। अब यह मामला बहुत पुराना हो चुका है। पहले आपने वेज बोर्ड बिठाया। जो फैसला उसने दिया उसको केवल एक नुक्ते की बिना पर सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। अब जो न्यूनता रह गई थी या जो कमी रह गई थी, उसको आप इस विधेयक द्वारा पूरा कर रहे हैं। इसके बाद भी अब कौन सी कमी रह गई है जिसको आप पूरा करना चाहते हैं और जिसको पूरा करने में वर्षों लग सकते हैं? इस वास्ते मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि इस देरी को मिटाने के लिये कदम उठाये जायें और यह जो प्रोसीजर जाल जंजाल भरा इसमें रखा गया है, इसको समाप्त कर दिया जाय।

†**श्री नन्दा**: मेरे मित्र श्री भरूचा का एक ओर तो यह कहना है कि इस विधेयक के अन्तर्गत सम्बन्धित पक्षों की सुनवाई के लिये पर्याप्त अवसर देने का उपबन्ध नहीं किया गया है और दूसरी ओर उनका यह कहना है कि इस विधेयक के अन्तर्गत सुनवाई की जो प्रक्रिया निर्धारित की गई है वह बड़ी विलम्बकारी एवं लम्बी चौड़ी प्रक्रिया है। मेरा विचार है कि इस विधेयक में हमने दोनों ओर से उचित सन्तुलन रखा है।

जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि पार्टियों को यह सूचना होनी चाहिये कि उनके सम्बन्ध में किस प्रकार के प्रस्ताव रखे गये हैं तथा उन पर क्या विचार हो रहा है इस बारे में कोई दो राय नहीं हो सकतीं। उच्चतम न्यायालय का निर्णय भी इसी आधार पर दिया गया है कि क्या नैसर्गिक न्याय के नियमों का पालन किया गया है अथवा नहीं। उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में यह कहा है कि यदि बोर्ड ने यह घोषणा की होती कि वह क्या करना चाहता है, यदि बोर्ड अपने समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदनों पर विवेकपूर्ण विचार करता और दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अपना निर्णय देता तब वेतन बोर्ड के निर्णय को कोई भी व्यक्ति चेलैंज नहीं कर सकता था। हमने वेतन बोर्ड के निश्चयों को आधार माना है। और उसी आधार पर हम आज विचार करना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि सम्बन्धित पार्टियों को इन निश्चयों के बारे में क्या कहना है? मान लीजिये यदि हम आज कोई प्रस्ताव रखते हैं और सम्बन्धित पार्टियों को उसके बारे में अपनी रायें बताने के लिये बुलाते हैं। वे कुछ संशोधन प्रस्तुत करेंगे। तब हम उन पर और संशोधन रखेंगे और फिर उनको बुलायेंगे। इस प्रकार एक पक्ष दूसरे पक्ष के संशोधनों पर संशोधन रखता जायेगा और कभी भी कोई निर्णय नहीं किया जा सकेगा। मैं समझता हूं सम्बन्धित पक्षों को एक बार सुनवाई का अवसर देना ज़रूरी है। बाद में फिर कभी अवसर देने की तभी आवश्यकता होगी जब कि कोई सारभूत परिवर्तन किया जाय।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नौशीर भरूचा** : किन्तु वेतन बोर्ड के निश्चय तो उच्चतम न्यायालय के निर्णय के कारण अब रद्द हो गये हैं ।

†**श्री नन्दा** : यह ठीक है । यदि ऐसा न होता तो आज हमें इस विधेयक पर विचार करने की क्यों आवश्यकता पड़ती । किन्तु जो कुछ भी उच्चतम न्यायालय ने कहा है हम उसके अनुसार विचार कर रहे हैं । हम संबन्धित पक्षों को यह बताना चाहते हैं कि हम उनको इतना वेतन तथा इस प्रकार के वेतन क्रम देना चाहते हैं । इस पर वे लोग जो भी सुझाव रखेंगे हम उन पर विचार करेंगे । हम उनकी प्रत्येक बात पर विचार करने को तैयार हैं ।

किन्तु जब एक बार कोई समिति अपने समक्ष प्रस्तुत सामग्री पर भली भांति विचार कर लेती है और फिर कोई सिफारिश करती है तब सरकार उस सिफारिश पर विचार करते समय यदि उसमें कोई छोटा मोटा परिवर्तन करती है तब मेरे विचार में उस समय सम्बन्धित पक्षों को दुबारा बुलाने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती । क्योंकि सरकार भी सभी प्रकार के प्रतिवेदनों एवं अन्य सामग्री का ध्यान रख कर ही उस निश्चय में कोई रूपान्तर करती है । अतः ऐसी दशा में अगर सम्बन्धित पक्षों को दोबारा न भी बुलाया जाये तो उसमें नैसर्गिक न्याय के किसी सिद्धान्त का कोई उल्लंघन नहीं होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १३, १४, १५ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"कि खंड ६, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ६, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड ७, (आदेश में निर्दिष्ट दरों से अन्यून वेतन पाने के अधिकारी श्रमजीवी पत्रकार)

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या कोई संशोधन रखे जा रहे हैं ?

†**श्री महन्ती** : मैं संशोधन संख्या ६ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री अन्सार हरवानी** (फतेहपुर) : मैं संशोधन संख्या २८ प्रस्तुत करता हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : ये संशोधन सभा के सम्मुख हैं ।

†**श्री अन्सार हरवानी** : खंड ७ में यह उपबन्ध किया गया है कि मालिक अपने पत्रकारों को कम से कम कितना वेतन देंगे । मैं उसमें यह संशोधन और रखना चाहता हूं कि अगर कोई मालिक अपने यहां के पत्रकारों को निर्दिष्ट वेतन न दे तो उसे पहले एक हज़ार रुपये का ंड दिया जाये और यदि वह फिर भी इस उपबन्ध का उल्लंघन करे तो उसे प्रत्येक दिन के लिये १००० रुपये तक का अर्थ दण्ड दिया जाये । जब तक इस प्रकार का भय नहीं होगा तब तक मालिक इस विधेयक की शर्तों का पालन नहीं करेंगे । मैं आशा करता हूं सरकार मेरे इस संशोधन को स्वीकार करेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री महन्ती** : मैं ने अपना संशोधन इस लिये प्रस्तुत किया है कि ताकि लघु तथा माध्यमिक उद्योगों में काम करने वाले श्रमजीवी पत्रकारों को बोर्ड द्वारा निर्धारित तथा सरकार द्वारा अनुमोदित वेतन मिल सके। साथ ही मुझे इस बात का ध्यान भी है कि वेतन बोर्ड की सिफारिशों के कारण लघु उद्योगों को कहीं अपना काम न ही ठप करना पड़े। इस सम्बन्ध में मैं सभा का ध्यान प्रेस आयोग की इन तीन सिफारिशों की ओर दिलाना चाहता हूं। प्रेस आयोग ने पृष्ठानुसार-मूल्य सूची बनाने की सिफारिश की थी किन्तु सरकार ने अभी तक यह सूची लागू नहीं की है। इसके पीछे बड़े बड़े नीहित स्वार्थ काम कर रहे हैं। जबतक सरकार इस सूची को लागू नहीं करती तब तक लघु तथा माध्यमिक उद्योग कैसे पनप सकते हैं ?

दूसरी बात सरकारी विज्ञापनों के वितरण तथा दरों के सम्बन्ध में थी। सरकार ने इस बात को स्वीकार किया था कि वह अपने विज्ञापनों पर पत्र की स्थित्यानुसार विज्ञापन दरें देने को तैयार है। किन्तु मैं जानना चाहता हूं कि आज भारत के कितने राज्यों में इस नीति का अनुसरण किया जा रहा है।

प्रेस आयोग ने अपनी तीसरी सिफारिश में समाचार पत्र अभिकरण प्रशुल्क निश्चित करने की सिफारिश की थी। किन्तु अभी तक इस सिफारिश को भी कार्यान्वित नहीं किया गया है। इन तीनों में से कोई भी सिफारिश बड़े समाचार पत्रों के लिये हानिकर नहीं हो सकती किन्तु इन से छोछे तथा माध्यमिक उद्योगों को काफ़ी संरक्षण प्राप्त हो सकता है। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह शीघ्रातिशीघ्र इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने का प्रयास करे। इस सम्बन्ध में मैं उड़ीसा के एक छोटे पत्र का उधारण देना चाहता हूं। वह पत्र किसी मंत्री से सम्बन्धित पत्र नहीं है। इसलिये वह सरकार की भूल-चूकों की आलोचना करता रहता है। पिछले वर्ष उस पत्र को कभी कभी सरकारी विज्ञापन मिल जाते थे। किन्तु अब सरकार ने दलगत नीति के अनुसरण के कारण उस पत्र को विज्ञापन देने बन्द कर दिये हैं। अब उस पत्र की आय कम हो गई है और दूसरी ओर वेतन बोर्ड के निश्चयों का पालन करने के कारण उसका बोझ बढ़ गया है। ऐसी दशा में इस प्रकार के छोटे छोटे पत्र कैसे अपना अस्तित्व बनाये रख सकते हैं। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है जो पत्र ५ वर्ष की कम अवधि से चल रहे हैं और जिनका किसी समाचार पत्र शृंखला से सम्बन्ध नहीं है उन पर खंड ७ का यह परन्तुक न लागू किया जाये और अगर वेतन बोर्ड के निर्णयों के कारण किसी ऐसी पत्र की बन्द होने की नौबत आ जाये तो सरकार को उसकी आर्थिक सहायता करनी चाहिये। मैं आशा करता हूं कि सरकार मेरे इस संशोधन को स्वीकार करेगी।

†**श्री साधन गुप्त** : खंड ७ में कुछ श्रमजीवी पत्रकारों को निश्चित वेतन देने के लिये कहा गया है। सब से पहले हमारे सम्मुख यह प्रश्न आता है कि यह पत्रकार कौन होंगे ? क्या वे पत्रकार भी, जो व्यक्तिगत रूप से वेतन बोर्ड के सामने प्रतिवेदन नहीं भेजेंगे, निश्चित वेतन पाने के अधिकारी होंगे ?

दूसरे कई पत्रकार उक्त अधिसूचना के प्रकाशन के उपरान्त भर्ती होंगे। क्या ऐसे पत्रकारों को भी यह निश्चित वेतन मिल सकेगा ? यह प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि यह बात निश्चित ही है कि किसी समाचारपत्र में काम करने वाले सभी पत्रकार अपना अपना प्रतिवेदन वेतन बोर्ड को नहीं दे सकेंगे। ऐसी दशा में हमें यह देखना है कि क्या वेतन बोर्ड का एवार्ड सभी कर्मचारियों पर लागू होगा चाहे वे बाद में आये हों अथवा चाहे उन्होंने कोई प्रतिवेदन न भेजा हो। हमारी

---

†मूल अंग्रेज़ी में

व्यवहार प्रक्रिया संहिता में प्रतिनिधि वाद इसके उदाहरण हैं जिसके अन्तर्गत किये गये निर्णय सभी सम्बन्धित पार्टियों पर लागू होते हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम में भी इस प्रकार का उपबन्ध किया गया है। किन्तु इस विधेयक में इस प्रकार का कोई उपबन्ध नहीं किया गया है। खंड की सामान्य भाषा से यही अर्थ ध्वनित होता है कि वेतन बोर्ड के निर्णय केवल प्रतिवेदन देने वाले पक्ष व मालिक पर ही लागू होंगे, सभी कर्मचारियों पर नहीं। मैं इस में यह संशोधन रखना चाहता हूं कि समिति अथवा सरकार द्वारा जो निर्णय दिये जायें वे केवल वादी कर्मचारी तथा एक मालिक के बीच ही लागू न हो प्रत्युत वे उन मालिकों व कर्मचारियों के सभी उत्तराधिकारियों के बीच भी लागू हों। यदि किसी कम्पनी का स्वामी बदल जाये तो नये स्वामी पर भी वह निश्चय लागू हो। मैं आशा करता हूं माननीय मंत्री इस विधेयक में इस प्रकार का विशिष्ट उपबन्ध जोड़ने की कृपा करेंगे।

†**श्री नन्दा** : मैं पहले श्री महन्ती के संशोधन के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। मैं अपने मित्र की छोटे समाचार पत्रों के बारे में व्यक्त की गई चिन्ता के साथ पूर्ण सहानुभूति रखता हूं। किन्तु उनका संशोधन उनके तथाकथित उद्देश्य से बहुत आगे बढ़ जाता है। जहां तक छोटे पत्रों को विशेष संरक्षण देने का प्रश्न है यह समिति के क्षेत्राधिकार का प्रश्न है। समिति सभी पत्रों के लिये एक रूप सिफारिशें नहीं दे सकती है क्योंकि प्रत्येक पत्र की अपनी अपनी विशेष परिस्थितियां हैं। वास्तव में वेतन बोर्ड का वर्तमान निर्णय भी सभी पत्रों के लिये समान रूप से नहीं लागू होता था। इसलिये समिति को भिन्न प्रकार के समाचारपत्रों के विशेष दावों का विचार करने का पूर्ण अधिकार है।

जहां तक सरकारी सहायता का प्रश्न है उसका उस विधान से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसका एक दूसरा ही है। हम इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे। मेरे मित्र ने सरकारी विज्ञापनों के सम्बन्ध में भी कुछ कहा है। उसका मैं यहां उत्तर देना उचित नहीं समझता क्योंकि इस बात का सूचना तथा प्रसारण मंत्री ने ७-५-५८ की सभा की कार्यवाही में विस्तार से उल्लेख कर दिया है। मैं उस नीति के विस्तार में जाकर सभा का अधिक समय नहीं खोना चाहता हूं।

एक अन्य संशोधन यह रखा गया है कि इन उपबन्धों के साथ कोई दंड-उपबन्ध भी होना चाहिये। प्रस्तावक महोदय ने इसका यह कारण बताया है कि ऐसे उपबन्ध की अनुपस्थिति में हम इस विधेयक की कतिपय शर्तों का पालन नहीं करा सकेंगे। किन्तु हम इस समय एक विशेष उद्देश्य से यह विधयक रख रहे हैं इसलिये इस समय ऐसा विधान करना कठिन है। इस प्रकार का उपबन्ध हम श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम में संशोधन के समय कर सकते हैं।

श्री साधन गुप्त ने जिस बात का उल्लेख किया है हमें इस विधेयक के सम्पूर्ण काल में ऐसी कोई कठिनाई नहीं दिखाई दी। सदा से ही इस उपबन्ध की एसी भाषा बनी रही है। किसी ने इस उपबन्ध का ऐसा अर्थ नहीं लगाया। श्रमजीवी पत्रकार' का कभी भी यह अर्थ नहीं लगाया गया कि 'वह पत्रकार जिसने कि कोई प्रतिवेदन दिया हो'। इस विधेयक में भी 'श्रमजीवी पत्रकार' शब्द से हमारा अभिप्राय सम्पूर्ण पत्रकार श्रेणी ही है न कि केवल ऐसा पत्रकार जिसने कि कोई प्रतिवेदन दिया हो।

†**श्री साधन गुप्त** : मेरा निवेदन यह है कि अभी तक औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा १८ के कारण हमें इस प्रकार की कोई कठिनाई नहीं पेश आई है। किन्तु इस विधेयक में

---

†मूल अंग्रजी में

[श्री साधन गुप्त]

'श्रमजीवी पत्रकार' की परिभाषा मात्र कर देने से हमारी कठिनाई नहीं हल हो जाती । विधि का सामान्य नियम यह है कि कोई भी निर्णय केवल तत्कालीन सम्बन्धित पक्षों पर ही लागू होता है । हमारे सम्मुख प्रस्तुत विधेयक में कहीं पर भी स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा गया है कि ऐसे निर्णय भावी पत्रकारों पर भी लागू होंगे । इसलिये मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय को मेरे सुझाव पर फिर से गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिये ।

†**श्री महन्ती** : माननीय मंत्री महोदय के आश्वासन के उपरान्त मैं अब अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूं ।

†**श्री नन्दा** : यद्यपि मैंने अपने विचार प्रकट कर दिये हैं फिर भी मैं इस बात पर और विचार करूंगा ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इस के लिये कोई विशेष संशोधन नहीं रखा गया है । माननीय मंत्री इस पर अपने आप विचार कर सकते हैं ।

श्री भक्त दर्शन : मैं एक बात पूछना चाहता हूं । अभी माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि दंड देने की व्यवस्था इस विधेयक के अन्तर्गत नहीं की जा सकती और जो दूसरा विधेयक इन्फार्मेशन एंड ब्राडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अन्तर्गत आयेगा इसको उसमें रखा जायेगा तो मैं जानना चाहता हूं कि उस विधेयक का संशोधन कब लाया जायेगा ।

†**श्री नन्दा** : यह श्रम मंत्रालय का काम है और श्रम मंत्रालय द्वारा प्रशासित हो रहा है । वही मंत्रालय उसे प्रस्तुत करेगा । जैसा कि मैंने बताया मैं निश्चित तिथि नहीं बता सकता हूं परन्तु यही प्रयत्न किये जा रहे हैं कि उसे शीघ्र प्रस्तुत किया जाये ।

संशोधन संख्या ६ तथा २८ सभा की अनुमति से वापस लिये गये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ७ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ७ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ८--(केन्द्रीय सरकार के आदेशों का पुनरीक्षण)

†**श्री अन्सार हरवानी** : मैं अपना संशोधन संख्या २९ प्रस्तुत करते हुए यह बताना चाहता हूं कि तीन वर्ष की अवधि रख कर सरकार ने अपने हाथ बांध लिये हैं । हम जानते हैं कि समाचार-पत्र उद्योग में बहुत परिवर्तन होते रहते हैं और संभव है कि एक वर्ष में ही समाचार पत्र की स्थिति अच्छी हो जाये अथवा खराब हो जाये । इसलिये सरकार को अपने हाथ और अखबार मालिकों के हाथ इस तरह नहीं बांध देने चाहियें ।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नन्दा** : बहुत दिनों की जांच, विवाद तथा विधानों के द्वारा जो कुछ भी निश्चय किया जाये उसमें कुछ स्थिरता होनी चाहिये । इसीलिये हम नहीं चाहते कि इतनी जांच के पश्चात् जो व्यवस्था की जाये उसको जल्दी जल्दी बदला जाये । तीन साल की अवधि कोई अधिक नहीं होती है ।

†**श्री अन्सार हरवानी** : मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं ।

संशोधन संख्या २९ सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ८ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ८ विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड ९--(श्रमजीवी पत्रकारों को देय धन की वसूली)

†**श्री नौशीर भरूचा** : मैं अपना संशोधन संख्या १७ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री भक्त दर्शन** : मैं अपना संशोधन संख्या ३५ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री नौशीर भरूचा** : खण्ड ९ के द्वारा जो संशोधन किया जा रहा है वह भी उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय के कारण ही किया जा रहा है । यह मामला मद्रास के पत्र हिन्दू का था जिसमें एक श्रमजीवी पत्रकार श्री मेहर ने अपना रुपया अधिनियम की एक धारा विशेष के अधीन मांगा था । धारा विशेष के अनुसार यह सिद्ध हो जाने पर कि रुपया पत्रकार को देय है, सरकार कलक्टर को एक प्रमाणपत्र भेज सकता है जिसके आधार पर पत्रकार को अपना धन कलक्टर के द्वारा मिल सकेगा ।

प्रश्न यही उत्पन्न हुआ कि ऐसे मामलों में जिनमें धनराशि के सम्बन्ध में ही विवाद हो क्या किया जायेगा। और ऐसे ही मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि विधि के अनुसार प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा । इसी कारण यह संशोधन प्रस्तुत किया गया है कि मामला श्रम न्यायालय को भेज दिया जायेगा । परन्तु इसमें भी सरकार पर छोड़ दिया गया है कि वह चाहे तो श्रम न्यायालय को भेजे और न चाहे तो न भेजे । मैं ने इसी लिये संशोधन प्रस्तुत किया है कि सरकार को मामला निश्चित रूप से श्रम न्यायालय को भेज देना चाहिये अन्यथा संभव है कि सरकार किसी कार्मिक संघ के सदस्य का आवेदन पत्र भेजे और किसी अन्य कार्मिक संघ का न भेजे ।

श्री भक्त दर्शन : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन का उद्देश्य श्री भरूचा साहब ने जो संशोधन रखा है उसी की पुष्टि करना है । मैं ने जैसा कि अपने वक्तव्य में पहले बतलाया था, बम्बई राज्य में और उत्तर प्रदेश राज्य में इस बीच में जितने भी मामले, श्रमजीवी पत्रकारों के, राज्य सरकारों के ध्यान में लाये गये, जहां तक मुझे मालूम है उन में से एक भी औद्योगिक न्यायालय के सुपुर्द नहीं किया गया । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पिछले दो तीन वर्षों में क्या उन के सामने ऐसी शिकायतें आई हैं कि राज्य सरकारों ने स्वेच्छा से उन्हें औद्योगिक न्यायालयों के सामने नहीं जाने दिया जिस से कि श्रमजीवी पत्रकारों को कठिनाई उठानी पड़ी ।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री भक्त दर्शन]

इस लिये जैसा कि श्री भरूचा साहब ने कहा है, मैं उन के उस संशोधन को और पुष्ट करता हूं और अपील करूंगा कि इस विधेयक में कुछ स्पष्टीकरण होना चाहिये ताकि अनिवार्यतः ऐसे मामले न्यायालय को जा सकें ।

†**श्री तंगामिणि** (मदुरै) : मैं श्री भरूचा के संशोधन का समर्थन करता हूं । यह वैसा ही है जैसा मेरा संशोधन संख्या २४ । खण्ड ७ में यह तो ठीक व्यवस्था की गई है कि श्रमजीवी पत्रकार को वेतन बोर्ड अथवा नई समिति द्वारा निर्धारित दरों पर वेतन दिया जायेगा । परन्तु किसी मालिक द्वारा वेतन का भुगतान न किये जाने पर दण्ड की कोई व्यवस्था नहीं की गई है । ऐसी कोई गारंटी होनी चाहिये जिससे पत्रकारों को उनका वेतन मिल सके । अब खण्ड ९ के द्वारा श्रम न्यायालय तो नियुक्त किये जा रहे हैं परन्तु यह सरकार पर छोड़ दिया गया है कि मामला इन न्यायालयों को भेजा जाये अथवा नहीं । इसलिये सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये । मामला श्रम न्यायालय को अवश्य भेजा जाये और इसके लिए ही श्री नोशीर भरूचा का संशोधन है जिसको स्वीकार कर लेना चाहिए ।

†**श्री नन्दा** : खण्ड ९ के उपखण्ड (२) में हम ने जो व्यवस्था की है वह ज्यादा महत्वपूर्ण है । हम ने यह व्यवस्था की है कि श्रमजीवी पत्रकार को देय धन की वसूली प्रमाण पत्र के आधार पर होगी और ज़िलाधीश यह रुपया भू-राजस्व के समान वसूल करके देगा । श्रमजीवी पत्रकार के लिये यह एक नई बात हम ने की है । लेकिन यह व्यवस्था रखी गई है कि राज्य सरकार संतुष्ट हो कर ही कि धन देय है, प्रमाणपत्र देगी । यह निर्णय करना सरकार पर है कि किसी श्रमजीवी पत्रकार को कुछ रुपया मिलना है या नहीं । निश्चय ही इसका निर्णय वह किसी जांच के द्वारा ही करेगी ।

अब आता है धन की राशि का प्रश्न । कुछ मामलों में तो धन की राशि स्पष्ट हो सकती है और उसका निश्चय करना आसान होगा । ऐसे मामलों में जांच की कोई ज़रूरत नहीं है और श्रम न्यायालय में भी ये मामले नहीं जायेंगे । परन्तु यदि सरकार को यह निर्णय करना होगा कि कितनी राशि देय है तो मामला श्रम न्यायालय में भेज दिया जायेगा । इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि देय राशि के सम्बन्ध में सरकार पूरी तरह ही संतुष्ट होना चाहेगी । जब धन राशि का सही पता लगाने का और कोई उपाय न होगा तो मामला श्रम न्यायालय को भेज दिया जायेगा ।

श्री भक्त दर्शन : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । मैंने एक प्रश्न किया था कि क्या माननीय मंत्री जी के ध्यान में यह बात आई है कि कई राज्य सरकारों ने इन नियमों पर पूरी तरह से अमल नहीं किया और क्या आगे के लिए माननीय मंत्री यह आश्वासन देने के लिए तैयार हैं कि उनका पालन दृढ़ता से किया जायेगा ।

†**श्री नन्दा** : उस समय स्थिति कुछ अस्पष्ट सी थी । उस समय जो कुछ राज्य सरकार न्याय निर्णयन के लिये मामलों को सौंप देते थे । फिर जैसा कि मैंने बताया अधिनियम की कुछ कमियां दूर की जानी थीं और तब ही यह खण्ड रखे गये थे ।

संशोधन संख्या ३४ सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १७ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ९ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ९ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड १० से १२ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खंड १३.—(नियम बनाने की शक्ति)

†**श्री तंगामणि** : मैं अपना संशोधन संख्या २५ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री अन्सार हरवानी** : मैं अपना संशोधन संख्या ३१ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री तंगामणि** : इस संशोधन के प्रस्तुत करने में मेरा यह उद्देश्य था कि नियम बनाने वाली शक्तियों में निरीक्षकों की नियुक्ति, रजिस्टरों आदि के रखने का ढंग शामिल कर लिया जाये । दुकान तथा संस्थापन अधिनियम में भी निरीक्षक की नियुक्ति की व्यवस्था है । औद्योगिक विवाद अधिनियम में भी ऐसी ही व्यवस्था है जिस से सरकार सभी प्रकार को जांच करा सकती है । इसी तरह का उपबन्ध इस में भी होना चाहिये ।

†**श्री अन्सार हरवानी** : इस खण्ड में सरकार ने वेतन के भुगतान तथा निरीक्षकों के कर्तव्य तथा लेखों को रखने के सम्बन्ध में कोई शक्तियां नहीं ली हैं । सरकार के लेखों को रखने के सम्बन्ध में अधिक अधिकार लेने चाहियें अन्यथा हमें भय है कि ये धनी लोग अपने कर्मचारियों को लूटते रहेंगे ।

†**श्री नन्दा** : निरीक्षकों की नियुक्ति, रजिस्टर आदि रखने की पद्धति के सम्बन्ध में मैं मानता हूं कि ऐसा किया जाना आवश्यक है । मैं सिद्धान्त को स्वीकार करता हूं परन्तु नियमों में इन बातों को रखना ठीक नहीं होगा । इन को अधिनियम में ही रखना होगा । जैसा मैं ने पहले भी बताया है कि इन उपबन्धों के लिये यह उचित स्थान नहीं है । इन सभी सुझावों को मूल अधिनियम में रखा जायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या २५ तथा ३१ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १३ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १३ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड १४ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री वासुदेवन् नायर** (तिरुवल्ला) : मुझे प्रसन्नता है कि इस विधान को सभी पक्षों का समर्थन प्राप्त हुआ है परन्तु साथ ही साथ कुछ खेद भी है कि मंत्री महोदय के भाषण के कारण सदस्यों को कुछ गलतफहमी हो गई ।

हम सभी जानते हैं कि समाचारपत्रों के मालिक इस विधान के विरोधी हैं और वह माननीय मंत्री के इस कथन की कि तीन माह में समिति अपना काम समाप्त कर देगी की भी आलोचना करने में नहीं चूके हैं । मैं समझता हूं कि इसीलिये मंत्री महोदय ने अपने प्रारम्भिक भाषण में यह बताया था कि समिति काम समाप्त करने में जितना समय लेना चाहे उतना ले ले । मैं कहना चाहता हूं कि श्रमजीवी पत्रकार बहुत दिनों तक प्रतीक्षा कर चुके हैं और इसीलिये अब समिति को उचित समय दिया जाना चाहिये जिस में वह निर्णय ले ले । मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इस का स्पष्टीकरण करेंगे ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है और यदि शीघ्र कोई निर्णय नहीं किया गया तो उनका उत्पीड़न बढ़ता ही जायेगा । इसी कारण श्रमजीवी पत्रकारों में हलचल मच गई है ।

तीसरी बात मैं श्रम विधानों के मामलों में उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप के बारे में कहना चाहता हूं । फरवरी, १९५० में श्री पतांजली शास्त्री तथा श्री मुकर्जी ने भारत बैंक और उस के कर्मचारी के मुकद्दमे का फैसला देते हुए कहा था कि जहां तक संभव हो श्रम सम्बन्धी कानूनों को उच्चतम न्यायालय के क्षेत्र से अलग ही रखना चाहये । मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीश फजल अली ने बताया था कि उच्चतम न्यायालय में यदि श्रम विधानों पर विचार किया जाये तो केवल विधि संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर ही विचार किया जाना चाहिये । लेकिन अब इस बात का अनुसरण नहीं किया जा रहा है । यह उचित समय है जब हमें संविधान के अनुच्छेद १३६ का संशोधन कर देना चाहिये ।

†**श्री साधन गुप्त** : वैसे तो इस विधेयक को सभी ओर से समर्थन प्राप्त हुआ है परन्तु कुछ सदस्यों ने छोटे समाचार पत्रों की ओर से, कुछ आपत्तियां उठाई हैं । लेकिन ये लोग भी, बड़े बड़े अखबार वालों ने जो शोर मचा रखा है, उस से सहमत नहीं । हमारी समझ में नहीं आता कि यह शोर क्यों किया जा रहा है । सरकारी कर्मचारियों की एक समिति इस की जांच करेगी कि मालिक कितने समर्थ हैं । यह कोई गैर जिम्मेदार समिति नहीं है, इस में सरकारी पदाधिकारी हैं जो सारी स्थिति पर पूर्णतः विचार कर के फैसला करेंगे । जो व्यक्ति ईमानदार होगा उसे इस समिति से भय क्यों । इस से कुछ आभास मिल जाता है कि वह अपनी जांच क्यों नहीं कराना चाहते हैं । इस से पता लग जाता है कि जो समवाय कम लाभ अथवा हानि दिखाते हैं उन्हों ने अपने लेखों में कुछ गड़बड़ की है ।

मैं समझता हूं कि समिति के पदाधिकारियों को अधिक शक्तियां देने की आवश्यकता है क्यों कि लेखा प्रस्ताव आप उन से मांग सकते हैं परन्तु आप उन्हें बाध्य नहीं कर सकते कि वह अपनी लेखा पुस्तकों को आप को दिखायें । जब बोर्ड के सामने सन्तुलन पत्र होगा तभी तो कर्मचारी बता पायगे कि मालिकों ने कहां कहां पर क्या क्या गड़ बड़ी की है । इसीलिये मैं चाहता हूं कि समिति को अनिवार्यतः ऐसी शक्तियां भी दी जानी चाहिये जिन के द्वारा वह लेखा पुस्तकों की पूरी जांच करा सके । यही लोक हित में होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

माननीय मंत्री ने बताया कि विधि में अनावश्यक बातें नहीं रखी जाती हैं। परन्तु यदि वह अपने विधि शास्त्रियों का परामर्श ले तो पता लगेगा कि सावधानी रखने के ख्याल से अनावश्यक बातें भी रखनी पड़ जाती हैं ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि समाचारपत्रों के मालिकों ने जो धमकियां दी हैं उन से हमें डरना नहीं चाहिये केवल इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि संस्था की सामर्थ्य कितनी है। उच्चतम न्यायालय तथा औद्योगिक न्यायाधिकरणों ने इसी पर बल दिया है कि हमें इस का पता लगाना चाहिये कि उनकी रुपया देने की सामर्थ्य कितनी है। जो समाचारपत्र सामर्थ्य होने पर भी न्यूनतम वेतन देना नहीं चाहते हैं उन को प्रकाशन बन्द कर देना चाहिये परन्तु जो कम पूंजी वाले छोटे समाचारपत्र हैं उन को अपने स्वयंसेवकों के सहारे प्रगति करनी होगी और इसी तरह वे चल सकते हैं ।

मेरा अपना विचार है कि समाचारपत्र उद्योग के धनी मालिक ही इन सब गड़बड़ियों के लिये जिम्मेदार हैं। उन्हों ने पत्रकारिता में कोई प्रगति नहीं की है, बल्कि इसे नीचे ही गिराया है और कर्मचारियों का उत्पीड़न ही किया है। मेरा विचार है कि यदि ये लोग अपने समाचारपत्रों को बंद कर दें तो कोई हानि नहीं होगी हमें उनकी धमकी से डरना नहीं चाहिये। हमें विश्वावास है कि यदि ये बड़े बड़े समाचारपत्र वाले प्रकाशन बन्द कर दें तो इन की जगह अच्छे पत्रकार ले सकेंगे और हमें कहीं अच्छे पत्र उपलब्ध हो सकेंगे।

†**श्री नन्दा** : मैं इस बात का आभारी हूं कि अब हमारा यह विधेयक देश का कानून बनने जा रहा है। मुझे एक दो बातों का स्पष्टीकरण करना है। मैं संक्षेप में उन बातों को स्पष्ट करूंगा। पत्रकार सम्मेलन में मुझ से पूछा गया था कि यह समिति अपनी जांच समाप्त करने में कितना समय लेगी। मैं ने कहा कि यह मेरा अपना मामला है और मेरा विचार है कि इस में तीन मास लग जायेंगे। यहां भी अपने भाषण में मैं ने स्थिति स्पष्ट की थी। यह मेरी कभी भी इच्छा नहीं थी कि उन्हें किसी निर्धारित समय में यह काम समाप्त करना पड़े चाहे इस समय में सारी जानकारी प्राप्त हो सके या नहीं और जो कदम वह उठाना चाहते हैं वह उठा पायें या न उठा सकें। समिति पर कोई बन्धन नहीं होगा। मैं ने यह भी स्पष्ट किया था कि समिति ने दो मास का समय और मांगा है। मैं यह नहीं कह सकता कि उन्हें इस अवधि में काम समाप्त करना ही पड़ेगा। मैं वचन नहीं दे सकता, और इस सम्बन्ध में मैं ने स्पष्टीकरण कर दिया है। समिति जितना समय चाहे ले सकती है, यह समिति उच्च कोटि के जिम्मेदार अधिकारियों की है और वह अपेक्षित समय से एक दिन भी अधिक नहीं लेगी। जितना भी शीघ्र हो सके वे ईमानदारी से इस काम को समाप्त करना चाहेंगे। मैं स्वयं भी चाहता हूं कि अधिक समय न लगे। इस के बाद इस संबंध में और अधिक कहने की कोई गुंजाइश नहीं है।

कुछ अन्य सुझाव थे कि कुछ शब्दों की व्याप्ति और कुछ उपबन्धों को स्पष्ट किया जाये ताकि वे कानूनी तौर पर बिल्कुल स्पष्ट हो जायें। यद्यपि मैं उतना कानून नहीं जानता जितना कि मेरे माननीय मित्र जानते हैं और मैं उन के विरोध में खड़ा नहीं होना चाहता, परन्तु जो कुछ इन उपबन्धों का स्पष्टीकरण किया गया है और इस से अधिक आवश्यक नहीं है। मैं पुनः कहता हूं कि जो कुछ भी संरक्षण की व्यवस्था हो सकती थी इस विधान द्वारा कर दी गई है। अब भी यदि कोई ऐसी भय की बात होगी जिस की ओर कि माननीय सदस्य ने ध्यान आकृष्ट करवाया तो हम हमेशा इस बात के लिये तैयार रहेंगे कि उन कमियों को इस विधान से निकाल दिया जाये।

अखबारों के मालिकों के सम्बन्ध में मेरा व्यवहार संयत रहा है। मैंने उन पर आरोप नहीं लगाये, मैंने उन्हें गालियां नहीं दी। क्यों कि कई विभिन्न समयों पर मुझे दोनों की मदद करनी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नन्दा]

और मेरी इच्छा है सम्भवतया दोनों के साथ न्याय होना चाहिये। क्योंकि आखिरकार तो उन्हें एक साथ रहना और काम करना है। मैं नहीं चाहता कि दोनों पक्षों के सम्बन्ध बिगड़ें, मेरे विचार में इस दिशा में जो कुछ भी मुझ से हो सका है मैंने किया है। और आशा है कि इससे न केवल न्याय ही होगा, प्रत्युत इस उद्योग के विभिन्न वर्गों के सम्बन्ध अच्छे हो जायेंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय को अब और कुछ नहीं कहना है। प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इस के पश्चात् लोक सभा मंगलवार, १६ अगस्त १९५८ के ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई।

† मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[सोमवार, २५ अगस्त, १९५८]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		१२३९—१२६२
तारांकित प्रश्न संख्या		
४३९	रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के लिये होस्टल	१२३९—१२४१
४४०	राजस्थान नहर	१२४१–१२४२
४४१	वायुमार्गों में परिवर्तन	१२४२–१२४४
४४२	खाद्योत्पादन लक्ष्य	१२४४—१२४६
४४३	अमरीकन "लिबर्टी" जहाजों का क्रय	१२४६–१२४७
४४४	असैनिक विमान चालकों का प्रशिक्षण	१२४७–१२४८
४४५	गन्ने का बकाया मूल्य	१२४८—१२५०
४४८	दिल्ली के गांवों में सिंचाई के लिये पानी देना	१२५०–१२५१
४५२	गोहाटी पत्तन का विकास	१२५१–१२५२
४५३	हावड़ा जाने वाली पंजाब मेल के साथ दुर्घटना	१२५२–१२५३
४५४	गन्ने में गवेषणा	१२५३—१२५५
४५५	हुगली में मिट्टी का जमा हो जाना	१२५६–१२५७
४५६	पशुओं के प्रति निर्दयता निवारण	१२५७—१२५९
४५७	मेलाघाट के निकट पुल का निर्माण	१२५९–१२६०
४५८	ग्राम्य ऋण सर्वेक्षण	१२६०–१२६१
४५९	क्षय रोगी	१२६१–१२६२
अल्प सूचना प्रश्न संख्या		
४	दिल्ली में उचित मूल्य वाली दुकानें	१२६२—१२६४
प्रश्नों के लिखित उत्तर		१२६५
तारांकित प्रश्न संख्या		
४३७	पूर्वोत्तर रेलवे पर रेलवे लाइन का सर्वेक्षण	१२६५
४३८	स्कूटरों का चलना	१२६५
४४६	तूफान से इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के वायुयान को क्षति	१२६५–१२६६
४४७	राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों में मुर्गीपालन तथा मत्स्य पालन	१२६६

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)		
तारांकित प्रश्न संख्या:		
४४९	देवली बांध, महरोली, दिल्ली का सर्वेक्षण	१२६६
४५०	नौवहन विकास निधि . .	१२६७
४५१	पश्चिमी बंगाल में खाद्य स्थिति	१२६७
४६०	हतिया और मुरी के बीच रेलवे लाइन . . .	१२६७–१२६८
४६१	खड़गपुर के व्यापारियों की अनुज्ञप्तियों का रद्द किया जाना .	१२६८
४६२	राष्ट्रीय राजपथों (मैसूर राज्य में) पर पुल .	१२६८
४६३	जानकी शुगर मिल्स . .	१२६९
४६४	पूर्वी उत्तर प्रदेश में खाद्यान्नों की कमी .	१२६९–१२७०
४६५	विमान दुर्घटनायें	१२७०
४६६	खाद्य मंत्रालय के सरकारी दल का विदेशों का दौरा .	१२७०
४६७	खाद्यान्नों का उतारा जाना . .	१२७१
४६८	उत्तर प्रदेश में अभाव ग्रस्त क्षेत्र .	१२७१
४६९	मनमाड में रेल का ऊपरी पुल . .	१२७१–१२७२
४७०	कुल्लू और कांगड़ा घाटियों में पर्यटक यातायात . .	१२७२
४७१	सान्ता-क्रुज हवाई अड्डा . .	१२७२
४७२	दामोदर घाटी निगम के कर्मचारियों की छंटनी .	१२७३
४७३	पूर्वोत्तर-सीमा रेलवे की आसाम लाइन . .	१२७३
४७४	जंगपुरा में ऊपरी पुल . .	१२७४
४७५	सामान की ढुलाई की दरें	१२७४
४७६	बीज फार्म . .	१२७४–१२७५
४७७	धनुषकोटि के दक्षिणी तट का कटाव . .	१२७५
४७८	दिल्ली में पीने के पानी की कमी . . .	१२७५–१२७६
४७९	देश में तपेदिक का सर्वेक्षण	१२७६
४८०	ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस का देर से पहुंचना . . .	१२७६
४८१	दिल्ली के महरोली क्षेत्र में बांध . . .	१२७७
४८२	बम्बई की गोदी में आग . . .	१२७७
४८३	द्रोणाचलम-सिकन्दराबाद सेक्शन पर रात की ट्रेन-सर्विस का बन्द किया जाना	१२७७
४८४	जनरल मैनेजरों के लिये "संक्षेपण तयां" .	१२७८

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

४८५ दिल्ली के स्कूलों की बसें . . . १२७८
४८६ हवाई अड्डों पर पत्रकारों के काम और आराम करने के कमरे . १२७९
४८७ चावल की वसूली . १२७९
४८८ उड़ीसा से बिहार को चावल का निर्यात . . १२७९
४८९ कोयला खानों में माल-डिब्बों में लदे सामान का गुम होना १२८०
४९० दिल्ली में ऑटो-रिक्शा ड्राइवरों की सहायता १२८०
४९१ दिल्ली के लिये दूध की सप्लाई की योजना १२८०–१२८१
४९२ तीसरे दर्जे की महिला यात्रियों के लिये विश्रामालय . १२८१
४९३ विमानों के किराये में वृद्धि . १२८१
४९४ क्षेत्रविद्या सम्बन्धी प्रयोग . . १२८१—१२८२
४९५ इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन १२८२
४९६ तीसरे दर्जे में सोने के स्थान का रक्षण . १२८२–१२८३

अतारांकित
प्रश्न संख्या

७९० सवारी गाड़ियों में भीड़ . . १२८३
७९१ भटिंडा के निकट मालगाड़ी का पटरी से उतर जाना . १२८३
७९२ इटावा स्टेशन पर पोर्टरों की हड़ताल . १२८३–१२८४
७९३ बम्बई राज्य में चीनी की मिलें . १२८४
७९४ केन्द्रीय वन गवेषणा संस्था, देहरादून . १२८४–१२८५
७९५ बम्बई राज्य में ग्राम्य जल संभरण योजनायें . . १२८५
७९६ डाक तथा तार विभाग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी . १२८५
७९७ भुवनेश्वर डाक घर . . . १२८६
७९८ पश्चिमी तट की सड़क (वैस्ट कोस्ट रोड) १२८६
७९९ पिछड़े क्षेत्रों के लिये गांव सभा . १२८७
८०० वनस्पति तेल . . . १२८७
८०१ चरखी-दादरी स्टेशन पर गुड्स शेड का निर्माण . १२८८
८०२ चरखी दादरी और मन्हेरू के बीच एक स्टेशन बनाना १२८८
८०३ पंजाब में गोशालायें . १२८८

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
८०४	अम्बाला में रेल के फाटक पर पुल	१२८६
८०५	पंजाब सड़क विकास योजना .	१२८६
८०६	खंडवा-हिंगोली रेलवे लाइन .	१२८६–१२६०
८०७	पंजाब में राज्य भांडागार निगम	१२६०
८०८	कपास की खेती	१२६०–१२६१
८०६	साग सब्जियां .	१२६१
८१०	पंजाब में वनों का विकास . .	१२६१
८११	किशनगंज क्षेत्र की रेलवे कालोनी में माध्यमिक स्कूल	१२६१–१२६२
८१२	भारतीय रेलों के लिये उपकरण .	१२६२
८१३	डाकघरों में अल्प बचत सम्बन्धी सुविधायें .	१२६२
८१४	भूमि का कटाव . . .	१२६२–१२६३
८१५	दिल्ली में अनधिकृत रूप से बनाये गये मकान	१२६४
८१६	दिल्ली में नहरी पानी का दिया जाना .	१२६४
८१७	गाड़ियों में चोरियां और डकैतियाँ	१२६५
८१८	मक्का .	१२६५
८१६	खाद्यान्नों के मूल्य	१२६६
८२०	नदी घाटी योजना प्रविधिक कमचारी समिति का प्रतिवेदन .	१२६६
८२१	कपास का विकास .	१२६६–१२६७
८२२	भूमि संरक्षण गोष्ठी .	१२६७–१२६८
८२३	अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन	१२६८–१२६६
८२४	मूंगफली की खती . . .	१२६६
८२५	उत्तर प्रदेश में नई लाइनों का सर्वेक्षण .	१२६६–१३००
८२६	मैसूर में कृषि . .	१३००
८२७	आजमगढ़-गोसाईंगंज रेलवे लाइन .	१३००–१३०१
८२८	जुब्बल वन विभाग में कार्य की योजना .	१३०१
८२६	हिमाचल प्रदेश में वन विकास	१३०१–१३०२
८३०	रेलवे लेवल क्रासिंग	१३०२
८३१	माल गाड़ी का पटरी से उतर जाना . .	१३०२–१३०३
८३२	सियालदा में रेलवे दुर्घटना . . .	१३०३
८३३	नये जहाज खरीदने के लिये विदेशी मुद्रा .	१३०३–१३०४

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

८३४ हुगली-करबार रेलवे . . १३०४
८३५ चावल और गेहूं . . १३०४–१३०५
८३६ देवदार और केले की पैदावार . . . १३०५
८३७ रेलगाड़ियों में यात्री सुविधायें . १३०५–१३०६
८३८ मनमाड में संयुक्त जल संभरण योजना . १३०६
८३९ मनमाड में रेलवे क्वार्टरों का नाली का पानी १३०६–१३०७
८४० चीनी की मिलें १३०७
८४१ जाली टिकट पकड़ने वाले दस्ते का विशेष इंस्पेक्टर . १३०७
८४२ डाक-डिवीजन . १३०७–१३०८
८४३ फीरोजपुर रेलवे स्टेशन १३०८
८४४ भूमि का कृषि योग्य बनाया जाना १३०८
८४५ हवाई अड्डा परामर्शदात्री समिति १३०९
८४६ प्रादेशिक उद्यान कर्म गवेषणा केन्द्र १३०९
८४७ सूरतनगर में राजकीय फार्म . १३०९–१३१०
८४८ भारतीय डाक तथा तार संग्रहालय . . . १३१०
८४९ पंजाब में सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजनायें १३१०
८५० उत्तर प्रदेश में उत्पादकों को गन्ने की कीमत का भुगतान १३१०–१३११
८५१ सहकारी खेती १३११
८५२ अदरक . . . १३११–१३१२
८५३ केरल राज्य को चावल का संभरण . १३१२
८५४ पार्लाकी-मेडी-लाइट-रेलवे . . १३१२
८५५ नाविकों को रोजगार दिलाने वाले दफ्तर . २३१३
८५६ सिविल हास्पिटल, इम्फाल . १३१३
८५७ नौवहन समवायों के लिये ऋण . १३१४
८५८ त्रिपुरा में धान की वसूली . १३१४
८५९ खाद्यान्न का आयात . १३१४
८६० इमारती लकड़ी का आयात . १३१५
८६१ सान्ताक्रूज़ में वी० ओ० आर० व्यवस्था . १३१५–१३१६
८६२ दिल्ली में वर्षा . . १३१६

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित

प्रश्न संख्या

८६३ माल का ब्रेक-वान . १३१६

८६४ रेलवे मंत्री का कार्यालय . १३१७

८६५ चरखी-दादरी में सीमेंट का कारखाना १३१७—१३१८

८६६ दिल्ली में यातायात की भीड़ . . १३१८

८६७ सब-पोस्ट आफिस . १३१८

स्थगन प्रस्ताव . . . . . . १३१९—१३२२

अध्यक्ष महोदय ने दिल्ली में अतिसार रोग के महामारी के रूप में फैल जाने के बारे में तीन स्थगन प्रस्तावों को, जिनकी सूचनायें सर्वश्री स० म० बनर्जी, तंगामणि, अटल बिहारी बाजपेयी और ब्रजराज सिंह ने दी थीं, प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी ।

दो सदस्यों को सज़ा . . . . १३२२—१३२३

अध्यक्ष ने लोक-सभा को बताया कि उन्हें अहमदाबाद के फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट से दिनांक २० अगस्त, १९५८ का यह सन्देश प्राप्त हुआ है कि लोक-सभा के सदस्य सर्वश्री इन्दुलाल कन्हैयालाल याज्ञिक और करसनदास परमार, को भारतीय दंड संहिता की धारा १४३ और १८८ के अन्तर्गत अपराधों के आरोप पर सज़ा दी गई है ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . १३२३

निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखे गये :—

(१) अधिसूचना संख्या दिनांक २० अगस्त, १९५८ की जी० एस० आर० ७२८ में प्रकाशित, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उपधारा (२) के अन्तर्गत अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु व सेवा निवृत्ति लाभ) नियम, १९५८ की एक प्रति ।

(२) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) ९ अगस्त, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ६८५ ।

(दो) दिनांक १६ अगस्त, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ६९५ ।

(३) समाचार-पत्र प्रकाशकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में पास हुए संकल्पों तथा किये गये भाषणों की पत्रिका की एक प्रति ।

विषय पृष्ठ

राज्य-सभा से सन्देश १३२४

सचिव ने राज्य-सभा से दो सन्देश प्राप्त होने की सूचना दी कि राज्य-सभा को निम्नलिखित विधेयकों के बारे में लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है :—

(१) खनिज तेल (अतिरिक्त उत्पादन तथा सीमा शुल्क) विधेयक १९५८, जो लोक-सभा द्वारा १३ अगस्त, १९५८ को पारित किया गया था ।

(२) विनियोग (रेलवे) संख्या ३ विधेयक, १९५८, जो लोक-सभा द्वारा १६ अगस्त, १९५८ को पारित किया गया था ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

श्री स० म० बनर्जी ने रिविलगंज स्टेशन पर १९ अगस्त, १९५८ को एक सवारी गाड़ी के पटरी से उतर जाने की ओर रेलवे मंत्री का ध्यान दिलाया । रेलवे मंत्री श्री जगजीवन राम ने उस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया। . . . १३२४

मंत्री द्वारा वक्तव्य—

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) ने भारत के जीवन बीमा निगम की विनियोजन नीति के बारे में एक वक्तव्य दिया . १३२४—१३२६

समिति के लिये निर्वाचन

श्री बलवन्तराय गोपालजी मेहता ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि इस सभा के सदस्य प्राक्कलन समिति के सदस्य के रूप में काम करने के लिये अपने में से एक सदस्य चुनें । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पुरस्थापित . . . . . १३२६—१३२७

(१) समुद्र सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक, १९५८ . १३२६—१३२७

(२) भारतीय चिकित्सा परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९५८ . १३२७

विधेयक पारित . . . . . १३२७—१३६०

श्रमजीवी पत्रकार (वेतन दरों का निर्धारण) विधेयक, १९५८ पर विचार करने के प्रस्ताव पर चर्चा समाप्त हुई । खंडवार विचार के पश्चात् विधेयक संशोधित रूप में पारित किया गया ।

मंगलवार, २६ अगस्त, १९५९ के लिये कार्यावलि—

चीनी निर्यात संवर्धन अध्यादेश को नामंजूर करने सम्बन्धी संविहित संकल्प पर आगे चर्चा तथा चीनी निर्यात संवर्धन विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव ।